खण्ड-239, अंक-9
सोमवार, 13 फाल्गुन, शक संवत् 1884
(4 मार्च, 1963 ई0)

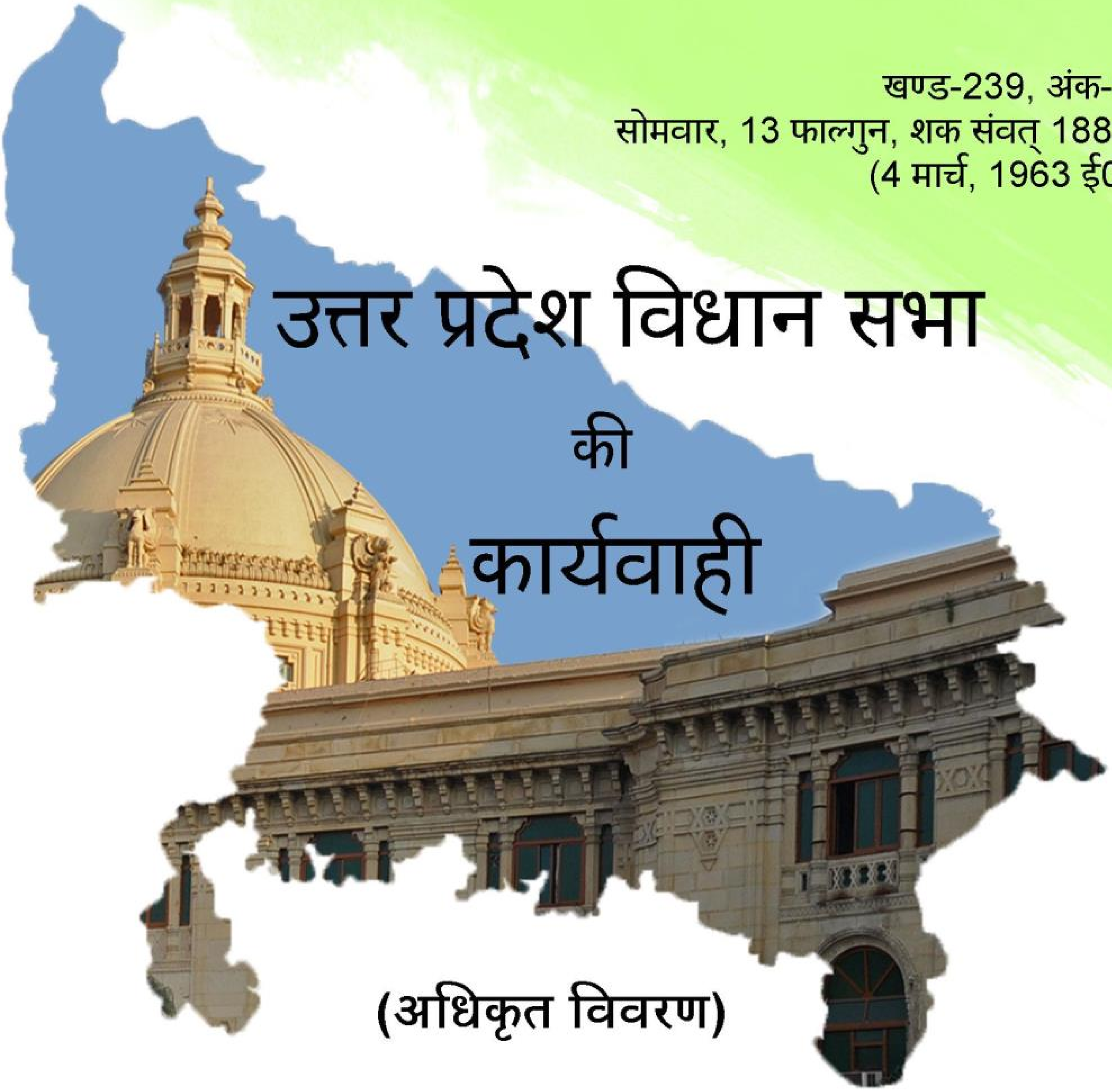

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 239 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	५८९–५९३
प्रश्नोत्तर	५९३–६१३
कार्य-सूची में दिये क्रम को बदल कर मुख्य मंत्री के वक्तव्य को प्राथमिकता देने पर आपत्ति	६१३–६१९
श्री हरिश्चन्द्र बाजपेयी के निधन पर शोकोद्गार	६२०–६२२
श्री नेकराम शर्मा के निलम्बन का समाप्तिकरण	६२२–६२९
कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं ..	६२९–६३१
१९६३–६४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान अनुदान संख्या २०—कृषि संबंधी विकास, अनुदान संख्या २१—उपनिवेशन, अनुदान संख्या २२—पशुपालन और मत्स्य-पालन तथा अनुदान संख्या ४७—कृषि योजनाओं पर पूंजीगत लागत (स्वीकृत) ..	६३२–६७५
हिन्दू महासभा के सदस्यों के दल परिवर्तन के संबंध में सूचना ..	६७५–६७६
नत्थियां	६७७–६८०

विधान सभा उत्तर प्रदेश

LEGISLATURE LIBRARY
JUL
UTTAR PRADESH

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, ४ मार्च, १९६३

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में १० १/२ बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य---३५९

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अवेद्यनाथ, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अष्टभुजा, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभानसिंह, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री

गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित,श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चेतनराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्य नन्द पांडेय, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पुरुषोत्तमलाल बधवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)

बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजरानी श्रीमती
बृजेश्वरसहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंड्ड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर

उपसभापति सचिवालय प्रदेश

राजन्द्रसिंह, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शांतिचन्द्र शुक्ल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री

सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट--नियोजन मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, ४ मार्च, १९६३

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

उत्तर प्रदेश-बिहार सीमा विवाद

**१--श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

गत १४ फरवरी, १९६२ को बलिया-बिहार सीमा विवाद संबंधी ध्यानाकर्षक मोशन पर सभा सचिव श्री बृजबिहारी मिश्र द्वारा दिये गये बयान के सन्दर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू० पी०-बिहार सीमा विवाद के लिये प्रधान मंत्री ने श्री सी० एम० त्रिवेदी को जो जांच करने के लिये नियुक्त किया है उसमें उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से टर्म्स आफ रिफरेंस क्या-क्या हैं ?

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री बृजबिहारी)--

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कोई अलग टर्म्स आफ रेफरेंस नहीं है। प्रधान मंत्री ने दोनों प्रदेशों की सहमति से जो टर्म्स आफ रेफरेंस जांच के लिये भेजे हैं, वे इस प्रकार हैं :--

(१) क्या स्थायी सीमा के सिद्धान्त उक्त जिलों के बीच मान लिये जायं ? यदि हां तो क्या उनको उसी प्रकार निर्धारित किया जाय जिस का सुझाव दोनों प्रदेशों के प्रतिनिधियों की सहमति से सन् १९५२ की बैठक में दिया गया था ? यदि नहीं, तो सीमा क्या होनी चाहिये ?

(२) यदि स्थायी सीमा के सिद्धान्त उचित न हों तो वर्तमान सिद्धान्त जो गंगा और घाघरा नदियों की धूर धारा के आधार पर हैं, उनमें क्या सुधार किये जायं ?

(३) क्या मध्यस्थ की राय में उक्त जिलों के बीच सीमा के प्रश्न का कोई और हल हो सकता है ? यदि हां, तो क्या ?

**२--श्री काशीनाथ मिश्र--

क्या इस संबंध में कोई क्वेशचनियर तैयार कराकर उत्तर प्रदेशसरकार जांच के लिये नियुक्त श्री त्रिवेदी के सम्मुख पेश करने के लिये बलिया के सम्बद्ध किसानों के बीच बटवायेगी ?

श्री बृजबिहारी—

जांच किस प्रकार होगी, यह श्री त्रिवेदी निश्चित करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से किसी क्वैश्चनेयर (प्रश्नावली) के बटवाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से कोई टर्म्स आफ रेफरेन्स त्रिवेदी कमीशन को नहीं दिया गया है तो बलिया जिले के किसानों की जमीन, जो बिहार में चली गई है, उस पर कब्जा दखल दिलाने का कौन-सा उपाय सोचा जा रहा है? उनकी बात कमीशन के सामने कैसे लायेंगे जिसे बलिया के किसानों का उनकी जमीन पर कब्जा हो जाय?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

यह नहीं कहा कि हमारी तरफ से कोई टर्म्स आफ रिफरेन्स नहीं है बल्कि दोनों गवर्नमेंट्स की राय से टर्म्स आफ रिफरेन्स दिया गया है जिसका हवाला जवाब में दिया गया है। वह अलग नहीं है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

जो टर्म्स आफ रिफरेन्स दोनों राज्यों की राय से दिया गया है उसमें इस बात का समावेश नहीं है कि जो जमीन कटकर बलिया जिले के किसानों की बिहार में चली गई है उस पर उन का कब्जा दखल कैसे होगा?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

यह पंचायत के लिये जरूरी नहीं है। वह हद कायम करेगी। उस हद के मुताबिक जो जमीन इधर उधर होगी उस पर अमल किया जायगा।

श्री काशीनाथ मिश्र—

जितनी जमीन हदबन्दी के बाद बलिया जिले में आ जायेगी क्या उस पर बलिया जिले के किसानों का कब्जा होगा?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

अभी तो ऐसा ही मालूम होता है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को इस विषय में क्या लिखा कि जो टर्म्स आफ रिफरेन्स त्रिवेदी कमीशन के सामने केन्द्रीय सरकार बनाये उसमें किन बातों का समावेश किया जायगा और वे कौन-कौन-सी बातें हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

टर्म्स आफ रिफरेन्स वही है जो अभी पढ़ कर सुनाया है। इसके अलावा और कोई नहीं है।

श्री उग्रसेन—

प्रदेशीय सरकार ने क्या लिखा है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

दोनों का एग्रीड गया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या राजस्व मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५२ से जो नियम लागू हैं वह क्या हैं? उनको विस्तार से बतलाने की कृपा करेंगे। उससे बिहार और उत्तर प्रदेश के किसानों का क्या लाभ होगा?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

सन् १९५२ में यह तय हुआ था कि मुस्तकिल बाउन्डरी कायम कर दी जाय वहां के लोगों की ख्वाहिश दरियाफ्त कर ली जाय और उसी के मुताबिक किया जाय ।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि बिहार सरकार ने टर्म्स आफ रिफरेन्स तय होते वक्त कौन-कौन से सुझाव अपनी तरफ से रखे थे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

हम तो समझते हैं कि जो एग्रीड है वही है । उनके दिल में और क्या बात थी यह मैं नहीं जानता ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह मामला बहुत पुराना है, ५०,६० वर्ष पुराना है । सरकार को १८६४ से लाखों रुपये का घाटा हो रहा है । कई गांव इधर-उधर कट कर बिहार में चले गये हैं तो इसका अखिरी निर्णय कब तक हो जाने की आशा है ताकि अपनी-अपनी सीमा निर्धारित हो जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

अब यह हमारे लिये बताना बड़ा मुश्किल है । प्रधान मंत्री को पंच मुकर्रर कर दिया गया है, जब वह कर देंगे, तब तय हो जायगा ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने कृपा करेंगे कि उस इलाके में रबी की फसल भी तैयार है और उत्तर प्रदेश के किसानों ने उसमें अपनी बोआई की है और वे उसका सरकार को राजस्व भी दे रहे हैं ? क्या सरकार उस कमीशन को इस बात को लिखेगी कि उनकी फसल जिसकी मालगुजारी वह प्रान्तीय सरकार को दे रहे हैं, जबतक यह मामला तय न हो जाय, तब तक उन किसानों को काटने के लिये और बोने के लिये इजाजत दी जाय? क्या वे इसकी सिफारिश करेंगे कि टर्म्स आफ रिफरेंस में यह बात बढ़ाने की कृपा की जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

श्रीमन्, मैनुअल के रूल्स का हर साल वेरिफिकेशन हो जाता है और उसी के मुताबिक दोनों सरकारों में टर्म्स तय हो जाते हैं, और वह काश्तकार फसल काटते रहते हैं ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५२ में जो दोनों प्रदेशों की सरकारों ने बातें की थीं, वह ८२ के एक नक्शे को मानकर निर्णय किया था । परन्तु उससे बलिया जिले की हजारों एकड़ भूमि बिहार में रह जाती है । तो क्या वे माननीय त्रिवेदी को बतलायेंगे कि वे ८२ के निर्णय को न मानकर १८४० के मुताबिक उसका निर्णय करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

श्रीमन्, एक मेमोरेण्डम गवर्नमेन्ट की तरफ से उनके पास भेजा जायगा ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या माननीय राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वह कौन से कारण हैं, जिनकी वजह से अभी तक उनके पास मेमोरेण्डम नहीं भेजा गया और न भेजे जाने की वहज से आज जो उत्तर प्रदेश सरकार के खयालात हैं, वह नहीं आ सके ? क्या कारण है कि इसमें देर हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

मुझे इसके लिये दुख है । मेमोरेण्डम भेज दिया गया है

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो मेमोरेण्डम भेजा गया है, उस में मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

श्रीमन्, अभी यह बताना जनहित में नहीं होगा ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न]

यू० पी० जेल डिपो का आडिट

*१—श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती) (अनुपस्थित) तथा श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

विभागीय तथा एकाउन्टेन्ट जनरल के आडिटरों ने यू० पी० जेल डिपो का कब-कब आडिट किया और shortage तथा temporary embezzlement आडिट नोट में दिया अथवा नहीं? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

कारागार मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मदत्त वैद्य)—

विभागीय तथा एकान्टेन्ट जनरल के आडिटरों ने जब-जब यू० पी० जेल डिपो का आडिट किया उसकी सूचना संलग्न तालिका-क में दी हुई है । इन आडिट नोटों में अस्थाई गोलमाल का कोई उल्लेख नहीं किया गया । वे आडिट नोट जिनमें मालों की कमी का जिक्र किया गया है और उनपर जो कार्यवाही की गई है वह तालिका-ख—में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६७७–६७८ पर)

*२—श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (अनुपस्थित) तथा श्री हिम्मतसिंह—

क्या यह भी सच है कि आडिटरों के एतराजों पर कालीनों की कमी दरी से और दरियों की चादरों से तथा चादरों की डस्टर से तादाद को ऊपर करके पूरा किया गया है और इसके अलावा ३० अन्य जेल डिपोज का हिसाब आज तक नहीं मिल पा रहा है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जी नहीं, हां यह सही है कि कुछ जेलों का हिसाब अभी तक जेल डिपो के हिसाब से नहीं मिल सका है ।

श्री हिम्मतसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी विभागीय आडिटर की रिपोर्टों को सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

कारागार राज्य मंत्री (श्री गोविन्दसहाय)—

श्रीमन्, इसमें सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, यह मेज पर रखी जा सकती है, इससे माननीय सदस्य को संतोष हो जायगा ।

श्री हिम्मतसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जब जेल डिपो का हिसाब ठीक नहीं मिल पाया तो वह आडिट रिपोर्ट क्यों रद्द कर दी गई है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

श्रीमन्, इसमें आडिट रिपोर्टों का कोई प्रश्न ही नहीं है । इसके लिये एक नियम है उतने ही समय तक कागजात सुरक्षित रखे जाते हैं । माननीय सदस्य का अभिप्राय १९४० के उन आडिट नोटों से है, जिनका रखना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है ।

श्री उग्रसेन---

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि जेल इन्डस्ट्री के डिप्टी डाइरेक्टर के विरुद्ध जेल डिपो की गड़बड़ियों के कारण सरकार ने कोई पुलिस की जांच बैठाई है ? यदि हां, तो उस जांच ने कौन से निर्णय लिये ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---

यह प्रश्न इससे संबंधित तो है नहीं, इसके लिये सूचना चाहिये ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)---

वे कौन कौन सी जिला जेल हैं जिनका हिसाब अभी तक प्राप्त नहीं हो सका है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---

यह हिसाब का प्रश्न तो जो जेल डिपो हैं उससे है । जिला जेलों से जो सामान आता है उनका हिसाब नहीं मिल रहा है । उसके लिये कार्यवाही हो रही है और जल्दी वह काम हो जायेगा । ऐसी ३ जेलें हैं ।

श्री गोविन्दसहाय---

श्रीमन्, ३ नहीं, यह ३० हैं । उनके नामों के लिये सूचना की जरूरत होगी ।

श्री हिम्मतसिंह---

क्या माननीय जेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जब जेल से सामान गिन कर आता है तो उसके बढ़ जाने का क्या कारण है ?

श्री गोविन्दसहाय---

कायदे से काम हो, तो नहीं बढ़ना चाहिये । और न घटना ही चाहिये अब इसमें कुछ त्रुटियां तो हैं ही, लेकिन वे कुछ टेक्निकल हैं । जैसे गबन आदि ही हों तो गवर्नमेंट कुछ एक्शन ले सकती है, ऐसी हैं नहीं । फिर भी अभी हिसाब मांगा गया है ।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)---

३० जिलों की जेलों में गड़बड़ी का पता सरकार को कब चला और कब सरकार की तरफ से आदेश गये ?

श्री गोविन्दसहाय---

कुछ गलतफहमी है इस संबंध में । जो सामान जेल डिपों में जेलो से आता है उसमें गड़बड़ी है । उसकी फिगर्स सब २-३ महीने में इकट्ठी हो जायेंगी । जेलों में गड़बड़ी का प्रश्न थोड़े ही है ।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)---

यह जो रकमें राइट आफ की गयीं, यह वैसे ही राइट आफ कर दी गयीं, या उनकी पहले कोई जांच भी हुई थी ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---

सन् ५२ में कुछ गड़बड़ी थी, विद्यार्थियों ने जेल डिपो का कुछ सामान आदि लूटा था । १३३८ की वह रकम थी, उसको राइट आफ किया गया । सन् ५५, से अप्रैल, ५८ तक १ रुपये २९ नये पैसे के माल की कमी थी, उसको राइट आफ किया गया । सन् १९४४ से ५०-५१ तक ५५७ रुपये २५ नये पैसे की कमी थी, मगर इसमें कुछ माल ज्यादा भी पाया गया, इसके एडजेस्टमेंट के लिये आदेश दे दिये गये । सन् १९५१-५२ से १९५४-५५ के हिसाब में १४५ रुपये ६७ नये पैसे के माल की कमी थी, मगर इसमें भी ३११ रुपये ६९ नये पैसे का माल ज्यादा पाया गया, उसके एडजस्टमेंट के लिये भी आदेश दे दिये गये हैं ।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट---

मैंने तो यह पूछा था कि राइट आफ के पहले जांच हुई थी ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

जांच के बाद तो यह पता ही चला ।

श्री नरसिंह नारायण पांडेय--

जिन चीजों को राइट आफ किया गया, तो राइट आफ करने की वजह क्या थी, क्यों यह करना पड़ा ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

चूंकि विद्यार्थियों के झगड़े की वजह से कुछ सामान चला गया और वह किसी तरह से पूरा नहीं हो सकता था, इसलिये राइट-आफ किया गया ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

इन गड़बड़ियों के कौन लोग जिम्मेदार पाये गये और उनके विरूद्ध डिपार्टमेंटल कार्यवाही कुछ की गई ?

श्री गोविन्दसहाय--

जैसा कि उत्तर में बताया गया, १३३८ रुपये का सामान स्टूडेंट्स के डिमांस्ट्रेशन में गया । किसी एक पर जिम्मेदारी एपोर्शन करना बड़ा मुश्किल था । बाकी एडजस्टमेंट की चीजें हैं, उनमें टेक्निकल गल्तियां हैं इसलिये कोई ऐक्शन नहीं लिया गया ।

श्री हिम्मतसिंह--

बट्टेखाते में सामान किसके आर्डर से डाला गया ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

कारागार महानिरीक्षक के आदेश से ।

श्री रघुनाथसिंह--

इन गड़बड़ियों में क्या एक भी नीयत की गड़बड़ी नहीं थी ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

जितने रुपये की एक जगह कमी पाई गई लगभग उतने ही रुपये का सामान दूसरी जगह पाया गया ।

श्री उग्रसेन--

क्या मंत्रीजी को ज्ञात है कि जिस समय इतने रुपये के सामान की गड़बड़ी हुई उस समय जेल डिपो के इन्चार्ज ने दरी की जगह डस्टर रख दिया और बाद में विद्यार्थियों के कारण वह गड़बड़ी बतला दी ?

श्री गोविन्दसहाय--

ऐसी जानकारी नहीं है ।

*३--श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

[५ मार्च, १९६३ के लिये प्रश्न २४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

छाता टाउन एरिया

*४--श्री लखीसिंह (जिला मथुरा) (अनुपस्थित)--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिले की छाता टाउन एरिया से कितनी सालाना आमदनी है ? क्या यह सही है कि उक्त टाउन एरिया में बहुत गन्दगी है जिससे जाटों की बस्ती में बीमारी फैलने का अन्देशा है ?

नोटः--तारांकित प्रश्न ४ श्री काशीनाथ मिश्र ने पूछा ।

स्वायत्त शासन मंत्री के सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

मथुरा जिले की छाता टाउन एरिया से कोई आमदनी का सवाल स्पष्ट नहीं है। यदि सदस्य महोदय का मतलब कमेटी की सालाना आमदनी से है तो वह लगभग १७,८५० रु० है। इस टाउन एरिया में कोई गन्दगी नहीं है और न जाटवों की बस्ती में बीमारी फैलने का अन्देशा ही है।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

क्या माननीय मंत्रीजी मेरी सूचना को बिलकुल सही मान कर, क्योंकि छाता टाउन एरिया की हालत को मैंने अच्छी तरह देखा है, जाटवान बस्ती का फिर से निरीक्षण करायेंगे और गन्दगी पाने पर कोई सुधार करायेंगे ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—

ऐसे प्रश्नों पर गन्दगी की क्या परिभाषा की जाय यह दिक्कत हो जाती है। साधारणतया हर शहर में रोज गन्दगी पैदा होती है और रोज सफाई की जाती है। तो इनकी परिभाषा में वह गन्दगी हो सकती है। साधारण परिभाषा में जो गन्दगी होती है उतनी वहां पर नहीं है।

श्री राधेश्याम शर्मा—

छाता टाउन एरिया में जाटवान बस्ती में मकान बिलकुल टूटे पड़े हैं, नालियां सड़ी गली रहती हैं, लोगों का रहना बड़ा मुश्किल है। अगर यह परिभाषा गन्दगी की नहीं है तो फिर सफाई की परिभाषा आप बता दें। तो क्या मंत्रीजी इसका सुधार करायेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

[सोमवार, ४ मार्च, १९६३ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१-३—श्री छेदालाल चौधरी (जिला खीरी)—

[१८ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किये गये।]

कोंच तहसील में "डांग भकरौल" जंगल की सीमा में परिवर्तन के लिए प्रार्थना

*४—श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला जालौन में कोंच तहसील के भकरौल ग्राम में वन विभाग की सीमा आबादी के कुओं और मकानों से मिली हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनता के हित में उसे १०० गज दूर करने पर विचार करेगी ताकि जनता को जानवरों को चराने के लिये ले आने जाने में सुविधा हो ?

वन मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)—

जी हां। वन का सही नाम "डांग भकरौल" है। वन की सीमा इस गांव के समीप होकर निकलती है परन्तु इस सीमा के पास होने से इस गांव के निवासियों को कोई कष्ट नहीं होता। गांव के लोगों व जानवरों को इस वन से निकलने की बे रोकटोक आज्ञा है, अतः वन की सीमा को १०० गज दूर हटाने से कोई लाभ नहीं होगा। इण्डियन फारेस्ट ऐक्ट की धारा ४ के अन्तर्गत यह वन विज्ञप्त हो चुका है, इस कारण जब तक वन बन्दोबस्त अधिकारी वन की सीमा का निर्णय न कर लें, इस विषय में किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जा सकती।

श्री विजयसिंह—

मंत्रीजी की ओर से उत्तर आया है कि ग्रामवासियों को कोई कष्ट नहीं होता है। मेरे पास करीब १०० आदमियों का प्रार्थना पत्र आया है कि वहां बहुत लोग परेशान हैं कि उनके जानवर बांधने के लिये कोई जगह नहीं है। क्या सरकार ने उनकी जानवरों के बांधने की असुविधा पर विचार किया है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल---

सरकार के पास ऐसा कोई प्रार्थना-पत्र नहीं आया है। हमारी तो सूचना यह है कि कोई रुकावट इस जगल में गाय चुगाने की या रास्ते की नहीं है विभाग की ओर से।

श्री विजयसिंह---

जब तक वन बन्दोबस्त अधिकारी सीमा निर्णय न करें तब तक वहां के किसानों को जानवर बांधने की आज्ञा दिये जाने पर सरकार सोचेगी ?

श्री हरीदत्त कांडपाल---

वहां अभी भी कोई रुकावट नहीं है।

श्री विजयसिंह---

जब तक यह वन बन्दोबस्त अधिकारी अपना निर्णय न दे दें तब तक सरकार वहां जानवर बांधने की आज्ञा देगी ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह सवाल हो चुका है।

श्री ऊदल---

वन विभाग का गांव वालों से काफी झगड़ा रहता है, तो क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि वन विभाग का प्लान्टेशन कुछ हिस्से को छोड़ कर किया जाय ताकि गांव वालों से झगड़े न हों ?

श्री हरीदत्त कांडपाल---

प्लान्टेशन का इसमें कोई सवाल नहीं है। चूंकि आपने इजाजत दे दी है, मेरा निवेदन है कि गांव वालों और फारेस्ट वालों के बीच झगड़ों के कारण ही फारेस्ट सैटिलमेंट होता है। फारेस्ट सैटिलमेंट का अफसर जुडिशल अधिकारी होता है और उसकी जुडिशल प्रोसीडिंग्स होती हैं जिनमें फारेस्ट विभाग और दूसरे लोग पार्टी होते हैं।

*५---श्री विजयसिंह---

[१८ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किया गया।]

श्री चन्द्रबलीसिंह का पत्र

*६---श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)---

क्या रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि २२ जनवरी, १९६३ को प्रश्नकर्ता ने जिला पूर्ति अधिकारी को कोई पत्र लिख कर सस्ते गल्ले की दूकानों में, गल्ले रिटेल भाव से महंगे बेचे जा रहे हैं, की सूचना दी है और उसके कारणों पर प्रकाश डाला है ? यदि हां, तो क्या सदन की मेज पर उस पत्र की प्रतिलिपि रखने की कृपा करेंगे ? पत्र में महंगा गल्ला बेचने के जो कारण दिये गये हैं क्या उन्हें दूर करने के लिये तत्काल को कदम उठाया जायेगा ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

रसद उपमंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)---

जी हां, पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखी है। जांच से प्रतीत होता है कि गल्ले महंगे दामों पर नहीं बेचे जा रहे हैं। अतः कथित कारणों तथा उनके दूर करने का प्रश्न नहीं उठता।

(दखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६७९ पर)

श्री चन्द्रबलीसिंह---

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह जांच किन-किन गांवों में, किन-किन दूकानों पर और किसके द्वारा हुई और किन किन किसानों से इसमें गवाही ली गई ?

रसद मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)--

इन बारीकियों के लिये नोटिस देंगे, तब ही ये मंगाई जायेंगी, चूंकि यह जांच आपकी ही रिपोर्ट पर हुई है ?

श्री चन्द्रबलीसिंह--

अभी तक क्या रिपोर्ट मंगाई थी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

आपने जो बातें लिखी थीं वे गलत पाई गईं ।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

माननीय मंत्रीजी ने बताया कि जैसा इसमें लिखा है, प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखी है । इस प्रतिलिपि में वह नहीं है । तो यह गलतबयानी क्यों हुई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जो आपने कहा था कि ऊपर के भाव पर बेचा जा रहा है वह स्पष्ट लिखा है कि नहीं बेचा जा रहा है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

अगर जांच करने वाले अफसर ने माननीय चन्द्रबली सिंह जी से पूछतांछ नहीं की तो क्या उन्हें आप उनसे पूछने का आदेश देंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

चन्द्रबलीसिंह जी ने तो सरकार के पास कोई पत्र नहीं दिया । आपने दिया था सप्लाई अफसर के पास । उन्होंने जो उत्तर दिया वह उनके पास भेज दिया गया है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

तो क्या माननीय खाद्य मंत्रीजी सप्लाई अफसर को ही इस बात का आदेश देंगे कि माननीय चन्द्रबली सिंह से वह सम्पर्क स्थापित करके उनकी सहायता लें ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

अगर वह कोई स्पैसीफिक बात सरकार को लिखकर दें कि इसमें ये खराबियां हैं तो हम उसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर लेंगे ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

सस्ते गल्ले की दूकानों पर अन्न इस समय किस भाव पर बेचा जा रहा है और बाजार भाव क्या है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

अलग-अलग दूकानों पर अलग अलग रेट्स हैं । जिलों में भी अलग हैं । आमतौर पर २ सेर १० छटांक का गेहूं सरकारी चलता है । अब इसमें आपने लिखा है कि बाजार में ज्यादा बिक रहा है । जब बाजार में २ किलो ५०८ ग्राम प्रति रुपया बिकता है और सरकारी दूकान पर २ किलो ७० ग्राम मिलता है तो फिर सरकारी दूकान से कोई क्यों लेगा ? यह मोटी सी बात है । इसके अलावा आपने लिखा है कि घूंस लेते हैं, माल रात में उठवाते हैं, आदि-आदि बातें लिखी थीं, इनकी जांच कराई गयी तो ये शिकायत गलत पायी गयीं ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

माननीय मंत्रीजी ने जो उत्तर दिया है वह सप्लाई आफीसर की रिपोर्ट पर दिया है और चन्द्रबली सिंह जी इस आदरणीय सदन के एक सम्मानित सदस्य हैं, लेकिन मंत्रीजी सप्लाई आफीसर की बात को ज्यादा वजन दे रहे हैं जो रिश्वतखोरी के आधार पर अपना शासन चला रहा है । एक माननीय सदस्य की प्रतिष्ठा का सवाल है । एक मामूली से नौकर की बात माननीय मंत्रीजी सही कहते हैं । मैं इसकी भर्त्सना करता हूं । मंत्रीजी इसका कारण बतायें ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

इसमें कि ी के ऊपर विश्वास अथवा अविश्वास की बात नहीं है। आपने एक जनरल टर्म में कह दिया था कि सब जगह रेट बढ़ा हुआ है। अगर आप कोई स्पेसिफिक दूकान का नाम लेते तो उसका उत्तर स्पेसिफिक जांच करा कर दिया जाता।

श्री उग्रसेन--

क्या माननीय मंत्री जी को सूचना है कि देवरिया में यही सप्लाई आफीसर था जिसके खिलाफ सीमेंट, लोहा, आदि की चोरी के आरोप लगाये गये थे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

इस वक्त मुझे स्मरण नहीं है। हो सकता है कि ऐसी शिकायतें हुई हों।

श्री कल्पनाथसिंह--

प्रार्थना-पत्र की जो प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखी गयी है, उसमें कौन-कौन बातें लिखी गयीं हैं जिनकी जांच करायी गयी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

शिकायतें ये थीं कि ब्लेक से गल्ला बेचा जाता है, घूंस ली जाती है, आदि।

*७--श्री चन्द्रबलीसिंह--

[१८ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किया गया।]

*८-९--श्री कल्पनाथसिंह--

[१८ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किये गये।]

गोरखपुर जिले में सीमेन्ट के परमिट

*१०--श्री कल्पनाथसिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले में अक्तूबर, १९६२ से ३१ जनवरी, १९६३ तक कितने ऐसे सीमेंट के परमिट हैं जो २० बोरे या इस से अधिक के हैं और वे किस-किस व्यक्ति को किस-किस कार्य के लिये दिये गये ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

४२० परमिट दिये गये। जिन व्यक्तियों को ये परमिट दिये गये, उनके नाम तथा जिस कार्य के लिये दिये गये उसका विवरण संलग्न तालिका† में दिया गया है।

श्री कल्पनाथसिंह--

श्रीमन्, इस ४२० की लिस्ट में से मैं जानना चाहता हूं कि क्रम संख्या १३६, २१६, २१७, २१८, २१९, २२०, २४३, २४९, ३७१, ३७३, ३७४, ३७५, ३७६, ३७७, और ३९५ पर जो परमिट इश्यू किये गये हैं वे क्या एक ही व्यक्ति को अथवा उसी के भाई भतीजों को दे दिये गये हैं ? उनका टोटल क्या है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

श्रीमन्, यह तो ४२० का गोरखपुर का मामला है इसके बारे में माननीय सदस्य ही ज्यादा जानते होंगे। अगर वे हमें लिख कर दें तो पता लगा लें कि रिश्तेदार हैं या क्या हैं ?

श्री कल्पनाथसिंह--

सरकारी सूचना के आधार पर मैं जानना चाहता हूं कि इन परमिटों पर कुल कितने बोरे सीमेंट के दिये गये ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

५० बैग के ३७७ परमिट दिये गये, १०० बोरी के २२ परमिट दिये गये, १५० बोरी के ३ परमिट दिये गये और २०० बोरी के १८ परमिट दिये गये।

---

† छापी नहीं गई।

श्री कल्पनाथ सिंह--

क्या माननीय मंत्री जी उन तीन परमिट लेने वाले व्यक्तियों के नाम बतलाने की कृपा करेंगे जिनको १५० बोरी के परिमिट दिये गये ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

अलग-अलग आदमियों के नाम मेरे पास नहीं है ।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)--

क्या माननीय मंत्री जी इन परमिटों के देने के लिये कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे एक आदमी को या एक परिवार को एक से अधिक परमिट न मिल सके और वह परमिट भी प्राथमिक रूप से जो सहकारी संस्थायें हैं या स्कूल कालेज जैसी संस्थायें हैं उनको दिये जायं ताकि एक व्यक्ति कई नामों से कई परमिटें लेकर काफी मुनाफा न कमा सके ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

यह तो गवर्नमेंट की तरफ से हिदायत है ही कि पहले छोटे रिपेयर्स के लिये दें, उसके बाद नये कामों के लिये दें और संस्थाओं को पहले दें । अब डिस्क्रिशन में कोई गल्ती हो गयी, जैसा कि आप फरमा रहे हैं, तो आप नाम लिख कर दें कि एक ही परिवार के फलां फलां आदमी को परमिट दिया गया, फिर उसकी हम जांच करा लेंगे कि ऐसा क्यों किया गया । जिला स्तर पर जो जिले के अधिकारी हैं वही इसको देखते हैं कि वास्तविकता क्या है ।

श्री कल्पनार्थसिंह--

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्रम संख्या ४,७०,१२०, २७८, और ३८१ पर एक ही व्यक्ति श्री श्रद्धानन्द त्रिपाठी को परमिट दिये गये हैं जो गोरखपुर शहर कांग्रेस कमेटी के प्रेसीडेंट हैं ? यदि हां, तो सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इसमें कुल कितने बोरे इनवाल्ड हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--

इस सूची में तो कहीं नहीं लिखा है कि वे शहर कांग्रेस कमेटी के प्रेसीडेंट हैं । मुमकिन है कि इसमें पी० एस० पी० और एस० पी० के प्रेसीडेंट भी हो सकते हैं । अगर आप कोई स्पेसिफिक प्रश्न पूछना चाहते हैं जो इसके लिये सूचना चाहिये ।

श्री कल्पनार्थसिंह--

जिन परमिट नम्बरों का हवाला दिया गया है, मैं जानना चाहता हूं कि इन नम्बरों पर कितने बोरे दिये गये ? इसको बतलाने में सरकार को क्या दिक्कत है ?

श्री उपाध्यक्ष--

अब ४२० की सूचना इस वक्त तो बतलायी नहीं जा सकती, इसमें तो टाइम लगेगा ।

श्री कल्पनार्थसिंह--

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि श्री त्रिलोकनाथ त्रिपाठी, ग्राम खड़ेसरी को १५० बोरी का परमिट दिया गया है और इसी तरह से एक परमिट श्री श्रद्धानन्द त्रिपाठी को दिया गया है तथा एक तीसरे साहब, जिनको परमिट दिया गया है उनका नाम भी सरकार स्वयं बतलाने की कृपा करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

मैं पहले कह चुका हूं कि किसको कितना दिया गया, यह सवाल नहीं पूछा गया था, इसके लिये सूचना की जरूरत है । इस बात का मुझे सख्त अफसोस है कि गोरखपुर जिले में इस तरह से ४२० का काम चल रहा है ।

श्री राधेश्याम शर्मा--

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब सारे उत्तर प्रदेश में किसी को भी एक बोरी या दो बोरी से अधिक नहीं मिलता तो गोरखपुर जिले में एक एक आदमी को सौ सौ और डेढ़-डेढ़ सौ बोरे सीमेंट का परमिट कैसे दे दिया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

श्रीमन्, यह गोरखपुर का कोटा ही है, यह उसकी खुशकिस्मती है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या मंत्री जी इस बात की जांच कराने की कृपा करेंगे कि आजकल गोरखपुर में जो सप्लाई आफिसर हैं वह जहां से ट्रांसफर होकर आये हैं वहां पर भी उनके खिलाफ गबन और परमिट का ब्लैक करने के मामले आज भी अदालत में चल रहे हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

अगर पांडेय जी साफ शब्दों में इन परमिटों का ब्योरा लिख कर देंगे तो जरूर जांच करावेंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो तालिका सदन की मेज पर रखी गई है उसको पढ़ने से मालूम होता है कि २-४ व्यक्ति ऐसे हैं जैसे श्रद्धानन्द त्रिपाठी, श्री टी० एन० त्रिपाठी वगैरह जिन को ८-१० परमिट दिये गये हैं, मैं चाहूंगा कि इसकी इन्कवायरी की जाय कि यह परमिट किस काम के लिये दिये गये हैं, उत्तर में बताया गया है कि यह परमिट नव-निर्माण के लिये दिये गये हैं लेकिन हमारी जानकारी है कि एक भी नव निर्माण नहीं हुआ है और यह सारे परमिट जो दिये गये हैं वह सब ब्लेक में बेचे गये हैं जैसा कि श्री जे० पी० मिश्र ने कहा भी है कि क्या वह भूखे मर जायं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

मैं दरख्वास्त करूंगा कि वह उन आदमियों के नाम लिख कर दे दें, मैं इंकवायरी करा लूंगा।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि इस सदन में एक परम्परा रही है कि जब कोई सदस्य किसी जांच के लिये प्रश्न करता है तो मंत्री जी उसकी जांच करा लिया करते थे, लेकिन अब यहां एक दूसरी प्रथा चल रही है कि वह यहां शर्तिया जवाब देते हैं और बाद में कहते हैं कि अगर माननीय सदस्य लिख कर देंगे तो जांच करा ली जायगी। तो इस तरह से सदन का समय नष्ट किया जाता है जब कि यहां लाखों रुपया सदन पर व्यय होता है, इसके ऊपर वह क्यों नहीं तवज्जह देते हैं, क्या कारण है ?

श्री उपाध्यक्ष--

अगर मंत्री जी कहते हैं कि लिख कर भेज दें, जांच करा लेंगे, तो यह ठीक है, यह कोई नई परम्परा नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

लिखने की बात नहीं है मैंने वही कहा है कि जो उनके उत्तर में दिया है, वह जो रिपोर्ट आई है उसकी इन्कवायरी कराने को कहते हैं इस में लिखकर क्या चाहते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

उसकी जांच तो वह करायेंगे।

श्री उग्रसेन--

आपने आदेश दिया है कि वह जांच करायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

वह मुनासिब समझते हैं वह करायेंगे और जो प्रश्नों में स्पष्ट कहा गया है उसकी जांच वह करायेंगे।

*११-१२--श्री संतसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)--

[१८ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किये गये।]

सितारगंज कैम्प जेल में अनियमितताओं की जांच

*१३--श्री हिम्मतसिंह--

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जेल विभाग में ऐडीशनल आई० जी० जेल्स की पोस्ट नयी बनाकर श्री हरिश्चन्द्र सक्सेना, डी० आई० जी० को रखा जा रहा है ? क्या यह सच है कि उनके खिलाफ सम्पूर्णानन्द कैम्प, सितारगंज, जिला बरेली तथा गवर्नमेंट यू० पी० जेल्स डिपो, से सम्बन्धित लगभग ३० लाख रु० का भ्रष्टाचार का आरोप ए० जी० यू० पी० ने लगाया है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

श्री सक्सेना को अतिरिक्त कारागार महा--निरीक्षक के पद पर नियुक्त करने का इस समय तो कोई प्रस्ताव नहीं है।

जी नहीं।

*१४--श्री हिम्मतसिंह--

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुपरिंटेंडेंट, सितारगंज कैम्प पर तीन-तीन चार्ज लगाये गये हैं और डी० आई० जी० (जेल) जिसके आदेश पर उसने काम किया उस पर चार्जशीट नहीं लगायी गयी थी ? उसका क्या कारण है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

वर्तमान अधीक्षक के विरुद्ध कोई चार्ज नहीं है। भूतपूर्व अधीक्षक से कुछ मामलों पर जवाब तलब किया गया है। उप कारागार महा निरीक्षक के विरुद्ध कोई चार्जशीट लगाने का प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि अधीक्षक कारागार महा निरीक्षक के आदेश से कार्य करते हैं।

*१५--श्री हिम्मतसिंह--

क्या कारागार मंत्री सितारगंज कैम्प जेल, यू० पी० में जो भ्रष्टाचार का आरोप ए० जी० यू० पी० ने अपने आडिट नोट में लगभग २५ लाख रु० का लगाया है उसकी सेंट्रल इंटेलिजेंस द्वारा जांच करने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

आडिट नोट में कुछ अनियमिततायें बताई गई हैं। उन पर जांच की जा रही है। सेंट्रल इंटेलीजेंस द्वारा जांच कराने का इस समय कोई प्रश्न नहीं उठता है।

श्री हिम्मतसिंह--

श्री हरिश्चन्द्र सक्सेना को अतिरिक्त कारागार महा निरीक्षक के पद पर इस समय नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, क्या इसके पहले हुआ था ?

श्री गोविन्दसहाय--

आपका मतलब है कि पहले कोई ऐसा प्रस्ताव हुआ था ? जी हां, सरकार ने इस प्रश्न पर गौर किया था और कुछ पेचीदगियों की वजह से कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री हिम्मतसिंह--

३० लाख का अगर भ्रष्टाचार नहीं है तो मंत्री जी बतायेंगे और क्या आरोप हैं ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

इसमें कुछ अनियमिततायें हैं, कोई ३० लाख रुपये के गबन का मामला नहीं है, कुछ आडिट में अनियमिततायें हैं उनको देखा जा रहा है।

श्री हिम्मतसिंह--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कितने की अनियमिततायें हैं ?

श्री गोविन्दसहाय--

असल में तीन बातों के संबंध म अनियमिततायें बतायी गईं । पहली बात तो यह है कि ट्रैक्टरों का किराये पर लेना, दूसरी गन्ने को खंडसारी व्यापारियों के हाथ बेचना और तीसरे भूसे की हानि । तो इसमें आडिट वालों का कहना था उन्होंने अपने कायदे के लिहाज से बताया था १ लाख रुपया का नुक्सान दूसरे लोगों के ट्रैक्टर से जुतवाने से हुआ है। डिपार्टमेंट से जवाब दिया जाता है कि आडिट वालों का अंदाज है कि २५० एकड़ पर एक ट्रैक्टर जोत सकता था। लेकिन उस इलाके का अनुभव यह बताता है कि १५०, १७५ एकड़ जमीन मुश्किल से होती है । तो आडिट वाले अपने दृष्टिकोण से एक नतीजे पर पहुंचे हैं अपने रूल्स के मुताबिक। लेकिन दुनिया में जगह-जगह पर जो बदले हुए हालात होते हैं उनसे काफी फर्क हो जाता है। इसलिये १ लाख रुपया ट्रैक्टर्स के किराये के संबंध में है। भूसे की हानि के संबंध में यह है कि कोई १२,१४ हजार मन भूसा था। एक्सप्लेनेशन जो विभाग के पास आया है उससे विभाग संतुष्ट है कि उस हालत में और कोई बात नहीं हो सकती थी ।

श्री हिम्मतसिंह--

मंत्री जी बतायेंगे यह किसके द्वारा चांज करायी गई कि १ लाख रुप का ट्रैक्टर्स के किराये में हेरफेर है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

आडिट आब्जेक्शन से उसका पता लगा ।

श्री ऊदल--

मंत्री जी को जानकारी है कि जो गन्ना बेचा गया खांडसारी को या मिलों को तो गन्ने का भाव जब १ रु० १० आना मन था, इन महाशय ने ६ आने और ९ आने मन के हिसाब से बेच दिया ?

श्री गोविन्दसहाय--

यह बात सही है कि गन्ने का जो केन कमिश्नर ने रेट नियुक्त किया था वह १.६३ पैसा था । सितारगंज कैम्प जहां पर है उससे ३२ मील पर फैक्ट्री पड़ती है तो जब दूसरों को देंगे तो हमारे लिये उसको वहां पर बेचना भी ८,९ आने मन पड़ता था । सितारगंज कैम्प में भी जो व्यक्ति गन्ना बेचते हैं वह भी ६०,७० पैसे में बेचते हैं। यह प्रश्न कई बार पहले डिस्कस हो चुका है और बताया गया कि जो बेहतर दाम मिल सकते थे उन पर बेचने की चेष्टा की गयी ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ३० लाख रुपये का भ्रष्टाचार ही मुख्य पेचीदगी है जिसके कारण ही श्री हरिश्चन्द्र सक्सेना की नियुक्ति इस पद पर स्थगित की गई है ?

श्री गोविन्दसहाय--

न कोई चार्ज है और न कोई कारण है, इसका कोई संबंध ही नहीं है। स्थगित करने वाला प्रश्न बिलकुल ऐडमिनिस्ट्रेटिव है। पहले सोचा गया था कि शासन व्यवस्था अधिक अच्छी चलेगी, लेकिन बाद में पता लगा कुछ अड़चनें हो सकती हैं इसलिये गवर्नमेंट ने पे किया उसके आधार पर फिलहाल यह मुनासिब समझा ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि चीफ सेक्रेटरी के रिश्तेदार हैं श्री हरिश्चन्द्र सक्सेना और उन्हीं की साजिश से यह नई पोस्ट बनायी गई और जब मामला सामने आया तो चीफ सेक्रेटरी की कृपा से ही यह मामला दबा दिया गया ?

श्री गोविन्दसहाय--

रिश्तेदार हैं कि नहीं, इसका ब्योरा हमारे यहां नहीं रहता है। जब आपने प्रश्न उठाया तो अंदाज लगा सकता हूं यह सक्सेना हैं और वह माथुर थे। भूतपूर्व सेक्रेटरी श्री जैन थे और उनके पहले वाले माथुर थे।

श्री उग्रसेन--

सितारगंज कैम्प का गन्ना जो ८ आने मन बेचा गया वह किस महाशय को बेचा गया ?

श्री गोविन्दसहाय--

इसका उत्तर पहले दिया जा चुका है, नाम मुझे इस समय याद नहीं है। इस सवाल पर पहले काफी वाद-विवाद हो चुका है, इसलिये मैं समझता नहीं था कि यह प्रश्न फिर उठेगा।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)--

जो गन्ना बेचा गया इसके लिये कोई टेंडर मांगे गये थे या बिना टेंडर के ही ८ आने मन में बेच दिया गया ?

श्री गोविन्दसहाय--

८ आने मन नहीं बेचा गया बल्कि ६५ नये पैसे मन बेचा गया। टेंडर मांगे गये और लोगों ने ऐप्लाई किया।

*१६--श्री डल्लाराम (जिला सीतापुर)--

[५ मार्च, १९६३ के लिये प्रश्न ४३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

नगरपालिका तथा टाउन एरिया का चुनाव

*१७--श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नगरपालिका और टाउन एरिया का चुनाव कब होने जा रहा है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

नगरपालिका तथा टाउन एरिया का सामान्य निर्वाचन संभवतः इस वर्ष अक्तूबर, नवम्बर माह तक हो सकेगा।

श्री कल्पनार्थसिंह--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस संबंध में चुनाव कराने के आदेश दिये जा चुके हैं या दिये जाने वाले हैं ?

श्री उग्रसेन--

क्या यह अंतिम वक्तव्य है कि अक्तूबर, नवम्बर तक चुनाव हो जायेंगे या इसमें भी हेर फेर की संभावना है ?

श्री कल्पनार्थसिंह--

श्रीमन्, मेरे प्रश्न का उत्तर तो मिला ही नहीं।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)--

कल्पनार्थसिंह जी के प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं आया है और उग्रसेन जी ने प्रश्न कर दिया। तो दोनों का उत्तर साथ दिलवा दें, ज्यादा अच्छा होगा।

श्री उपाध्यक्ष--

(मंत्री जी से) समय समाप्त हो रहा है इसलिये दोनों का उत्तर साथ दे दीजिये।

नोट--तारांकित प्रश्न १७ श्री कल्पनार्थसिंह ने पूछा।

श्री विचित्रनारायण शर्मा--

श्रीमन्, जैसा कि उत्तर में कहा गया है, चुनाव होने की संभावना अक्तूबर, नवम्बर में है। यह वक्त अभी बहुत दूर है और अभी से हिदायत देने की जरूरत नहीं है। जहां तक वार्ड्स के अलग-अलग करने का काम है, वह सब जारी है, किसी काम को रोका नहीं गया है, लेकिन इमीडियेटली इस समय कोई हिदायत देने की बात नहीं उठती है और मनुष्य का कोई भी ऐसा कहना कि यह कतई अंतिम है यह कहा नहीं जा सकता और न मैं कहना चाहूंगा।

लखनऊ में ऐशबाग रोड से दुकानें हटाना

*१८--श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ महापालिका के अधिकारियों द्वारा दिनांक ३ अथवा ४ फरवरी, १९६३ को ऐशबाग रोड स्थित दुकानों को बिना पूर्व सूचना तथा मोहलत दिये पुलिस की सहायता से बेरहमी पूर्वक उखाड़ कर फेंक दिया गया ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

नगरमहापालिका लखनऊ के कर्मचारियों द्वारा दिनांक ३-२-१९६३ को ऐशबाग रोड से कुछ अस्थायी अतिक्रमण हटवाये गये हैं क्योंकि इनके कारण यातायात में कठिनाई उत्पन्न होती थी। महापालिका कर्मचारियों के साथ पुलिस के एक सब-इन्स्पेक्टर तथा दो सिपाही गये थे ताकि वहां पर कोई अनुचित घटना न होने पाये। मुख्य नगर अधिकारी ने बताया है कि नगर महापालिका अधिनियम के उपबन्धों के अधीन इन अस्थायी अतिक्रमणों को हटाने के लिये पूर्व सूचना की आवश्यकता नहीं थी।

*१९--श्री रक्षपालसिंह--

यदि हां, तो क्या सरकार मामले की जांच करा कर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करेगी? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

उपर्युक्त स्थिति में इस मामले में जांच कराने अथवा आगे कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं मालूम होती।

श्री रक्षपालसिंह--

मंत्री जी बतायेंगे कि इसमें जो अतिक्रमण बताया गया है इसकी डिटेल्स क्या हैं, कितनी दुकानें, मकान और झोपड़ियां थीं और कितनी पुरानी थीं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

११ हैं--

१--पंजाब होटल की मिट्टी जो फुटपाथ पर थी हटाई गई।

२--डी० ए० वी० कालेज के पूर्वी कोने में एक साइकिल वाले की अनधिकृत झोपड़ी को गिराया गया।

३--मोतीनगर रोड के जंक्शन क पास नरेशचन्द, चक्की वाले का टिन का छप्पर गिराया तथा २५ रुपया हटाने का चार्ज जमा करने पर सामान उन्हें लौटा दिया गया।

४--फुटपाथ पर एकत्रित इमारती लकड़ी को हटाते समय श्री मेहमान सिंह ने यह प्रार्थना किया कि ट्रक पर लदी हुई लकड़ी छोड़ दी जाय। ५० रु० जमा करने पर यह लकड़ी छोड़ दी गई।

५--राजेंद्र नगर रोड के क्रासिंग के निकट सड़क की पटरी पर स्थित एक शेड हटा दिया गया।

६--पंडित गंगा प्रसाद द्वारा डी० ए० वी० कालेज के बराबर फुटपाथ पर एकत्रित लकड़ी का कुछ भाग हटा दिया गया। १० रु० रिमूवल चार्ज भी लिया गया।

७--मेसर्स करमजीत रोलिंग मिल्स द्वारा सड़क की पटरी पर निर्मित ३ शेड्स को गिरा दिया गया एक बाक्स जिसमें ताला बन्द था छोड़ दिया गया।

८--श्री त्रिवेदी द्वारा पटरी की भूमि पर एकत्रित इमारती लकड़ी हटाई जा रही थी लेकिन ३० रुपया रिमूवल चार्ज जमा करने पर उन्हें वापस दे दी गई।

९--ऐशबाग पोस्ट आफिस के पास सड़क पर निर्मित दो भट्टी तथा टट्टर शेड हटा दिये गये।

१०--श्री लालता प्रसाद ने अपनी दूकान के अलावा अतिरिक्त अतिक्रमण कर रखा था। उन्होंने उसे हटाने का आदेश पाने पर हटा दिया।

११--श्री लाभसिंह की दूकान के सामने सड़क की पटरी पर निर्मित २४ बाई १० फिट का टिन शेड अंशतः महापालिका- कर्मचरियों द्वारा तथा शेष उनके आदमियों द्वारा हटाया गया।

श्री रक्षपालसिंह--

ये कितने पुराने हैं, यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--

दो साल के अन्दर के हैं इसलिये हटा दिये गये हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र--

जो लोग हटा दिये गये हैं उनको क्या सरकार अन्यत्र जगह देने की व्यवस्था कर रही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--

जी नहीं।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)--

दूकानें हटाने से पहले क्या उनको दूसरी जगह बसने की व्यवस्था कर दी जाती है ताकि उनको तकलीफ न हो, क्योंकि यह शहर का मामला है ?

श्री उपाध्यक्ष--

इसका जवाब आ चुका है।

श्री बलवानसिंह--

मुकम्मल जवाब नहीं आया है। आधा जवाब है।

श्री विचित्रनारायण शर्मा--

यह जिम्मेदारी सरकार नहीं ले सकती है कि जो आदमी दूकान बना कर बैठ जाय और उसको हटाया जाय तो पहले उसका कहीं इन्तजाम कर दिया जाय। यह ना मुमकिन है।

तराई क्षेत्र में हाथियों का उत्पात

*२०--श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तराई क्षेत्र के तीन-चार डिवीजनों और प्लान्टेशन डिवीजन के अन्तर्गत सैकड़ों एकड़ भूमि पर लगाये गये नये पौधों को हाथियों के उत्पात से बचाने के प्रश्न पर सरकार द्वारा कोई विचार किया जा रहा है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

जी नहीं, क्योंकि कथित क्षेत्र में कोई ऐसा अधिक उत्पात् नहीं हुआ है।

*२१--श्री राजेन्द्रसिंह--

यदि हां, तो सरकार ने क्या योजना बनायी है तथा उसे कब से लागू किया जा रहा है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

प्रश्न नहीं उठता।

श्री राजेन्द्रसिंह—

इस बात को सूचना मानकर क्या इसकी जांच कराई जायगी ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

उत्पात हुआ है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हुआ है कि जो गंभीर समस्या हमारे सामने बन जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

ऐसा उत्पात नहीं है कि उसमें बड़ी गंभीरता हो। इसलिये जांच कराने की आवश्यकता वह महसूस नहीं करते।

श्री राजेन्द्रसिंह—

बहुत बड़ा उत्पात न हुआ हो लेकिन कितनी भूमि क्षतिग्रस्त हुई है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

हाथियों के उत्पात से भूमि को क्षति नहीं पहुंचती केवल पौधों तथा फसल को ही वे नुकसान पहुंचाते हैं।

*२२–२३—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

[१८ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किये गये।]

*२४—श्री चिरंजीलाल जाटव (जिला एटा)—

[१८ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किया गया।]

*२५–२७—श्री गुप्तारसिंह (जिला रायबरेली)—

[५ वें शुक्रवार के लिये प्रश्न ७३–७५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*२८—श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—[७ वें गुरुवार के लिये प्रश्न ९७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*२९–३०—श्री सुखदेवप्रसाद तथा श्री सूरजलाल गुप्त वकील (जिला गोंडा)—

[१८ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किये गये।]

साइकिल कर

*३१—श्री ऋषिनारायण शास्त्री (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिस प्रकार उसने नगर महापालिका को नगरमहापालिका अधिनियम में देहात की साइकिलों पर टैक्स लगाने का अधिकार दिया है, उसी प्रकार क्या सरकार जिला परिषदों को भी शहर की साइकिलों या अन्य सवारियों पर ऐसा ही टैक्स लगाने का अधिकार देने को तैयार है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

प्रश्न की यह पूर्वमान्यता (Presumption), कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम १९५९ में नगर महापालिकाओं को देहात की साइकिलों पर कर लगाने का अधिकार दिया गया है, सत्य नहीं है। उक्त अधिनियम की धारा १७२ (१) (ख) के अनुसार केवल उन्हीं गाड़ियों पर कर लग सकता है जो किराये पर चलती हों या नगर की सीमा के भीतर रखी गयी हों (plying for hire or kept within the city)।

प्रश्न के दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता।

*३२—श्री ऋषिनारायण शास्त्री—

क्या सरकार को पता है कि इस साइकिल टैक्स से देहात के आदमी किस प्रकार नगरमहापालिका के कर्मचारियों द्वारा परेशान किये जा रहे हैं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

ऐसी कोई शिकायत सरकार के पास नहीं आई है।

श्री ऋषिनारायण शास्त्री—

जहां तक बनारस म्युनिसिपल बोर्ड का ताल्लुक है, मैं यह जानता हूं कि आज भी ज्यादा से ज्यादा देहात की साइकिलों पर ही टैक्स लगता है तो क्या इस तथ्य के सम्बन्ध में सरकार जांच करेगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—

जांच करने का सवाल इसलिये नहीं उठता है कि किस की साइकिल को देहात की कहा जाय और किस को शहर की कहा जाय इसमें विवाद हो सकता है और इस विवाद को म्युनिसिपल बोर्ड या नगरमहापालिका अपने विवेक से ही तय कर सकता है या अदालत तय कर सकती है।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—

जो लोग दूध लेकर आते हैं देहात से उनकी साइकिल पर भी क्या टैक्स वसूल किया जाता है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—

यह प्रश्न कानून का है जो रोज आता है और शहर में इस्तेमाल करता है उसे माना जायगा या नहीं, यह तो व्यवस्था का सवाल है। यह कोर्ट के जरिये तय हो सकता है। कानून इस सदन में माननीय सदस्यों ने पास किया है, मैं अकेले कैसे कोई राय दे सकता हूं ?

श्री गिरधारीलाल (जिला वाराणसी)—

बनारस में साइकिल पर टैक्स उन सीमाओं पर लिया जाता है जो कि देहाती क्षेत्र में लगी हुई हैं। क्या माननीय मंत्री जी इस बात को सूचना मान कर इस बात की जांच करायेंगे कि वहां जहां भी देहात पर सीमायें मौजूद हैं वहां इस तरह का टैक्स साइकिलों को रोक कर लिया जाता है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—

अगर यह लिख कर दिया जाय तो मैं इन्क्वायरी करा सकता हूं। बाकी यह प्रश्न भी महानगरपालिका के अधिकार की बात है। उसमें गवर्नमेन्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

*३३–३४—श्री बंकटासिंह (जिला खीरी) तथा श्री छेदालाल चौधरी—

[१८ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किये गये।]

*३५–३६—श्री झारखंडेराय—

[५ मार्च, १९६३ के लिये प्रश्न ४४–४५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

अतारांकित प्रश्न

कमालगंज में लो-इन्कम-ग्रुप हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत ऋण

१— श्री सूबेदारसिंह (जिला मैनपुरी) तथा श्री महरामसिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

१—विधान सभा के प्रथम सत्र (१९६२) के दसवें सोमवार को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २७ तथा २८ के सम्बन्ध में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले के कमालगंज टाउन में जिन सात व्यक्तियों को लो-इन्कम-ग्रुप हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक द्वारा ऋण दिया गया था, वह सब रुपया उन लोगों ने अनुचित एवं अवैधानिकता ढंग से लिया था ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—

लो इन्कम ग्रुप हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत इन सात लोगों को उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक द्वारा ऋण दिया गया था। बैंक द्वारा किसी भी व्यक्ति को ऋण देने में कोई अवैधानिकता तथा अनुचितता नहीं हुई।

नोट—तारांकित प्रश्न ३२ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

२—श्री सूबेदारसिंह तथा श्री महरामसिंह—

यदि हां, तो उनके विरुद्ध शिकायतों की जो जांच चल रही थीं, उसमें क्या-क्या बातें अवैधानिक पायी गयीं ? सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—

शिकायतों के बारे में बैंक द्वारा जांच की जा रही है। अभी तक की जांच से इतना ज्ञात हुआ है कि इन सात व्यक्तियों में से दो व्यक्तियों ने मकान टाउन एरिया की सीमा पर इस प्रकार बनायें हैं कि इनका प्रयोग पाठशाला के रूप में किया जा सके। यह भी ज्ञात हुआ है कि इन लोगों के नक्शे टाउन एरिया के जिन सदस्यों अथवा उपाध्यक्ष ने स्वीकृत किये थे, उन्हें कमेटी द्वारा नक्शे पास करने का अधिकार नहीं दिया गया था। इस विषय में अभी जांच-पड़ताल जारी है।

३—श्री सूबेदारसिंह तथा श्री महरामसिंह—

क्या यह सही है कि इन ऋण लेने वाले लोगों ने इस रुपये का उपयोग नियमों के विरुद्ध किया है और इन लोगों को ऋण लौटाने के लिये नोटिस दे दिये गये हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—

मकान बनाने के लिये दिये गये ऋण को पाठशाला-निर्माण में उपयोग किया जाना नियम विरुद्ध है, इस आशय से इन लोगों को ऋण वापस करने के लिये बैंक द्वारा नोटिस दिये गये थे जिनके उत्तर प्राप्त हो गये हैं तथा बैंक द्वारा इन पर विचार किया जा रहा है।

रायबरेली तथा सुल्तानपुर जिलों में मिट्टी के तेल का अभाव

४—श्री भगवानदीन (जिला रायबरेली)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जब मिट्टी के तेल का कंट्रोल हो गया है तब भी रायबरेली व सुल्तानपुर जिलों की सरहदों पर चार आने से छः आने बोतल के हिसाब से मिट्टी का तेल बिक रहा है, क्या सरकार इसके दाम निर्धारित करने का कष्ट करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

रायबरेली तथा सुल्तानपुर के सरहदी क्षेत्रों में क्रमशः ३० नये पैसे तथा ३१ नये पैसे प्रति बोतल मिट्टी के तेल का फुटकर भाव निर्धारित कर दिया गया है।

चावल की सरकारी खरीद

५—श्री रक्षपालसिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि :

(क) सन् १९६१ व १९६२ ई० में प्रदेश की सरकार ने चावल किस-किस भाव से खरीदा तथा सरकार ने उसको किस भाव से बेचा;

(ख) सरकार के पास उक्त चावल का कितना स्टाक बिकना बाकी है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

(क) वांछित सूचना की एक तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) लगभग ४८,००० मीट्रिक टन चावल सरकार के पास ३१ दिसम्बर, १९६२ को था।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ६८० पर)

६—श्री रक्षपालसिंह—

क्या सरकार इस समय सरकारी स्टाक के चावल को अन्य प्रदेशों में भी बेचने की अनुमति देती है ? यदि हां, तो क्या सरकार चावल व्यापारियों को तथा कूटने वालों को उनके प्रतिशत का तथा और भी चावल उन्हें दूसरे प्रदेशों में बेचने की अनुमति देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

राज्य सरकार के पास श्रेणी २ और २ (अरवा) का १०,००० मैट्रिक टन पुराना चावल ऐसा था जिसकी मांग सरकारी दुकानों पर नहीं थी। यह चावल व्यापारियों को इस अनुमति के साथ बेचा जा रहा है कि वे इस चावल को या उसी मात्रा में किसी अन्य श्रेणी के चावल को पश्चिमी बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान व आसाम को निर्यात कर सकते हैं। सरकार व्यापारियों को उक्त चावल के अतिरिक्त अन्य चावल को निर्यात करने की अनुमति देने का विचार नहीं रखती है क्योंकि लेवी स्कीम के अन्तर्गत चावल की खरीदारी राज्य में कन्ट्रोल दरों पर जारी है।

७--श्री रक्षपालसिंह--

क्या सरकार केन्द्रीय सरकार से सिफारिश करेगी कि उत्तर प्रदेश तथा बिहार प्रदेश का चावल का एक जोन बना दिया जाय जिससे उत्तर प्रदेश का चावल अधिक दामों पर बिक सके ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--

जी नहीं।

८-९--श्री जुगलकिशोर (जिला बदायूं) तथा श्री उल्फतसिंह यादव (जिला बदायूं)--

[१८ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किये गये।]

नगरपालिकाओं की विकास योजनायें

श्री हिम्मतसिंह--

१०--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश की नगरपालिकाओं एवं महानगरपालिकाओं की विकास योजनाओं का प्रबन्ध अब राज्य सरकार अपने हाथ में लेने का विचार कर रही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--

ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है परन्तु सरकार एक हाउसिंग व डेवलपमेन्ट बोर्ड बनाने की योजना पर विचार कर रही है। उक्त योजना को कार्यान्वित करने के लिये अधिनियम लाना होगा और सदन की अनुमति लाजमी तौर से लेनी ही होगी। उसी समय उस पर सही मानी में विचार हो सकेगा।

श्री हिम्मत सिंह--

११--क्या यह सत्य है कि प्रदेशीय सरकार द्वारा केन्द्रीय आयोजना आयोग की सलाह पर प्रदेश की समस्त नगर तथा महानगरपालिकाओं को एक परिपत्र भेज कर उक्त योजना के सम्बन्ध में परामर्श करने के लिये सम्बन्धित अधिकारियों को बुलाया गया है

श्री विचित्रनारायण शर्मा--

जी नहीं। पर मुख्य नगर अधिकारियों की मीटिंग में अभी हाल में इस प्रश्न पर भी विचार विनिमय हुये थे।

१२--श्री हिम्मतसिंह--

यदि हां, तो उक्त योजना क्या है तथा वह कब से लागू हो रही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--

उक्त योजना निश्चित होने पर ही बताई जा सकती है।

कार्य-सूची में दिये क्रम को बदलकर मुख्य मंत्री के वक्तव्य को प्राथमिकता देने पर आपत्ति

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)--

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा दुख है कि परसों जब मैं सदन में उपस्थित नहीं था.....

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। श्रीमन्, हमें जो कार्यक्रम मिलता है उसमें सदन का कार्यक्रम निर्धारित होता है। अब मैं नहीं समझ पाता हूं कि जिन विषयों को प्राथमिकता मिली हैं उनको बगैर लिए हुये किस नियम के मुताबिक आपने मुख्य मंत्री जी को वतव्य देने के लिये कहा है। वे वक्तव्य दे सकते हैं, उस पर मुझे आपत्ति नहीं है लेकिन किस नियम के मुताविक वे ऐसा कर रहे हैं? मेरा कहना यह है कि पहले कार्य-स्थगन वगैरह के प्रस्ताव आ जायं, इसके बाद वक्तव्य हो।

श्री उपाध्यक्ष—

मुख्य मन्त्री जी इम्पार्टेंट वक्तव्य देना चाहते हैं, उसे वे किसी समय दे सकते हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

यह तो कार्यक्रम के नम्बर ७ पर है।

श्री चन्द्रजीत यादव—

या तो आप नियमों को सस्पेंड करें वरना ठीक नहीं होगा। कार्यक्रम के ७ नम्बर पर यह विषय है, उस समय मुख्य मन्त्री जी अपना वक्तव्य दें। अन्यथा आप नियमों को सस्पेंड करें।

श्री उपाध्यक्ष—

देखिये, वह तो विविध वक्तव्य के लिये है, लेकिन मुख्य मन्त्री जी का यह इम्पार्टेंट वक्तव्य है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

विविध का प्रश्न नहीं है, मुख्य मंत्री जी आइटम नम्बर ७ पर बोलें।

श्री कल्पनार्थासिह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, इसमें नहीं लिखा हुआ है कि खास वक्तव्य फलां आइटम पर होगा या साधारण वक्तव्य पर प्राथमिकता मिलेगी। विविध शब्द को निकाल दिया जाय। इम्पार्टेंट हो या साधारण हो, वह आइटम ७ पर वक्तव्य होगा।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर कोई ऐसा वक्तव्य है जिससे सदन की कार्यवाही में सहायता मिले तो मुख्य मन्त्रीजी किसी समय दे सकते हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

वह तो बाद में हो जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—

वह इम्पार्टेन्ट है। इसको मैं एलाऊ करता हूं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

व्यवस्था का सवाल है। आप व्यवस्था कर दें, उसके बाद करायें।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था चाहता हूं। हम लोगों ने एडजर्नमेंट मोशन्स वगैरह दे रखे हैं। हो सकता है कि उनके बारे में ही मुख्य मन्त्री जी बयान देना चाहते हों। जब तक प्रश्न नहीं आ जाता है, उससे पहले बयान देने का क्या मतलब है? यह हमारे अधिकारों का कुठाराघात है। इसलिये उसे नम्बर पर ही लिया जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने उनको इजाजत दे दी है, वे वक्तव्य दे सकते हैं। (व्यवधान)

श्री रामसुन्दर पांडेय--
क्यों दे सकते हैं, कौन नियम है ?

श्री उपाध्यक्ष--
नियमों में है।

श्री उग्रसेन--
श्रीमन्, आप व्यवस्था दें कि सभी नियमों को मुअत्तल कर दिया है।

(न्याय मंत्री के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--
माननीय न्याय मन्त्री कुछ कहना चाहते हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय--
उपाध्यक्ष महोदय, आप जो फैसला कर रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष--
इस समय आप एलाऊ नहीं कर सकते हैं, यह आप ने कहा....

श्री रामसुन्दर पांडेय--
मैंने कहा है कि नियमावली आपके सामने है। आप घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। किसी नियम का निलम्बन कर दें वह बात दूसरी है लेकिन अजेंडा के मुताबिक आपको कार्य करना होगा, जब तक कोई सदन का फैसला नहीं हो जाता है। यह नियमावली हमारे सामने मौजूद है कि अजेंडा के मुताबिक ही आप काम कर सकते हैं, अलावा नहीं कर सकते हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र--
आप यह कह दें कि नियमों का निलम्बन हो गया।

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)--
माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री रामसुन्दर पांडेय--
वह कौन बोलने वाले है ? व्यवस्था का सवाल तो मैंने आप से किया है।

श्री उपाध्यक्ष--
प्वाइंट आफ आर्डर पर मैंने उनको बुलाया है। मैं उनको सुन सकता हूं।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)--
आप मुझे इस बात का विश्वास दिलाएं कि उनके बोलने के बाद इस विषय पर इधर की सब बातें सुनने के बाद आप व्यवस्था देंगे। यह आप जान लीजिये।

श्री सैयद अली जहीर--
मैं आपकी तवज्जह रूल ३१९ पर दिलाना चाहता हूं। उसमें लिखा हुआ है कि किस आर्डर में काम होगा। पहले लफ्ज यह हैं--

"Unless the Speaker otherwise directs, the relative precedence of the classes of business before the House specified below shall be in the following order,"

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)--
माननीय उपाध्यक्ष जी, इस सदन की भाषा हिन्दी है। हिन्दी में प्रक्रिया नियमावली छपी हुई है। तो क्यों कोई मन्त्री अंग्रेजी में पढ़ता है ?

श्री काशीनाथ मिश्र--
हिन्दी में पढ़ें। नहीं तो उर्दू में पढ़ें। हम उसमें सुन सकते हैं। अंग्रेजी न पढ़ें।

श्री सैयद अली जहीर--

इसके मानी यह हैं कि अजेंडा में जो काम छपा हुआ है वह इस हिसाब से छपा हुआ है जैसा ३१९ में लिखा हुआ है, लेकिन जो भी आर्डर देंगे उस आर्डर में सब से सुप्रीम पावर स्पीकर की है, हर वक्त उसको अख्तियार है कि उस आर्डर को बदल दे और जिस आर्डर में चाहे कार्यवाही को चलाये। यह आप के रूल में दिया हुआ है। न रूल सस्पेंड करने की बात है न डिसरिगार्ड करने की बात है? आप को पूरा हक है कि आप किसी मौके पर जिस आर्डर में चाहें बिजिनेस को ले लें।

(व्यवधान)

श्री उग्रसेन--

माननीय झारखंडे राय ने कहा था कि माननीय न्याय मंत्री के बाद हम सब को सुन कर तब व्यवस्था देंगे। तो आप को क्या अधिकार है यह कहने का कि अब हम नहीं सुनेंगे? इस पर आप व्यवस्था दें।

श्री उपाध्यक्ष--

व्यवस्था के प्रश्न पर आप को सुना। उसके बाद माननीय मंत्री को सुना।

श्री उग्रसेन--

आपने झारखंडे राय जी को क्यों कहा कि बाद में सुनेंगे?

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी नियमावली की धारा २३ में यह लिखा हुआ है--

"(१) सचिव प्रत्येक दिन के कार्य की एक सूची तैयार करेगा और उसी एक प्रतिलिपि प्रत्येक सदस्य के प्रयोग के लिए उपलब्ध की जायगी।

(२) जब तक कि इन नियमों में अन्यथा उपबन्ध न हो, अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना किसी बैठक में कोई ऐसा कार्य न लिया जायेगा जो उस दिन की सूची में सम्मिलित न हो।

(३) जब तक कि अध्यक्ष अन्यथा निदेश न करें कोई ऐसा कार्य जिसके लिए सूचना की आवश्यकता हो, अपेक्षित सूचना की अवधि पूरी होने से पहले साधारणतया किसी दिन की कार्य-सूची में नहीं रखा जायगा।"

इसका अर्थ अनर्थ के रूप में न्याय मन्त्री ने लगाया। कार्य सूची में जो कुछ लिखा है, उसमें वह कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। उसमें जो नहीं है उसमें अध्यक्ष को हक है अन्यथा क रूप में कि कार्य सूची में जो न हो उसमें अध्यक्ष के लिए विवेक को इस्तेमाल करने का अधिकार दिया गया है। इसलिए जो न्याय मंत्री जी ने उसकी व्याख्या की है वह गलत है। फिर से मैं बता देता हूं, "जब तक कि अध्यक्ष अन्यथा निदेश न दे" कोई भी कार्य जिसके लिए सूचना की आवश्यकता हो, उसके लिये है, इसमें सूचना दी जा चुकी है।

श्री उपाध्यक्ष--

देखिये, आप स्वयं पढ़ रहे हैं कि जब तक अध्यक्ष अन्यथा कोई बात न कहें, तो इसमें मुझे अधिकार है।

श्री दीपनारायणसिंह--

जब तक अन्यथा निदेश न करे, यह ऐसे कार्य के लिये है, जिसके लिए सूचना की आवश्यकता हो, यहां कार्य-सूची में जो लिखा हुआ है स्थगन वगैरह के बारे में उनके लिए किसी सूचना की आवश्यकता नहीं है, इसलिये उनके ऊपर प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। नियमावली की सब धाराओं को एक साथ पढ़ना चाहिए (व्यवधान)। मैं नियम ३१९ को भी पढ़ रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय दीपनारयण जी, आपने अपनी बात कह ली, अब आप बैठ जायं।

श्री कल्पनाथसिंह---

जिस ३१९ धारा का उल्लेख माननीय न्याय मंत्री जी ने किया है, उसमें यह लिखा हुआ है, अगर उसी को मान लिया जाय तो जब तक अध्यक्ष अन्यथा निदेश न करे इसका अर्थ यह होता है कि वह विषय जो कार्यसूची में है जो आप के पास मौजूद है, अगर कोई विशेषाधिकार की सूचना है, अगर कोई नियम ५७, नियम ५३ या नियम ५२ की सूचना है तो वह उसी क्रम में आयेगी लेकिन अगर उन सूचनाओं में से परे कोई बात कहनी हो तो आप को अधिकार है कि आप किसी मंत्री को वक्तव्य देने के लिये या किसी और काम के लिए कह सकते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वह वक्तव्य उन बातों पर आधारित तो नहीं है, जिनके लिये नियम ५२, नियम ५३ आदि की नोटिसें आपके सामने मौजूद हैं। या जिनके लिये विशेषाधिकार की सूचना आप के पास मौजूद है। अगर ऐसा नहीं है तो मैं इस राय का हूं कि माननीय मंत्री महोदय को वक्तव्य देने की इजाजत देने का अधिकार आप को है। लेकिन अगर ऐसा है तो मेरा यह ख़याल है कि कोई भी मंत्री ऐसा वक्तव्य न दे सकता है और न आप उसकी इजाजत देने के लिए सक्षम हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

अच्छा, मैंने सुन लिया।

श्री चन्द्रजीत यादव---

मैंने इस प्रश्न को उठाया था, मुझे तो सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष---

देखिये, यह कोई कायदे की बात तो है नहीं कि मैं सब को सुनूं...

श्री चन्द्रजीत यादव---

कायदे की बात तो यह है कि मैंने प्रश्न उठाया था, तो आप मुझको तो सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष---

दो आदमी तो बोल चुके हैं, वही बात आप भी कहेंगे। अच्छा आप भी कह लीजिए।

*श्री चन्द्रजीत यादव---

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए स्पष्ट आपसे कहा था कि हमारे सदन के कार्य करने के कुछ नियम बने हुये हैं। जब तक कोई विशेष स्थिति न पैदा हो जाय इन नियमों के खिलाफ हम कोई कार्य नहीं करेंगे और इसीलिए आप ने देखा है इसी सदन में कई बार ऐसे अवसर आये हैं, जब मेज पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस से ऐसे उद्धरण दिये गये हैं कि इस सदन के नियमों को भंग करना भी विशेषाधिकार की अवहेलना का कारण कभी-कभी हुआ करता है।

इसलिये सदन के नियम इस तरह से भंग नहीं होने चाहिये। अब कार्य-सूची के लिये जो नियम २३ है उस में स्पष्ट दिया हुआ है कि कार्यों को किस प्रकार से लिया जायगा। जब तक कोई ऐसा संशोधन न आ जाय कोई ऐसा अत्यावश्यक विषय जो कार्यसूची में नहीं है आ जाय तो वैसी स्थिति में आपको विशेषाधिकार है कि परिस्थिति को देखते हुये आदेश दे कर उस कार्य को प्रायरिटी दें। कार्यों की प्रायरिटी किस प्रकार से होगी, इसके लिये नियम ३१९ में १ से लेकर २८ उपनियमों में दिया है कि सापेक्षता किस प्रकार से होगी। यानी जो इन २८ उपनियमों के अन्दर बातें दी हुई हैं उनके अन्दर न हों ऐसी कोई स्थिति आवे तो उसके लिये आपको अधिकार है कि आप कार्यसूची में दिये गये विषयों पर उस विषय को सापेक्षता दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रजीत यादव]

माननीय न्याय मंत्री जी ने जो नियम ३१९ को इंटरप्रेट किया है वह गलत ढंग से किया है। चाहे मुख्य मंत्री हों या कोई भी मंत्री हो, चाहे कितना ही महत्वपूर्ण वह वक्तव्य क्यों न हो, लेकिन जब सदन के कार्यों के लिये सापेक्षता निर्धारित कर दी है यानी कामरोको प्रस्ताव है विशेषाधिकार की अवहेलना आदि जो अनिवार्य समझा गया है कि उनकी सापेक्षता पहले से निर्धारित कर दी है। तब मुख्य मंत्री जी मैं नहीं जानता कि वह किस विषय पर वक्तव्य देंगे। अगर आप प्रायरिटी देते हैं नियम ३१९ के उपनियम १८ के रहते हुये और कार्यसूची में मंत्रियों के वक्तव्य के लिये आइटम नंबर ७ के रहते हुये तो जिन सदस्यों ने कार्य स्थगन नियम ५२ या विशेषाधिकार के अवहेलना की सूचना दी हैं, उनके अधिकारों का हनन होता है। इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप उस आसन पर बैठकर जो विशेषाधिकार आपको अत्यावश्यक स्थितियों में प्रयोग करने के लिये दिये गये हैं मत प्रयोग करें। मैं यह जानना चाहूंगा कि कौन ऐसी स्थिति आ गयी है। कौन सा पहाड़ टूटा जा रहा है? और अगर आपने मुख्य मंत्री जी को इस प्रकार कहने का आदेश दे दिया तो यह तो सदस्यों के अधिकारों की अवहेलना हुई।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप बैठे जाइये।

श्री चन्द्रजीत यादव—

मैं कह रहा हूं। आप सुन तो लें। मैं अभी तक नहीं समझ पाया हूं कि कार्यस्थगन प्रस्ताव के रहते हुये नियम ५२ की सूचनाओं के रहते हुये किस प्रकार से उनको मौका मिल जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने काफी सुन लिया है। अब मैं अपना निर्णय देता हूं। आप बिराजिये।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

उपाध्यक्ष महोदय, १ मिनट आप मुझे सुन लें। आपको इससे फायदा होगा।

श्री उपाध्यक्ष—

जी नहीं। मैंने काफी सुन लिया है।

माननीय दीपनारायण सिंह जी ने नियम २३ का हवाला दिया कि जब तक इन नियमों में अन्यथा उपबन्ध न हो "अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना" तो अध्यक्ष की अनुज्ञा हो जाय तो हो सकता है और इसलिये वह चीज लागू नहीं होती। (व्यवधान) अब मैं रूलिंग दे रहा हूं। आप लोग बैठ जायं। मेरी अनुज्ञा के बिना वाकई सूची में परिवर्तन नहीं किया जा सकता और परिवर्तन मेरी अनुज्ञा से हो रहा है।

जो माननीय न्याय मंत्री जी ने नियम ३१९ का हवाला दिया है उसमें भी यह बात है कि जब तक अध्यक्ष अन्यथा निदेश न दें तो मैं अच्छा समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी का जो वक्तव्य है उसे करा दूं। उसके बाद अन्य कार्य होगा। माननीय मुख्य मंत्री . . . .

श्री रामसुन्दर पांडेय—

वैसे तो आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, लेकिन मेरा एक निवेदन आप सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने व्यवस्था दे दी है। अब कुछ नहीं होगा। माननीय मुख्य मंत्री जी कृपया अपना वक्तव्य दे दें।

श्री दीपनारायणसिंह—

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मुख्य मंत्री जी आपको सूचना दे चुके हैं कि वे किस विषय पर वक्तव्य देंगे।

श्री उपाध्यक्ष--
आप मेरी रूलिंग को चैलेंज नहीं कर सकते ।

श्री कल्पनाथसिंह--
एक प्वाइन्ट आफ आर्डर । मेरे प्वाइंट आफ आर्डर पर आपने कोई व्यवस्था नहीं दी ।

श्री उपाध्यक्ष--
आप बैठ जायं ।

श्री कल्पनाथसिंह--
मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर था, उस पर कोई व्यवस्था आप दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष--
जी नहीं, अब आपका कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है ।

श्री कल्पनाथसिंह--
मेरे प्रश्न पर क्या व्यवस्था दी ?

श्री उपाध्यक्ष--
आप विराज जाइए । मैंने व्यवस्था दे दी है ।

श्री कल्पनाथसिंह--
मैं उस व्यवस्था को जानना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--
मैंने यह व्यवस्था दी है कि मुख्य मंत्री बोल सकते हैं और मैंने उनको बुलाया है । आप बैठ जाइए ।

श्री कल्पनाथसिंह--
मेरा नाम आपने नहीं लिया है ।

श्री उपाध्यक्ष--
आप विराज जाइये ।
माननीय मुख्य मंत्री....

श्री उग्रसेन--
आपने जो व्यवस्था दी है, वह नियमों के विरुद्ध है ।

श्री उपाध्यक्ष--
आप भी कृपया बैठ जायें ।

श्री उग्रसेन--
चूंकि आपने जो व्यवस्था दी है वह नियमों के विरुद्ध है, इसलिए मेरी पार्टी ५ मिनट के लिए सदन का त्याग करती है ।

(इसके उपरान्त संयुक्त समाजवादी दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री दीपनारायणसिंह--
आपकी व्यवस्था नियमों के विरुद्ध है, इसके विरोध में ५ मिनट के लिए सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री दीपनारायणसिंह ने सदन का परित्याग किया ।)

श्री हरिश्चन्द्र बाजपेयी के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)--

उपाध्यक्ष महोदय, पूर्व इसके कि मैं आपके समक्ष और इस सदन के समक्ष कुछ वर्षों की घटना के संबंध में बातें करूं, मुझे अभी सूचना मिली है कि मेरे सहयोगी और साथी का, जो इस सदन के वर्षों तक सदस्य रहे, स्वर्गवास हो गया है। मेरा तात्पर्य श्री हरिश्चन्द्र बाजपेयी से है। वह हमारे देश और प्रदेश के सार्वजनिक कार्यकर्त्ता थे, जिन्होंने गांधी जी के आन्दोलन की पुकार को सुनकर १९२० में विश्वविद्यालय की पढ़ाई बन्द की थी और गांधी जी के उस आन्दोलन में १९२० में सम्मिलित हुये थे और उस समय उन्हें दो या ढाई वर्ष की कारागार की सजा हुई थी। उसके उपरान्त सन् ३०, ३१, ३२, ४० और ४२ के आन्दोलनों में भी जो कि आजादी की लड़ाई के सिलसिले में गांधी जी के नेतृत्व में इस देश में छिड़े, उन सब आन्दोलनों में हिस्सा लेते रहे, जेल की यातनाओं को सहते रहे और जब कांग्रेस १९३७ में असेम्बली में आई, उस समय वे असेम्बली में प्रतापगढ़ से चुनकर प्रतिनिधि के रूप में आये। उसके बाद फिर वहीं से चुनकर आये और बाद को काकोरी से, जो कि लखनऊ में है, वहां से इस विधान सभा के प्रतिनिधि चुन कर आये। उनका कार्य क्षेत्र सार्वजनिक जीवन में लखनऊ था और जितना कार्य लखनऊ में इन २५, ३०, ४० वर्षों में हुआ जिनका संबंध देश की सार्वजनिक चेतना से था और देश के उन प्रश्नों से था जिनको हल करना हम सब सार्वजनिक कार्यकर्त्ता सही और ठीक समझते थे, उनमें वे सदा हिस्सा लेते रहे। इस सदन के सदस्य के नाते भी जब जब गम्भीर प्रश्न इस सदन के समक्ष आये, उन्होंने अपने विचारों के द्वारा उन गम्भीर प्रश्नों के हल करने में वे सुझाव प्रस्तुत किये जिनसे हमारा नागरिक जीवन ऊंचा उठा और सार्वजनिक जीवन की परम्परायें हमारे बीच में उभरती हुई दिखाई पड़ीं। वे कुछ दिनों से रोगग्रस्त थे। थोड़े दिन हुये उनको फालिज भी गिर गया था। फिर उसके बाद वह कुछ अच्छे हुये थे। परन्तु आज उनका देहान्त मेडिकल कालेज, लखनऊ में हो गया। धीरे-धीरे हमारे वे सभी साथी जो आजादी की लड़ाई में हिस्से लेते रहे हैं और जो ज्यादा उमर के होते जा रहे हैं, वह हमारे बीच से उठते चले जा रहे हैं और हमारे सार्वजनिक जीवन को कमजोर करते जा रहे हैं। यह हमारे लिये दुर्भाग्य की बात है। मैं इस अवसर पर उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुये आपसे नम्रतापूर्वक यह निवेदन करूंगा कि इस सदन की समवेदना उनके पुत्र, उनके घर और उनके रिश्तेदारों के पास भेजी जाय और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। मैं इन चन्द शब्दों के साथ अपने इस सहयोगी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुये सदन की समवेदना उनके रिश्तेदारों तक पहुंचाने के लिये आपसे प्रार्थना करता हूं।

*श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय हरिश्चन्द्र बाजपेयी के प्रति माननीय मुख्य मंत्री ने जो बातें कही हैं, उनसे मैं जन संघ को और अपने को सम्बद्ध करता हूं और श्रीमन् से निवेदन है कि संतप्त परिवार तक हम लोगों की समवेदना और कष्ट पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस शोक प्रस्ताव का संबंध है, इसकी सापेक्षता प्रथम होनी चाहिये और माननीय मुख्य मंत्री जी जो पहले अपना वक्तव्य दे रहे थे उसके विरोध में अपना विरोध प्रकट करते हुए हमने अपना वहिर्गमन किया था। इसको मैं साफ करना चाहता हूं। माननीय हरिश्चन्द्र जी बाजपेयी बहुत दिनों तक हमारे साथी रह चुके हैं। मुझे स्वयं उनके साथ काम करने का अवसर मिला है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने उनके निधन पर जो भावनायें प्रकट की हैं, उन भावनाओं से मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप हमारी सद्भावना और समवेदना उनके संतप्त परिवार तक भेजने की कृपा करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—

उपाध्यक्ष महोदय, हरिश्चन्द्र जी बाजपेयी के निधन पर जो भावनायें हमारे मुख्य मंत्री जी तथा अन्य नेताओं ने व्यक्त की हैं, उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप हमारी ओर से दुखी परिवार को हमारी समवेदना और सहानुभूति का सन्देश पहुंचा दें ।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—

उपाध्यक्ष महोदय, जो भावनायें अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने व्यक्त की हैं, उनसे मैं अपने को और कम्युनिस्ट पार्टी को सम्बद्ध करता हूं । माननीय हरिश्चन्द्र की बाजपेयी का और मेरा संबंध लखनऊ डिस्ट्रिक्ट जेल में ६ महीने तक रहा था, जब मैं लखनऊ कांस्पिरेसी केस के अभियुक्त की हैसियत से फतेहगढ़ सेन्ट्रल जेल से सन् १९४३ में यहां लाया गया था । उस समय उनको और मुझे एक साथ रहने का अवसर मिला था । वह बहुत ही शांति और अध्ययन-शील प्रकृति के व्यक्ति थे और सभी कार्य शान्त रूप से ही करते थे । अध्ययन और मनन ही उनका विशेष कार्य जेलखाने में रहा । मैं यहां लखनऊ विधान सभा में आने पर यदाकदा उनसे मिलता रहा । जेल में एक ही रिवोल्यूशनरी ब्लाक में हम लोग रहते थे । लखनऊ जेल में वह बीमारी की चपेट में आ चुके थे । वह भयानक बीमारी के प्रकोप से पीड़ित थे । इधर अरसे से वे एक तरह रिटायर्ड लाइफ बिता रहे थे । उनके हमारे बीच से उठ जाने पर हमारे प्रदेश में एक स्थान रिक्त हो गया है जो बहुत दिनों तक भरा नहीं जा सकता है जब कि आज के समय में ऐसे लोगों की देश को आवश्यकता थी । इन शब्दों के साथ मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरी और कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से समवेदना और सहानुभूति के शब्द उनके संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय हरिश्चन्द्र बाजपेयी जी को विधायक की हैसियत से सन् १९५२ से जानता था । माननीय बाजपेयी जी को हम लोग एक बुजुर्ग की और एक साथी की हैसियत से बराबर देखते थे । जब भी हम लोगों को कठिनाई किसी वक्त किसी मामले पर होती थी तो वह अपने तजुर्बे से हमको अवगत कराते थे और उससे हम लोग लाभ उठाते थे । माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो जजबात का इजहार इस सदन के अन्दर किया है, उससे मैं अपने को और अपने दल को शामिल करता हूं और आपसे इस बात की इस्तदुआ करता हूं कि आप हमारे और हमारे दल के जजबात उनके दुखी खान्दान तक और उनके इष्ट मित्रों तक पहुंचाने की तकलीफ करें ।

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—

उपाध्यक्ष महोदय, श्री हरिश्चन्द्र बाजपेई जी के निधन पर जो माननीय नेता सदन ने अपने विचार प्रकट किये हैं, और माननीय नेता विरोधी दल ने तथा अन्य नेताओं ने अपने विचार प्रकट किये हैं, उन सभी विचारों से मैं अपने को और अपने रिपब्लिकन दल को संबद्ध करता हूं और आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि हमारी वेदना और हमारे दल की तरफ से जो वेदना है, उसे आप संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मुख्य मंत्री और दूसरे दलों के नेताओं ने जो विचार प्रकट किये हैं और जो समवेदना प्रकट की है, मैं अपने को उससे सम्बद्ध करता हूं । पंडित हरिश्चन्द्र बाजपेई मेरे भी पुराने साथी थे । १९३० से मेरी उनसे काफी जान पहचान थी । वह हमारे देश के बड़े ही अच्छे कांग्रेस के कार्यकर्त्ता थे और उन्होंने बड़ी कुर्बानी की थी । वह कई बार जेल गये और उन्होंने बराबर हमारे साथ देश की आजादी की लड़ाई में भाग लिया था और अपना पूरा-पूरा कर्त्तव्य निभाया था । जो समवेदना यहां प्रकट की गई है मैं आप लोगों की तरफ से और अपनी तरफ से माननीय

[श्री उपाध्यक्ष]

बाजपेयी जी के परिवार को समवेदना का संवाद भेज दूंगा और मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि आप लोग दो मिनट तक मौन खड़े होकर उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करें।

(सब सदस्य दो मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गये।)

श्री नेकराम शर्मा के निलम्बन का समाप्तिकरण

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—

उपाध्यक्ष महोदय, परसों जो कुछ सदन में हुआ, उससे मुझे बहुत तकलीफ पहुंची। जो वातावरण इन दो तीन महीनों के अन्दर सदन में और सदन के बाहर बना था, उसको काफी धक्का लगा और उसने सिर्फ हमको और विधायकों को ही दूसरों की नजरों में नहीं गिराया परन्तु अगर मैं यह कहने की धृष्टता करूं कि वह एक प्रकार से उत्तर प्रदेश के नागरिकों के प्रति भी कलंक है, तो अनुचित न होगा। हम सब इस सदन में विधायक के रूप में चुनकर आये हैं और इस विधान सभा के सदस्य के नाते, इस बात की चेष्टा में जुटे हुए हैं कि हम सब मिल-जुल कर उन मर्यादाओं और परम्पराओं को अपने बीच में स्थापित करें, जिनके द्वारा गणतंत्र की अधिक मात्रा में सेवा हो सकती है और उसे अधिक मजबूत बनाया जा सकता है। आज चीन से जो हमारा मतभेद है और लड़ाई है वह महज २०–२५ हजार वर्ग मील क्षेत्र के लिये ही नहीं है, वह लड़ाई हमारे रहन-सहन के जीवन और हमारी मान्यताओं और आस्थाओं के लिये भी है। यदि हमारी उन आस्थाओं और समस्याओं को किसी भी प्रकार से धक्का लगता है तो उससे हमारी शोभा नहीं बढ़ती और उसके कारण दूसरों की नजरों में हमें गिरना पड़ता है। दूसरे हमें उलाहना देने का अधिकार रखते हैं। फिर जब हमारे नवयुवक साथी और विधायकगण उन परम्पराओं का उलंघन करते हैं, कुछ आवेश में आकर, तो उससे मेरे जैसे साथी को तो बहुत दुख होता है क्योंकि वे नवयुवक साथी ही इस विधान सभा की आशा हैं, और वे ही गणतन्त्र की आशा हैं और वे ही हमारी उन परम्पराओं और आस्थाओं की आशा हैं, जिनके लिये हम लड़ रहे हैं। विभिन्न विचारों के रहते हुये, हम यहां पर संयम और नियंत्रण सीखने आये हैं क्योंकि उसी से गणतंत्र की रक्षा हो सकती है और उसको उस अधिनायकवाद के मुकाबले में खड़ा किया जा सकता है जिसका मुकाबला हम सब मिल कर करना चाहते हैं। जो घटना ३–४ महीने पूर्व हुई थी, मुझे बड़ा दुख है कि उसी प्रकार की घटना फिर हमारे बीच होने लगी यद्यपि हम सबने एक प्रकार से, जब से यह संकटकालीन अवस्था आई है, ऐसे समय में एक व्रत सा लिया था कि हम सब, भले ही एक दूसरे के राजनैतिक विचारों से मतभेद रखते हों, इस जमाने में कोई ऐसी बीच नहीं होने देंगे जिससे यह कठिनाई पैदा हो। परसों मुझे ऐसा बताया गया और मैंने अखबारों में भी पढ़ा कि यहां पर एक नुमायश हो रही है, जिसके संगठन कर्त्ता वे लोग हैं, जिनका संबंध एक विशेष राजनीतिक दल से है।

(व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक ऐसे विषय को छेड़ दिया है कि जिस पर यहां बहस होनी चाहिये और हम लोगों को भी अपनी राय प्रकट करने का अधिकार होना चाहिये, नहीं तो हमारे अधिकार का हनन होगा।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

उन्होंने एक औद्योगिक प्रदर्शनी की रचना की है, और वहां पर एक पवेलियन तस्वीरों का लगाया गया है, जिसका कोई स्थान उस प्रदर्शनी में मेरे विचार से नहीं होना चाहिये था जिसके

द्वारा हमारे राजनैतिक विचार फैलाने, हमारी विचारधाराओं को उभाड़ने का मौका मिलता है। यह बात मेरे ऐसे व्यक्ति के हिसाब से ठीक नहीं थी जो उस अच्छे पैदा हुए वातावरण को उभरते हुए देखना चाहते हैं। यह मुनासिब और सही बात नहीं है।

यहां एक प्रदर्शनी रची गयी और इस सिलसिले में मुझे आमंत्रित किया गया और कहा गया कि वह एक औद्योगिक प्रदर्शनी है तथा उससे हमारे पूज्य नेता टंडन जी का नाम जुड़ा हुआ है। जो व्यक्ति मुझे आमंत्रित करने आये थे, उनसे मैंने यह नम्रतापूर्वक निवेदन किया कि उन्हें पूज्य टंडन जी के नाम को इससे नहीं जोड़ना चाहिये था क्योंकि उस प्रदर्शनी के संचालकगण एक खास विचारधारा के हैं तथा एक खास राजनैतिक दल से संबंध रखते हैं। मैंने उस आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। फिर वे हमारे वित्त मंत्री जी के पास गये किसी अपने नेता के द्वारा, लेकिन उन्होंने भी उसको अस्वीकार कर दिया। फिर सूचना मंत्री जी के पास पहुंचे और उन्होंने भी उद्घाटन करना अस्वीकार किया। तब वे हमारी श्रम मंत्राणी जी के पास पहुंचे और उन्हें बताया कि यह औद्योगिक प्रदर्शनी है, वे उसका उद्घाटन करें। उन्होंने बिना इस बात की जानकारी रखते हुए कि कौन व्यक्ति किस दल से संबंध रखता है, उन्होंने उसका उद्घाटन कर दिया। मैं भी बहुत से स्थानों पर औद्योगिक प्रदर्शनी होती हैं उनका उद्घाटन करता हूं और समझता हूं कि औद्योगिक प्रदर्शिनियों की आवश्यकता भी है। जब अंग्रेज हमारे यहां थे उस समय हम लोग ऐसी प्रदर्शिनियों का आयोजन करते थे और सरकारी विभागों को उसमें आमंत्रित करते थे। इस तरह से उन्होंने बिना इस बात को जानते हुए कि कौन व्यक्ति कैसा है, उसका उद्घाटन कर दिया। मैं यहां का स्थानीय व्यक्ति हूं मैं यहां के अधिकांश लोगों को जानता हूं लेकिन वह व्यक्ति जो इस नगर में अधिक नहीं रहा है, उनको अधिक मात्रा में नहीं जान सकता है। इस प्रकार से उन्होंने एक कार्य कर दिया। इसके बाद जिन्होंने यह प्रदर्शनी रची थी उन्होंने दो तीन दिन के बाद उसमें एक और प्रदर्शिनी उद्घाटित करा दी और उसके अन्तर्गत बहुत सी ऐसी तस्वीरें और केरीकेचर्स रख दिये जो एक दूसरे के विषय में ऐसा वातावरण पैदा कर सकते हैं जो दूसरों के हृदयों को चोट पहुंचा सकता है। बहुतों के हृदय पर आघात पहुंच सकता है। मेरी समझ में आज के समय में कोई इस प्रकार की चीज नहीं होनी चाहिये थी। यों तो अखबार तरह-तरह की आलोचनायें करते हैं, विरोधी अखबार हमारे नेताओं के लिये तरह-तरह के केरीकेचर्स निकालते हैं और जो हमारी नीतियों में विश्वास नहीं करते वे तरह-तरह की आलोचनायें अपने अखबारों में करते हैं। परन्तु जब एक साक्षात चीज बना कर खड़ी कर दी जाय और जिसमें किसी दल विशेष के खिलाफ कोई प्रचार किया जाय जो दल विशेष आज गैरकानूनी नहीं बनाया गया है, तो उससे वह वातावरण हमारे बीच में नहीं बनता, जिसके बनाने की उत्सुकता, अभिलाषा और आकांक्षा हम सब के हृदय में है। यह एक बड़े दुख की बात हमारी नगरी की है कि हमारे कुछ साथी जो वहां गये, उनके हृदय को चोट पहुंची और वह चोट जो पहुंची उसको उन्होंने यहां इस सदन में व्यक्त किया और व्यक्त करने के सिलसिले में उन्होंने अपना कोई प्रस्ताव रखा जो कि नियम के अन्तर्गत उन्हें अधिकार प्राप्त है और उसके लिये उन्होंने उपाध्यक्ष महोदय से आज्ञा मांगी।

जैसा कि मुझे विदित हुआ है और बतलाया गया है, उस रोज शायद दूसरे और प्रस्ताव लाये जा चुके थे और उनकी मंजूरी उपाध्यक्ष महोदय दे चुके थे, इस कारण उन्होंने उस दिन के लिये यह निवेदन किया कि यह मसला आज न लिया जाय और या तो इसे शार्ट नोटिस क्वेश्चन के रूप में या नियम ५२ के रूप में दूसरे रोज लिया जाय।

अनेक सदस्य—
यह नहीं कहा था।

श्री उपाध्यक्ष—
अल्पसूचित प्रश्न के लिये कहा था।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, जब आप पीठासीन हैं तो जो आपने कहा था उसका स्वयं क्लेरीफिकेशन कर दें। माननीय मुख्य मंत्री जी इस बारे में कुछ न कहें क्योंकि वे उस दिन इस सदन में नहीं थे, ऐसा मेरा मत है।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने शार्ट नोटिस क्वेश्चन के लिये कहा था।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जो इत्तिला मुझे मिली थी, उसी के आधार पर मैंने बतलाया। लेकिन कोई भ्रम न हो, इसलिये मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं। लेकिन शायद कमरे में जाने पर उन्हें शार्ट नोटिस क्वेश्चन करने की सलाह दी गयी। मैं यह कहना चाहता हूं कि उपाध्यक्ष महोदय ने एक निर्णय लिया लेकिन हो सकता है कि हम उस निर्णय से सहमत न हों। ऐसे प्रश्न कई मर्तबा यहां आये हैं।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—

एक बात मैं आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं कि उसके प्रस्तावक महोदय श्री नेकराम शर्मा थे जो इस हाउस के इंडिपेंडेंट मेम्बर हैं, उनका उस दल से बिल्कुल कोई सम्बन्ध नहीं है जिस दल के बारे में कहा जाता है कि वहां बहुत सी चीजें दिखलायी गयी हैं। हां, उनका सम्बन्ध जवाहरलाल जी से जरूर है, जिनके बारे में वहां बहुत ही वीभत्स चीजें दिखलायी गयी हैं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि एक फैसला उपाध्यक्ष महोदय ने दे दिया। मान लीजिये कि हम उससे सन्तुष्ट नहीं हैं। अगर हम उससे सन्तुष्ट नहीं हैं तो फिर क्या हमारी असन्तुष्टता हमें यह अधिकार देती है कि हम सदन की मर्यादा का उल्लंघन करें और सदन की जो प्रतिष्ठा हमें कायम रखनी है, उस प्रतिष्ठा में धक्का लगावें? खास कर जब नवयुवक साथियों से धक्का लगे तो और भी तकलीफ होती है क्योंकि आने वाले वर्षों में हर तरीके से उन्हें ही इस देश की रक्षा करनी है। हम सब जो इस सदन में चुन कर आये हैं वे इस सदन की प्रतिष्ठा व मान मर्यादा रखने के लिये ही आये हैं। उस आस्था को जीवित रखना व जाग्रत रखना बहुत ही आवश्यक है। इसलिये उस कांड का हम समर्थन नहीं कर सकते। उससे पहले भी कई मर्तबा जब मेरे नवयुवक साथी उग्रसेन जी ने ऐसी बातें की हैं, तब इस सदन के नेता के नाते और उनसे बुजुर्ग और अधिक तजुरबा होने के नाते भी है उनकी भर्त्सना करता रहा हूं और जिस लाइट में मैंने उनकी भर्त्सना की है उस लाइट में उन्होंने कई मर्तबा कम से कम वह क्षमता दिखलायी है जो एक सदन के नेता के प्रति होनी चाहिये और एक बुजुर्ग, सहयोगी और उस साथी की रही है जो कि आज भले ही दूसरी बेंचों पर बैठ गये हों, उन्होंने वर्षों तक हमारे सहयोगी के नाते काम किया है और आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया है और जिसके फलस्वरूप आज वह दिन हमारे बीच में आया है कि जब हम देश को अपनी नजरों के सामने स्वतन्त्र, उभरते हुये और उठते हुये देखते हैं। क्या हम उनसे ऐसे वातावरण को पैदा करने की आशा कर सकते हैं कि जिसको देख कर और गम्भीरता से जिस पर विचार कर के हम सब को बुरा लगता है और स्वतः हमको शर्म आती है? मैं आपके द्वारा सदन के अपने साथियों से यह बिनती करना चाहता हूं और आग्रहपूर्वक बिनती करना चाहता हूं कि कभी हम अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के निर्णय से भले ही असन्तुष्ट रहें लेकिन उस असन्तोष को प्रकट करने की अनेक विधिवत् प्रथायें हैं जिससे कि हम अपने असन्तोष का परिचय दे सकते हैं, उसको व्यक्त कर सकते हैं। हम असन्तोष को कायदे के अन्दर, एक ढंग से ही व्यक्त कर सकते हैं और किन्हीं निर्धारित पद्धतियों के अन्तर्गत ही कर सकते हैं न कि उन तरीकों के अन्तर्गत जो कि हमारी उन मान्यताओं के विरोध में जिनको बनाने के लिये हम रोजमर्रा, यहां सदन में और बाहर बराबर प्रयत्नशील हैं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

सुचेता जी से भी प्रार्थना की जाय।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

मैं निवेदन करूंगा कि उस दिन जो हुआ वह बड़ी दुखद घटना थी और एक शर्मिन्दगी की घटना है। जिन्होंने इस घटना में हिस्सा लिया उनके लिये तो शर्म की बात है ही वरन् जिन्होंने उसमें नहीं भी हिस्सा लिया उनके लिये भी सदन का सदस्य होने के नाते यह बहुत दुख की बात है। हमें किसी भी दशा में सदन के वातावरण को विषाक्त नहीं बनाना चाहिये और उसको ऐसा न बनने देने के लिये हमारी सहायता वह लोग करेंगे कि जो दलों के नेतागण हैं और जिनका उत्तरदायित्व है। जैसा कि मैंने कई बार निवेदन किया, हमें अपने उन साथियों पर कि जो जरा तीव्रता के साथ या कुछ उच्छृंखलता के साथ, अगर मैं इस शब्द को इस्तेमाल कर सकता हूं, यहां व्यवहार करते हैं उन पर कुछ नियंत्रण रखना है, यह नेतागण का कर्तव्य है। जाहिर है कि ऐसे कामों से सदन की शान और मर्यादा और उसका कोई आदर नहीं बढ़ता और जब उनसे सदन का आदर नहीं बढ़ता तो इस प्रदेश में जो प्रयत्न हम कर रहे हैं और जिन परम्पराओं को रखने के लिये हम सतत् कोशिश कर रहे हैं और जिनके द्वारा हम अपने गुणों को और विचारों को विकसित कर सकते हैं और प्रकाश में ला सकते हैं तो यह आवश्यक है कि वह घटनायें यहां फिर दोहराई न जायं। हमारे साथी श्री नेकराम शर्मा जिनसे कि मैं कभी यह आशा नहीं रखता था, जिन्होंने कभी जब जब प्रश्न आये, परम्पराओं के विपरीत जाने की धृष्टता नहीं दिखाई, उनकी तरफ से ऐसी बात सुनकर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, बड़ा अचम्भा हुआ कि उन्होंने माननीय उपाध्यक्ष की रूलिंग के बाद ऐसा व्यवहार किया कि जो व्यवहार न तो उनकी और न सदन की शोभा को बढ़ाता है और यदि सख्त शब्दों में कहा जाय तो यह निन्दनीय कार्य है। हमें न तो यहां सदन के और न बाहर के वातावरण को विषाक्त देखना है और जो लोग, नवयुवकगण इस वातावरण को विषाक्त देखना चाहते हैं या बनाने की चेष्टा करते हैं मैं उन साथियों के नेताओं से निवेदन करूंगा कि जिस संकट की घड़ी से आज हमारा प्रदेश और देश गुजर रहा है उसमें कोई भी ऐसी चीज उनके अनुयायियों के द्वारा न होनी चाहिये जो स्वयं किसी दल विशेष के लिये ही शोभाजनक न हो, देश के सबसे बड़े नेता की निन्दा करे और उसको इस रूप में दिखाने की चेष्टा करे कि देश आज चीनियों के हाथ में यों ही दिया जा रहा है तथा जो सरकार आज देश में है वह और उसका नेता देश को दूसरे के हाथों में देने जा रहा है। जहां तक इन प्रदर्शनियों का सम्बन्ध है, औद्योगिक प्रदर्शनियों का संबध है, उनमें जो चीजें दिखायी जाती हैं उनको विभिन्न दलों के लोग यदि रचते भी हैं तो हमने कभी बायकाट नहीं किया। अंग्रेजों ने भी जब हम कांग्रेसजन थे और किसी औद्योगिक प्रदर्शनी को रचते थे तो वह अपने विभागों को भी शामिल होने के लिये इजाजत देते थे। इस प्रदर्शनी में एक हमारा विभाग भी शामिल है। लेकिन सरकार ने इस प्रदर्शनी के चलाने में कोई पैसा दिया हो या किसी साथी ने अपनी अनुमति उसके संरक्षक बनने की दी हो, यह नितान्त गलत बात है। गलतफ़हमी इस बात की है कि एक औद्योगिक प्रदर्शनी हो रही है जिसका उद्घाटन हमारी एक बहन, जो मंत्री हैं, ने कर दिया हमारे साथी नेकराम शर्मा तरह-तरह के लांछन उन पर लगायें और अपने को यह सिद्ध करें कि वह पंडित नेहरू के भक्त हैं और जो यहां लोग बैठे हुए हैं, उनमें कुछ ऐसे लोगहैं जो उनके नाम को गिराना चाहते हैं इस तरह का कांड इस सदन में रचना न तो उनकी शोभा बढ़ाता है और न हमारे इन साथियों के साथ न्याय करता है। जो साथी यहां बैठे हुए हैं वह अपने उस महान् नेता की कृपा से बैठे हुए हैं जिसने इस देश और इसके भविष्य के निर्माण में सब से अग्रणीय काम किया है और जिसकी नीतियों में काफ़ी मात्रा में विरोधी दलों के नेताओं ने विश्वास रखने की क्षमता दिखायी है और दिखाते रहते हैं उनका शांति का सन्देश और पंचशील और सहअस्तित्व का सन्देश क्या वह सन्देश नहीं है जिसने लड़ाई को हमारे बीच से रोका है और तीसरी लड़ाई को नहीं आने दिया जिसकी विभीषिका मानवता को, सभ्यता को और संस्कृति को खत्म कर सकती है। आज हमारे वह विरोधी साथी जो जवाहरलाल जी की आज्ञा और फैसले के खिलाफ खड़े होते हैं वह यह दिखायें कि वह उनको सब से अधिक मानने वाले हैं और अन्य साथी जो हैं वह जवाहरलाल जी के अनुयायी नहीं हैं वह झूठी बात है और इस तरह की बात को फैलाना नहीं चाहिये।

श्री झारखंडेराय—

माननीय सुचेता जी के भाषण को जो वह दे आयी हैं, उनकी रिपोर्ट आप मंगा कर देख लीजिये, क्या बातें वह कर रही हैं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

मैं मुनासिब समझता हूं जो आपने वातावरण बनाया है और जो उसको रूप दिया गया वह गलत ढंग से बनाया गया, उसे गलत रूप दिया गया और सरकार के साथ उन लोगों ने, जिन्होंने उस वातावरण को बनाया या उसको बनाने की चेष्टा की, अन्याय ही नहीं किया परन्तु एक ऐसी बात की जिसके करने का किसी व्यक्ति को अधिकार नही है। परन्तु जैसा मैंने कहा, मैं सदन में उस वातावरण को यहां कायम रखना चाहता हूं जिससे यहां और बाहर का वातावरण शुद्ध रहे।

जो सदन ने श्री नेकराम शर्मा का निलम्बन किया है ७ रोज के लिये हमारा यह प्रस्ताव है कि वह निलम्बन आज से समाप्त हो। जहां तक प्रदर्शनी का सम्बन्ध है, उसके आयोजकों से और राजा साहब से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वे उस प्रदर्शनी में वे बातें न होने दें जिनसे किसी भी दूसरी विचारधारा वाले व्यक्ति को धक्का लगता हो और उस धक्का लगने से हमारे बीच में वह वातावरण बनता हो जिस वातावरण को हम अपने बीच में उभरते हुये नहीं देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि चीन के मुकाबिले में जितनी हमारी शक्तियां हैं सब मिल जुल कर बाहर और अन्दर खड़ी रहें और तभी हम उनका भी इम्तिहान कर सकते हैं, जिनके बारे में तमाम तरह-तरह की बातें हुआ करती हैं, कि वे किस रूप में जब असली घड़ी हमारे सामने आयेगी तब अपना प्रदर्शन करेंगे। जब चीन के मुकाबिले में लड़ने और तरह तरह के प्रस्ताव वे चीन के खिलाफ पास करते हैं तो क्या यह बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता है कि अपने बीच में वह वातावरण बनायें, जिससे देश के नवयुवक जो उनके बहकाये में हैं वे बहकते रहें और बहकावे में आकर उन कार्यों में हमें सहयोग न दें जिन कार्यों में आज हम प्रत्येक का सहयोग चाहते हैं ?

एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि जरूरत से ज्यादा जब कोई व्यक्ति अपनी शक्ति दिखाता है तो उसके बारे में बहुत सी गलतफहमियां दूसरे लोगों को पैदा होने लगती हैं। आज बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता इसी में है कि ईमानदारी से जो कार्य करना है उसके करने में हम जुटें। कोई ज्यादा भक्ति दिखाता है जबकि लोग उसके बारे में दूसरी राय रखते हों, तो लोगों में बहुत सी आशंकायें पैदा हो जाती हैं। जब नया मुसलमान अल्लाह ही अल्लाह पुकारता है तो उसके बारे में थोड़ी गलतफहमियां हो जाती हैं। उन गलतफहमियों का मौका हमारे बीच में न आये। तो आज उन नेताओं की दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता इसी में है कि वे इस तरह से कार्य करते रहें जिसमें कि सब मिल जुल कर उस वातावरण और परिस्थिति को देश में बनाये रख सकें जिससे हम आगे कार्य करने में समर्थ हो सकें और वाकई चीन को उन स्थानों से खदेड़ सकें, जिन स्थानों से खदेड़ने के लिये २४ अक्तूबर को हमने बचन दिया था, तभी हमारी शक्ति और ताकत बढ़ेगी और तभी सदन का गौरव बढ़ेगा।

इसलिये मैं उन साथियों से निवेदन करना चाहता हूं जिन्होंने एक्जीबीशन में दूसरी चीजें लगा रखी हैं। वे उस एक्जीबीशन में उन चीजों को न रखें और सद्बुद्धि से कार्य करें। मैंने अपने अधिकारियों से कहा है कि वे उन व्यक्तियों से मिलें, उन्हें बुलायें और बुला कर ऐसा व्यवहार करें जिससे जो एक वातावरण हमारे बीच में बनने लगा है वह न बनने पाये। आज किसी को गुमराह नहीं करना है। जो असंतोष किसी को नेहरू जी की सरकार से या नेतृत्व से है और वे कहते हैं कि हम लड़ेंगे, लड़ाई जीतना चाहते हैं, जीतेंगे और उस असंतोष को वह जगह जगह प्रकट करना चाहते हैं, तस्वीरों के द्वारा प्रकट करना चाहते हैं तो यह बात उनके बारे में शक पैदा कराती है। दूसरों को दूसरे तरह से समझने का अवसर देती है। जो आज चीन का मुकाबला करना चाहते हैं और सरकार को सहयोग देना चाहते हैं, क्या उनका यह कर्त्तव्य नहीं है कि वे ऐसी कोई कार्यवाही न करें जिससे उनके बारे में लोगों को गलत राय बनाने का अवसर मिले ? मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो निलम्बन श्री शर्मा जी का हुआ है, यद्यपि शर्मा जी ने जो किया उसको मैं

गलत समझता हूं और उसकी निन्दा करता हूं और सदन की मर्यादा के विरुद्ध समझता हूं, उस वातावरण को लाने के लिये जो वातावरण कि हमने बनाया हुआ है उस निलम्बन के प्रस्ताव को वापस लिया जाय ।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निलम्बन के प्रस्ताव को वापस लेने का जो प्रस्ताव माननीय मुख्य मंत्री जी ने रखा है और भाषण भी जो दिया है उसमें विरोधाभास है। अगर परसों नेकराम शर्मा जी के कार्यकलाप गलत रहे हैं, असंसदीय रहे हैं. . . .

श्री उपाध्यक्ष—

जो उन्होंने प्रस्ताव रखा है वह निलम्बन को खत्म करने का रखा है ।

श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)—

मैं केवल इतना अर्ज करना चाहता हूं कि जो उन्होंने प्रस्ताव रखा है वह तो ठीक है, लेकिन निलम्बन जिस तारीख से हुआ है, उसी तारीख से हटा लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रस्ताव आज आया है तो आज से ही हटेगा ।

प्रश्न यह है कि माननीय नेकराम शर्मा के विरुद्ध जो एक हफ्ते का निलम्बन हुआ है वह अब आज से खत्म कर दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—

मैं दो मिनट का समय लूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं चाहता हूं कि जो वातावरण बना है वह और ज्यादा अच्छा बने । आपको फिर कोई मौका मिल जायगा । इस वक्त आज क्षमा करें तो अच्छा हो ।

श्री यादवेन्द्र दत्त—

मैं कोई कंट्रोवर्सी की बात नहीं कहने जा रहा हूं । माननीय मुख्य मंत्री ने जो मेरे प्रति कहा, मैं उसको स्पष्ट कर दूं । माननीय मुख्य मंत्री जी ने जिस माननीय नेकराम जी की घटना का जिक्र किया, वह अच्छा नहीं हुआ है, मैं इस बात से सहमत हूं । जहां तक उन्होंने मेरा नाम ले कर कहा, मैंने उस पर वक्तव्य दे रखा है, वह अखबारों में आ भी गया है । जन संघ का उस प्रदर्शनी से कोई सम्बन्ध नहीं है । हो सकता है कि जो जन संघ से संबंधित लोग हों वे उसके सदस्य हों ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

यह सौ फीसदी असत्य है । जन संघ का सम्बन्ध है, जन संघ ने आर्गेनाइज किया है ।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

अब मैं क्या कहूं ?

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

विद्यार्थी परिषद् की है, आर० एस० एस० की ।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

आर० एस० एस० से भी कोई सम्बन्ध नहीं है । मैं जन संघ का सदस्य हूं । अगर मैं किसी क्लब का मेम्बर हो जाऊं तो क्या वह क्लब जन संघ का हो जायगा ? बुद्धिमत्ता से परे की बात है । मैंने तो उसे देखा भी नहीं था । कल मैं देखने गया । दृष्टिकोण का अन्तर हो सकता है । परन्तु मैं एक बात मुख्य मंत्रीजी से अवश्य कहूंगा कि इस प्रकार की बातों . . . .

श्री जगनप्रसाद रावत (जिला आगरा)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। वह यह कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक तो निलम्बन को खत्म करने का प्रस्ताव रखा वह आपने लिया और वह पास हो गया। दूसरे, मुख्य मंत्री जी ने नुमायश के सम्बन्ध में कुछ बातें कहीं। यदि मुख्य मंत्री जी के बाद इस सम्बन्ध में चर्चा समाप्त हो जाती है तब तो मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन यदि उसके सम्बन्ध में किसी को सफाई देने का अधिकार है और आप समय देते हैं तो मेरा कहना यह है कि मुझे भी उस सम्बन्ध में बहुत कुछ कहना है क्योंकि मैं यह समझता हूं कि मुख्य मंत्री जी के सामने भी तथ्य पूरे तरीके से नहीं आये, जैसा कि उनके व्याख्यान से मालूम हुआ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं समझता हूं कि इस पर कोई बहस नहीं होगी। दुबेजी को भी कोई हक नहीं है।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

मैं बहस नहीं कर रहा हूं। मुझे आश्चर्य है कि माननीय रावतजी जैसे सीजन्ड पालिटीशियन कैसी गलत बात करते हैं। मैं तो पर्सनल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री ने मेरा उसमें जिक्र किया है। मुझे हर दृष्टिकोण से एक्सप्लेनेशन देने का अधिकार है। मैं कोई डिबेट नहीं दे रहा हूं।

श्री जगनप्रसाद रावत—

मुझे इस बात में कतई आपत्ति नहीं है कि दुबेजी अपनी तरफ से जो चाहें सो कहें। मेरा निवेदन केवल यह है कि आप दुबेजी को पूरा समय दें लेकिन साथ में हम लोगों को भी दें जिनको बहुत कुछ उस सम्बन्ध में निवेदन करना है।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं डिबेट नहीं कर रहा हूं। मैं एक निवेदन कर रहा था। मेरी बात सुन लें। मैं अपना एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। माननीय मुख्य मंत्री से मैं निवेदन करूंगा कि वे प्रदर्शनी को देख कर अपनी राय कायम करें और लोगों से बात करें। उसमें मुझसे कहना, जबकि मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है, उचित नहीं है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि वे स्वयं जाकर देख लें।

श्री उपाध्यक्ष—

रावत जी, उन्होंने यह कहा कि मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है, यह बुरी बात नहीं है।

श्री जगनप्रसाद रावत—

श्रीमन्, मेरा एक सुझाव है, अगर आप मान लें। जैसा कि उन्होंने कहा है कि आप स्वयं देख लें तो मेरा कहना यह है कि सब नुमायश देख लें फिर फैसला कर लेंगे।

श्री झारखंडेराय—

जो सुझाव अभी दिया गया है, उसको मैं सही समझता हूं। मैं चाहता हूं कि आज हाउस मुल्तवी किया जाय और सब लोग नुमाइश देख आयें ताकि इस पर भलीभांति चर्चा हो सके।

श्री उपाध्यक्ष—

इस समय कोई बहस की बात नहीं है। इस समय वक्तव्य हो गया है। अगर जरूरत समझेंगे तो कोई उपाय निकाला जायगा। इस समय यह नहीं है कि कल बहस होगी।

[* * *]

श्री उपाध्यक्ष—

यह बिला इजाजत बोल रहे हैं। यह न तो कार्यवाही में जायगा और न प्रेस में जायगा।

×××माननीय उपाध्यक्ष की आज्ञा से हटा दिया गया।

श्री उग्रसेन—

निवेदन सुन लीजिये। आपने प्रदर्शनी देखी है?

श्री उपाध्यक्ष—

आप विराज जाइये। मैंने नहीं देखी है।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

मेरे सामने नुमाइश के विषय पर ४ कार्य-स्थगन प्रस्ताव हैं और दो नियम ५२ की सूचनायें आई हैं। मैंने कल नेकराम जी की सूचना अस्वीकार की थी और जिन कारणों से की थी वह साबित हो गये और मुख्य मन्त्री जी के वक्तव्य के बाद कोई बात नहीं रह जाती है, इसलिये मैंने उन सबको अस्वीकार कर दिया।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

आप मेरी प्रार्थना सुन लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने रूलिंग दे दी है। अब इसके बाद नहीं।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव—

आप मेरी प्रार्थना सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष—

एक सदस्य की सुनेंगे तो सबकी सुननी पड़ेगी। कितने ही आदमी खड़े हुए हैं। इस समय में किसी की बात सुनना नहीं चाहता। आप विराज जाइये। इस वक्त में किसी बात की इजाजत नहीं देता।

श्री चन्द्रजीत यादव—

मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। सुन तो लें।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री चन्द्रजीत यादव—

जरा आप सुन तो लें। श्रीमन्, मैंने आज एक कामरोको प्रस्ताव दिया था जो कि अमीनुद्दौला पार्क में जो प्रदर्शनी है, उसके सम्बन्ध में था। मैंने उस कामरोको प्रस्ताव के अन्दर स्पष्ट रूप से नयी बातें कही थीं, जो माननीय नेकराम शर्मा ने प्रस्ताव दिया था....

(शोर)

श्री काशीनाथ मिश्र—

जो कामरोको प्रस्ताव आपने अस्वीकार कर दिया है, उसके सम्बन्ध में माननीय सदस्य कोई बात नहीं कह सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय चन्द्रजीत, व्यवस्था का प्वाइन्ट खाली उठाइये, उस पर बहस न कीजिये।

श्री चन्द्रजीत यादव—

पहले आप मेरी बात सुन लें। मैंने आपके चेम्बर में जा कर आपसे निवेदन किया था कि जो कामरोको प्रस्ताव मैं पेश कर रहा हूं, उस पर मेरी बात सुन लें। आपने मुझे...

श्री उपाध्यक्ष—

उसके सम्बन्ध में मैं अपनी रूलिंग दे चुका हूं।

श्री चन्द्रजीत यादव—

व्यवस्था का प्रश्न है। वह सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष—

किस नियम के मुताबिक व्यवस्था का प्रश्न है? चार प्रस्ताव कार्य-स्थगन के थे और दो नियम ५२ की सूचनायें थीं, मुख्य मन्त्री के वक्तव्य के बाद मैंने सबको अस्वीकार कर दिया। उसके बाद अब कोई सवाल नहीं उठता।

श्री चन्द्रजीत यादव—

तो मैं दूसरा प्रश्न उठा रहा हूं। माननीय मुख्य मन्त्री ने जो सदन के अन्दर वक्तव्य दिया है, उसमें उन्होंने आदि से अन्त तक जो वास्तविकता है, उसको डाइवर्ट किया है।

(अत्यधिक शोर)

श्री उपाध्यक्ष—

देखिये, चन्द्रजीत जी मेरी इजाजत के बिना बोल रहे हैं, यह प्रेस में नहीं जायगा और न रेकार्ड में जायगा।

[* * *]

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जायं।

(शोर)

माननीय चन्द्रजीत जी, आप शान्त हो जायं।

(श्री उपाध्यक्ष के बार-बार रोकने पर भी श्री चन्द्रजीत यादव भाषण देते रहे और अपना आसन ग्रहण नहीं किया।)

माननीय चन्द्रजीत जी, या तो आप बैठ जायं नहीं तो सदन छोड़ें।

(श्री चन्द्रजीत यादव के बोलते रहने पर)

देखिए, मुझे वह काम न करना पड़े कि मुझे आपको इंगित करना पड़े।

(माननीय सदस्य फिर भी बोलते रहे)।

मैं श्री चन्द्रजीत यादव को इंगित करता हूं।

सिंचाई मन्त्री (श्री राममूर्ति)—

उपाध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री चन्द्रजीत जी यादव को आज के लिये इस सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि श्री चन्द्रजीत यादव को आज के लिये सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ:—

पक्ष में—१५८,

विपक्ष में—१५।)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय चन्द्रजीत जी, आप कृपया सदन छोड़ दें।

[***] माननीय उपाध्यक्ष की आज्ञा से हटा दिया गया।

श्री चन्द्रजीत यादव—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने आपसे आपके चेम्बर में प्रार्थना की थी, आपने आने नहीं दिया, इसलिये मैं आपकी आज्ञा पालन करने में अपने को असमर्थ पा रहा हूं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि अगर आप इस तरह से आदेश देंगे तो इससे फासिज्म पनपेगा।

(श्री चन्द्रजीत यादव ने सदन का परित्याग नहीं किया और अपने स्थान पर विद्यमान रहे।)

श्री उपाध्यक्ष—

अब मैं विवश हूं और मार्शल को आज्ञा देता हूं कि वे माननीय चन्द्रजीत जी से प्रार्थना करें कि वे कृपया सदन छोड़ दें।

(मार्शल की प्रार्थना पर भी श्री चन्द्रजीत यादव ने सदन से बाहर जाने से इनकार किया।)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय चन्द्रजीत जी सदन नहीं छोड़ते हैं तो मैं मार्शल को आज्ञा देता हूं कि माननीय सदस्य को, यदि आवश्यक हो बलपूर्वक, सदन से निकाल दें। अब हम उठते हैं और २ बजे फिर मिलेंगे।

(इस समय १ बजे सदन स्थगित हुआ और २ बजे अधिष्ठाता, श्री नरेंद्रसिंह विष्ट, के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

(श्री चन्द्रजीत यादव के सदन में बैठे रहने पर)

श्री अधिष्ठाता—

मैं देख रहा हूं कि माननीय चन्द्रजीत यादव अब भी सदन में विराजमान हैं। मैं सदन की परम्परा का ध्यान रखते हुये तथा सम्मान का ध्यान रखते हुये उन्हें आदेश देता हूं कि उन्हें जो इस सदन का निर्णय हुआ है उसका सम्मान करना चाहिये और मुझे इस बात पर मजबूर नहीं करना चाहिये कि कोई पुलिस का प्रयोग किया जाय। मैं मार्शल को आज्ञा देता हूं कि श्री चन्द्रजीत यादव जी को इस सदन से बाहर ले जाने का आग्रह करें।

(मार्शल के आग्रह करने पर)

[* * *]

[श्री चन्द्रजीत यादव सदन छोड़कर बाहर चले गये।]

श्री अधिष्ठाता—

इनका, श्री चन्द्रजीत यादव का, यह पूरा कथन प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं रहेगा।

माननीय कृषि मंत्री अपना प्रस्ताव पेश करें।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

कोई भी शब्द जब असंसदीय होते हैं तब कार्यवाही के भाग नहीं बनते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि इसको क्यों हटाया जा रहा है।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री उग्रसेन—

मैं एक प्वाइंट आफ आर्डर उठाना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

अभी कोई कार्यवाही आरम्भ ही नहीं हुई है, इसलिये कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता। यह पहले ही आदेश दे दिया गया था और उसका पालन किया गया है। उसके अलावा और कोई कार्यवाही नहीं हुई है। माननीय कृषि मंत्री अपना प्रस्ताव पेश करें।

नोट—[***] माननीय उपाध्यक्ष की आज्ञा से हटा दिया गया।

१९६३–६४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २०—कृषि सम्बन्धी विकास, अनुदान संख्या २१—उपनिवेशन, अनुदान संख्या २२—पशुपालन और मत्स्य पालन तथा अनुदान संख्या ४७—कृषि योजनाओं पर पूंजीगत लागत

कृषि उपमंत्री (श्री शिवराजसिंह)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९६३–६४ के लिये अनुदान संख्या २०–कृषि संबंधी विकास के अन्तर्गत ६,३०,४०,९०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९६३–६४ के लिये अनुदान संख्या २१–उपनिवेशन के अन्तर्गत ४,५९,१०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९६३–६४ के लिये अनुदान संख्या २२—पशुपालन और मत्स्यपालन के अन्तर्गत २,९४,५०,४०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, जो कार्यवाही आज इस सदन में देखने को मिली है, जिस तरह से आज यहां ट्रेजरी बेंच के लोगों ने नेहरू जी के अपमानजनक पोस्टरों के प्रदर्शन के संबंध में नीति अपनायी है, जिस प्रकार की मनोवत्ति का प्रदर्शन यहाँ पर हुआ है, जिस प्रकार से श्री चन्द्रजीत यादव को एक राष्ट्र विरोधी कार्यवाही को रोकने का प्रयास करने पर निकाला गया है, उसके विरोध में हम सदन का परित्याग करते हैं।

(साम्यवादी दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, मेरा एक नियम ५२ का नोटिस अभी तक नहीं लिया गया।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें। नियम ५२ में जितने नोटिस थे वह सब अस्वीकृत हो गये, उसकी घोषणा माननीय उपाध्यक्ष ने यहां पर कर दी थी।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

यहां पर नहीं कहा, प्राइवेट चेम्बर में कहा होगा। चुर्क सीमेंट के मजदूरों के संबंध में माननीय मुख्य मंत्री ने आश्वासन दिया था।

श्री अधिष्ठाता—

उन्होंने एक दफा कह दिया था कि मैं सबको अस्वीकृत करता हूं।

श्री उग्रसेन—

नहीं, बिलकुल नहीं, उपाध्यक्ष महोदय बिलकुल घबरा गये थे, उन्होंने बिलकुल नहीं कहा था।

श्री अधिष्ठाता—

आपने एक वैधानिक प्रश्न उपस्थित किया है। नियम ५२ के अन्तर्गत जो नोटिस आये थे जिनको माननीय उपाध्यक्ष ने अस्वीकार कर दिया था और उनका जिक्र नहीं किया था। आपको अगर इस बात से संतोष हो कि मैं उनका जिक्र कर दूं तो मैं उनका जिक्र कर दूंगा लेकिन

उस पर किसी को बहस नहीं करने दूंगा क्योंकि उनके ऊपर उपाध्यक्ष महोदय अपना निर्णय दे चुके हैं।

श्री उग्रसेन—

अगर वह फैसला दे चुके हैं तो आप किस नियम के मातहत उनका जिक्र करते हैं ?

श्री अधिष्ठाता—

आप चाहते हैं कि उनको सदन के सामने रखा जाय। इसलिये यह बात मैंने कही।

श्री उग्रसेन—

अच्छा जरूर रखिये।

श्री श्रीपति मिश्र (जिला सुल्तानपुर)—

श्रीमन्, इसके पहले कि आप इस पर सदन को बतायें, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ४ कार्य-स्थगन प्रस्ताव थे जिन पर उनका निर्णय हुआ। उनमें एक चन्द्रजीत जी यादव का था जिसके संबंध में उपाध्यक्ष जी ने जो कुछ कहना था कहा। मेरा भी एक कार्य स्थगन प्रस्ताव इस संबंध में था। उस संबंध में उन्होंने कुछ नहीं कहा कि उसके विषय में उनका क्या निर्णय रहा। उसके विषय में पहले कहें, तब उसके बाद दूसरी बात आयेगी। नेहरू जी के विरोध में प्रदर्शनी में जो प्रचार हो रहा है और जिसके विषय में यहां पर सारी कार्यवाही परसों से चल रही है उसी के संबंध में मेरा भी कार्य-स्थगन प्रस्ताव था। उस पर उपाध्यक्ष जी ने कोई अपना निर्णय नहीं दिया है।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय उपाध्यक्ष ने चन्द्रजीत यादव के प्रस्ताव पर ही नहीं बल्कि जितने भी प्रस्ताव इस विषय पर आये थे उन सब के ऊपर अपनी व्यवस्था दी और उनको डिसअलाउ कर दिया। इसलिये अब उनका प्रश्न नहीं उठता। सदन में उन्होंने अपने निर्णय की घोषणा कर दी थी। उन प्रस्तावों में एक तो मिर्जापुर की चुर्क सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों के बारे में था। एक कुंदन शुगर मिल, अमरोहा, के बारे में था जो केन से संबंधित था। एक शाहजहांपुर के गांधी फैजाम कालेज के तीन लड़कों की हड़ताल के बारे में था जिसके विषय में उन्होंने अपना निर्णय सदन को बतला दिया था। अब मैं कृषि मंत्री जी से कहूंगा कि वह अपना भाषण जारी रखें।

श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)—

शाहजहांपुर के गांधी फैजाम कालेज के बारे में जो हड़ताल चल रही है उससे वहां पर बड़ी गम्भीर परिस्थिति पैदा हो गई है। कालेज बन्द है और हालत खराब है।

श्री अधिष्ठाता—

वह नोटिस जो आपने दी थी उसको नामंजूर कर दिया गया था। अब उसको प्रेस करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री भगवानसहाय—

मेरी उपाध्यक्ष महोदय से बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि इस पर विचार किया जायगा।

श्री अधिष्ठाता—

मैं माननीय उपाध्यक्ष की रूलिंग का उल्लंघन नहीं कर सकता। यह मेरी मजबूरी है। इसलिये मेरी आप सहायता करें और प्रेस न करें।

श्री शिवराजसिंह—

मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९६३–६४ के लिये अनुदान संख्या ४७—कृषि योजनाओं पर पूंजीगत लागत के अन्तर्गत १४,११,७१,७०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय। मान्यवर, उत्तर प्रदेश जैसे कृषि प्रधान प्रदेश में कृषि तथा पशुपालन की उन्नति तथा इन दोनों स्रोतों, दोनों जरायों से अधिकतम धन पैदा करने की आवश्यकता के संबंध में दो रायें नहीं हो सकतीं। इसके महत्व के संबंध में भी अधिक बल देना संभव नहीं है। जो मांगें मैंने प्रस्तुत की हैं सदन के समक्ष स्वीकृति हेतु, उनका संबंध प्रदेश की ८७ फीसदी ग्रामीण जनता के मुख्य व्यवसाय कृषि से है। इसलिये प्रारंभ में ही, मैं आपके द्वारा इस सदन के माननीय सदस्यों से बड़े अदब से विनम्रतापूर्वक यह प्रार्थना करूंगा कि इन मांगों पर वह शांतिपूर्ण ढंग से बुद्धि और विवेक से रचनात्मक योगदान इस विवाद में दें। उत्तर प्रदेशीय सरकार कृषि और पशु पालन की उन्नति के महत्व को सही आयतन में समझती रही है और उत्तर प्रदेश सरकार का गत १२ वर्षों के योजना बद्ध विकास के काल में कृषि पर बल बराबर बढ़ता चला जा रहा है। उसका संक्षेप में प्रमाण यह है कि ज्यों ज्यों हमारी योजनाओं के आयतन बढ़ते गए हैं, त्यों त्यों कृषि तथा पशु पालन के ऊपर भी प्लान के अन्दर आउट ले बढ़ते गए हैं। मैं निवेदन करूं कि प्रथम योजना के अन्दर २३.६३ रुपये और द्वितीय योजना में ४१.०४ रुपये कृषि outlay के लिये रखे गये थे। आप देखें कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि तथा पशु पालन पर प्रथम पंचवर्षीय योजना से दूना रुपया रखा गया था और इसी प्रकार से तृतीय पंचवर्षीय योजना में ८७.५७ रुपया कृषि तथा पशुपालन के लिये रखा गया जो प्रथम तथा दूसरी पंचवर्षीय योजना के कृषि के outlay के जोड़ से भी अधिक है।

हम यह भी जानते हैं कि प्रदेश के अन्दर कृषि योग्य भूमि किस कदर सीमित है। आज कितनी भूमि पर खेती होती है, उसका रकबा ४१२.८३ लाख एकड़ है और जिस क्षेत्र पर फसल काटी जाती है, उसका रकबा ५३३.१६ एकड़ है। प्रदेश में कृषकों के परिवारों की संख्या लगभग एक करोड़ है। इस प्रकार से प्रति परिवार के हिस्से में भूमि ५.०८ एकड़ आती है। यदि ५ व्यक्तियों का परिवार मान लिया जाय तो १ व्यक्ति के हिस्से में केवल एक एकड़ भूमि आती है। इस प्रकार से यह आवश्यक हो जाता है कि निकट भविष्य में ही हम ग्रामीण जनता को ज्यादा से ज्यादा कृषि से हटाकर तरह-तरह के उद्योगों की ओर ले जावें। आज नियोजन के विशेषज्ञों और औद्योगीकरण के विशेषज्ञों ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि प्रदेश में औद्योगीकरण के लिये भी यह आवश्यक है कि कृषि की पैदावार बढ़ाई जाय।

श्रीमन्, १९६१ के आंकड़ों के आधार पर हम यह भी कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में आबादी ५४.५९ मिलियन से बढ़ कर ६४.२९ मिलियन हो गई है। इस प्रकार से दशांक में आबादी उत्तर प्रदेश के गांवों में १७.७३ प्रतिशत बढ़ती है और गांवों की आय में इस दशांक में जो वृद्धि हुई है वह केवल ११.८३ प्रतिशत हुई है। वह इस प्रकार से है कि इस दशांक में यू० पी० की ग्रामीण आय १,१०७ करोड़ से बढ़ कर २,३६८ करोड़ रु० आय हुई। इसलिये ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को हमें संभालना है, इस दृष्टि से भी कृषि तथा पशुपालन को हमें अधिकाधिक बढ़ाना होगा।

श्रीमन्, आपतकाल की घोषणा से कृषि तथा पशुपालन का महत्व और भी कई गुना बढ़ गया है। हम सब जानते हैं कि जो भी मुल्क लड़ाई के मैदान में कूदा हुआ हो, उसके लिये यह अति आवश्यक है कि वह खाद्यानों के संबंध में (कृषि तथा पशु पालन के द्वारा जो धन पैदा होता है, उसके संबंध में) पूर्णतया स्वावलम्बी हो। भले ही हमने अब तक विदेशों से सीरियल्स का इम्पोर्ट किया हो, अपने फारेन इक्सचेन्ज को भी खर्च किया हो, लेकिन आज के हालात में हम अपने फारेन इक्सचेंज को खाद्यान्नों के मंगाने में खर्च करने को एफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इसलिये इस बदली हुई परिस्थिति में कृषि तथा पशुपालन की उन्नति की ओर ध्यान देना और भी आवश्यक हो गया है।

मान्यवर, मैं निवेदन करूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस आवश्यकता को पूरा करने की तरफ पूरा ध्यान दिया है और जब से यह संकटकाल की घोषणा हुई है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने कैबिनेट में इसके लिए एक सब कमेटी Food Production Committee नामक कमेटी भी बनायी है। उस कमेटी ने उन तमाम मसलों पर गौर किया जिनका सीधा संबंध कृषि उत्पादन और पशुपालन की उन्नति से था। यही नहीं, उस सब कमेटी के फैसलों को शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वित करने के लिये विभागों में जो बाटिलनेस पैदा हो गयी थी, कुछ रुकावटें आ गयीं थीं, उनको दूर करने की दृष्टि से उच्चाधिकारियों की एक समिति विकास आयुक्त की अध्यक्षता में बनाई जिसमें विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा सचिवों को, जिनका संबंध कृषि तथा पशु पालन से था, रखा गया है, कृषि उत्पादन और पशु पालन की उन्नति के लिये सरकार कितनी सचेष्ट है, उसके लिये मैं कुछ और निवेदन करना चाहता हूं। इस संबंध में मैं यह निवेदन कर दूं कि कृषि उत्पादन तथा पशु-पालन की उन्नति के जितने भी पहलू हैं, जितने भी सवालात हैं, उन सबके हल के लिये सरकार ने गाहे बगाहे कमेटियां बिठाई हैं और उनकी रिपोर्ट जब भी सरकार को प्राप्त हुई है, सरकार ने उनकी सिफारिशों पर निर्णय लिये हैं और उन निर्णयों पर अमलदरामद किया है। स्टेट फार्मों की दशा को सुधारने के लिये सरकार ने एक स्टेट फार्म कमेटी बिठाई और जो भी उसकी सिफारिशों पर निर्णय हुए, सरकार ने उस पर अमलदरामद किया है। इसी तरह मैकेनाइज्ड स्टेट फार्म्स के सिलसिले में भी सरकार ने १९५९ में एक कमेटी बिठाई थी, और उसकी सिफारिशों पर निर्णय लिये और उन निर्णयों पर भी सरकार ने अमलदरामद किया है। कृषि के औजारों के संबंध में भी सरकार ने एक समिति (Ag. Implements Com.) बिठाई, उसकी रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गयी है, और उस पर भी सरकार ने निर्णय ले लिया है और उसके फैसलों के अनुसार अमलदरामद हो रहा है। इसी प्रकार प्रदेश की जितनी वेस्ट लैन्ड हैं उसके सर्वे के लिये एक कमेटी सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट की आई थी, उसकी रिपोर्ट भी सरकार को प्राप्त हो गयी है और उसके निर्णयों के अनुसार सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। कृषि उत्पादन तथा पशु पालन से संबंधित जितने भी सवालात हैं, जिन पर समय-समय पर विचार करने की आवश्यकता हुई है, सरकार ने बोर्ड बनाये हैं अपने यहां। जैसे, स्टेट एग्रीकल्चरल बोर्ड मौजूद है, एनिमल हस्बैन्ड्री बोर्ड है, आदि। यह गाहे बगाहे कृषि संबंधी सवालातों पर विचार विनिमय करते हैं। इसी प्रकार कपास का उत्पादन बढ़ाने के लिये भी अपने प्रदेश में एक काटन कमेटी बिठाई गयी। यही नहीं, जब जूट के दाम गिरने लगे, तो एक जूट कमेटी भी बनी जिसका अध्यक्ष मैं ही हूं। वह कमेटी शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट मार्च के अन्दर देने जा रही है। इस तरह से आप देखें कि कृषि तथा पशु पालन संबंधी जितने भी प्रश्न हैं, उन सभी के लिये सरकार ने समय समय पर कमेटियां बनाई हैं और जो भी उनके निर्णय हुए हैं उन पर अमलदरामद किया है। जितने भी कानूनों की इस संबंध में आवश्यकता पड़ी है, उस संबंध में भी सरकार सचेष्ट रही है। सदन में एक बिल अभी भूमि एवं जल संरक्षण विधेयक पेश हुआ था जो कि सेलेक्ट कमेटी के सिपुर्द है। हम अपने यहां एक सीड बिल भी लाने वाले थे, जैसा कि माननीय भानु प्रताप सिंह जी को पता है, एक सब कमेटी ने उसे तैयार भी किया था, परन्तु हमसे केन्द्रीय सरकार ने यह ख्वाहिश जाहिर की वे पूरे भारत के लिये एक यूनीफार्म ऐक्ट, सीड ऐक्ट, लाना चाहते हैं, इसलिये वह इरादा छोड़ दिया गया है। इसी तरह से कैटिल इम्प्रूवमेंट बिल एग्रीकल्चरल कर्मचारीज रेग्यूलेशन बिल, यह सब तैयार हैं और अवसर प्राप्त होने पर सदन के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे। इन सब बातों के कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे वह कृषि तथा पशुपालन का कोई विशेष पहलू हो, चाहे किसी विशेष कानून की आवश्यकता हो, उनके लिये कृषि मन्त्रालय रात-दिन इस चिन्ता में रहता है कि किस प्रकार से कृषि तथा पशुपालन की उन्नति हो और ज्यादा से ज्यादा पैदावार प्रदेश में हो।

श्रीमन्, मुझे यह कहने में खुशी है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो भी लक्ष्य कृषि उत्पादन के लिये रखे वे सब के सब हासिल हो गये, चाहे वह सीरियल में हो, चाहे कामर्शल

[श्री शिवराजसिंह]

या कैश क्राप्स में हो। यदि हम ५५-५६ की पैदावार को बेसिस मान लें तो हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि दूसरी योजना के अन्त में ६०-६१ में खाद्यान्न में २२ फी सदी, शुगरकेन में ३३ फी सदी, आयल सीड्स में ७०, आलू में १६ फी सदी, काटन में ४५ और जूट में १०५ फी सदी की वृद्धि हुई, जो बहुत शानदार है, इतना ही नहीं, जितने भी आपके प्रदेश में महत्वपूर्ण सीरियल्स हैं, चावल, गेहूं और जौ इनकी पैदाव र को भी आप देखें। चाहे इनका आप एवरेज लें, चाहे ईल्ड पर एकड़ लें, चाहें टोटल पैदावार लें, चाहे इनकी ईल्ड पर एकड़ का मूविंग एवरेज लें, हम इसी नतीजे पर आते हैं कि ये सब आंकड़े इस बात के द्योतक हैं कि ये सब पैदावारें अपनी-अपनी जगहों पर बढ़ती चली जा रही हैं। मिसाल के लिये, चावल की प्रति एकड़ पैदावार सन् ५१-५२ में ५.२७ मन थी, वह ६१-६२ में ८.५४ मन प्रति एकड़ हो गई। इसी प्रकार से गेहूं की पैदावार ८.८ मन से बढ़कर ११.०७ मन हो गई। जौ की ९.६१ से बढ़कर १०.५६ मन प्रति एकड़ हो गई। परन्तु ऐसा कहने से मेरा तात्पर्य यह नहीं है कि इन पैदावारों में इजाफे की गुन्जाइश नहीं है। प्रदेश में जो प्रतियोगिताएं व्यक्तिगत रूप से लोगों के बीच में या सामूहिक रूप से ग्राम सभाओं के बीच में हुई हैं उनके नतीजे हमको बताते हैं कि अभी हमारी पैदावारें कई गुनी बढ़ सकती हैं। मैं आपके सामने ६१-६२ की प्रतियोगिता के फसलों के आंकड़े रखता हूं। पैडी की मैक्सिमम ईल्ड इस प्रदेश में ११४.०७ मन प्रति एकड़ आई, गेहूं की ६६.८७ मन और आलू की पैदावार ६००.७७ मन प्रति एकड़ आई। खुशी इस बात की है कि ये पैदावार के आंकड़े केवल एक सीमित और छोटे से क्षेत्र में खेती करके ही लोगों ने नहीं दिखाये हैं, बल्कि गांव सभाओं में सैकड़ों, बाज बाज केसेज में हजारों, एकड़ में ये पैदावार करके दिखाई हैं, जो इस बात का सबूत है कि यदि कृषि विभाग की खोजों और इस विभाग के सुझाओं पर लोग ध्यान दें तो उनकी पैदावार कई गुनी बढ़ सकती है।

श्रीमन्, कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिये हमने विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम्स तय किये हैं। और इनमें से विशेष महत्व के वे हैं जो पूरा करने में किसान को कोई एडीशनल खर्च नहीं करना पड़ता है। यदि किसान की पैदावार बगैर कुछ खर्च किये बढ़ जाय तो वह सारी अतिरिक्त पैदावार उसके नेट प्राफिट में शामिल होगी। यदि किसी किसान की पैदावार १५ फी सदी बढ़ती है और उसे कोई अतिरिक्त खर्च नहीं करना पड़ता है और यदि हम मान लें कि उसकी नेट इनकम भी १५ परसेंट होती है, तो उसकी इनकम सेंट पर सेंट बढ़ जाती है। इसलिये महकमा इन बातों की खोज करके उन्हें बता रहा है जिससें बगैर खर्च किये उन्हें अतिरिक्त पैदावार मिल जाय। उनमें से एक चीज बीज है जिसके बारे में विभाग के विशेषज्ञों का कहना है कि केवल अच्छा बीज डालने से खेत की पैदावार ७॥ से १५ फी सदी तक बढ़ सकती है। इससे मेरा अनुमान है कि किसान की नेट इनकम भी सेंट पर सेंट बढ़ सकती है। बीज के सम्बन्ध में एक बहुत एम्बीशस योजना प्रदेशीय सरकार ने बनाई हुई है और मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यगण उससे भली-भांति परिचित होंगे। इस योजना में, जो एक बड़ा बाटिलनेक था, उसे प्रोडक्शन सब कमेटी ने इस वर्ष दूर कर दिया है। उसने फैसला किया है कि वह उन्नत बीज बंटवाने के लिये ३ रुपये प्रतिमन की सबसिडी स्वीकार करेगी और इस प्रकार से इस बजट में २२ लाख के लगभग रुपया इससे सबसीडी के लिये रखा गया। उत्तरोत्तर अच्छे और शुद्ध बीज अधिक क्षेत्रों में पहुंचाने का प्रयास हमारे विभाग और सरकार का है। ६१-६२ में १८८.६७ लाख एकड़ के लिये, ६२-६३ में २०४ लाख एकड़ के लिये दिया और ६३-६४ में हमारा लक्ष्य २१६.४ लाख एकड़ में पहुंचाने का है। जहां तक शुद्ध बीज पैदा करने का बोझा कृषि विभाग के ऊपर है, वह इसे पूरा करता चला जा रहा है। ६१-६२ में जहां हमारा लक्ष्य १.५ लाख टन पैदा करने का था, वहां २.६७ लाख टन पैदा किया। ६२-६३ में २ लाख का लक्ष्य पूरा किया और ६३-६४ में २.५ लाख टन पैदा करना है। गत वर्ष में ४०,००० मन अच्छे आलू का बीज और ८,००० पौंड सब्जियों के बीज भी बांटे।

खेती की उन्नति के लिये दूसरी चीज की आवश्यकता है खाद की। कृषि के विशेषज्ञों का कहना है कि आबपाशी वाले क्षेत्रों के लिये ३ टन आर्गेनिक मैन्योर प्रति एकड़ चाहिये और अनइर्रीगेटेड एरिया के लिये १ टन प्रति एकड़ आर्गेनिक खाद चाहिये। यदि इस प्रकार खाद पर्याप्त मात्रा में मिल सके तो १२०० लाख टन खाद की आवश्यकता पड़ेगी, परन्तु जो खाद उपलब्ध है उसके आंकड़े ५७७.६६ लाख टन है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि हमारे प्रान्त में जितना आर्गेनिक मैन्योर बनना चाहिये उसका केवल ५० परसेंट ही बन रहा है। सरकार इस सम्बन्ध में पूर्णतया जागरूक है और उसने सक्रिय कदम उठाये हैं कि किस प्रकार से आर्गेनिक मैन्योर का उत्पादन बढ़े। पी० आर० ऐ० आई० इस बात की कोशिश में है कि वह इस प्रकार की चीजें निकाले जिससे कम से कम ईंधन खर्च करके लोगों का चूल्हे का काम चल सके और अधिक से अधिक मात्रा में गोबर बच सके। इस प्रकार सें १६१ ब्लाक्स में गोबर गैस प्लान्ट लगाये गये हैं। इसके अतिरिक्त जितने भी स्टेट फार्म्स हैं, चाहे वह मैकेनाइज्ड हों, या सीड मल्टीप्लीकेशन के या रिसर्च के हों, उन सबके ऊपर गैस प्लान्ट लगाकर इस बात का प्रदर्शन किया जा रहा है कि गोबर की गैस को काम में ला कर हम गोबर को जलाने से बचा सकते हैं। गांवों में खाद को जमा करने के लिये सरकार सहायता भी देती है। प्रान्त में ४४० लोकल बाडीज में से ४०० लोकल बाडीज में अरबन कम्पोस्ट स्कीम चालू है जहां ढुलाई के लिये सस्ते दरों पर ट्रकों की व्यवस्था है और विभाग के कर्मचारी अच्छी खाद बनाने में सहायता करते हैं। इसके अतिरिक्त ग्रीन मैन्योरिंग पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। ५१–५२ में १.७ लाख एकड़ से बढ़ कर ६१–६२ में १५.७७ लाख एकड़ में ग्रीन मैन्योरिंग हुआ और ६३–६४ में ४० लाख एकड़ में ग्रीन मैन्योरिंग करने का इरादा है। प्रोडक्शन सब कमेटी ने यह तय किया है कि ग्रीन मैन्योरिंग के लिये सीड तैयार किया जाय और क्योंकि इसके लिये विशेष आबपाशी की आवश्यकता होगी इसलिये ट्यूबवेल तथा दूसरे सिंचाई के इलाकों में इसको वितरित करने का प्रयत्न किया जायगा। आबपाशी में ५० प्रतिशत छूट दी जावेगी और उसके लिये एक रुपया प्रति मन सब्सीडी भी दी जायगी और जो किसान ग्रीन मैन्योर विभाग को देंगे उनको भी एक रुपया प्रति मन सब्सीडी दी जायगी और जो व्यक्ति विभाग से उसको लेंगे उनको एक रुपया प्रति मन छूट दी जायगी।

इसके अतिरिक्त सारे मुल्क में नाइट्रोजन तथा फासफेट खादों के प्रयोग की भारी कमी है। नतीजा यह है कि दूसरे मुल्कों के मुकाबलें में हम बहुत कम इस प्रकार की खादों का उपयोग कर पाते हैं जबकि हमारे यहां १.०४ पौंड प्रति एकड़ का औसत है, यू० एस० ए० में ९.५ पौंड, इजिप्ट में ५३.० पौंड, जरमनी में ५९.० पौंड, यू० के० में ७१ पौंड तथा जापान में ११२.३७ पौंड प्रति एकड़ का औसत है। भारत और जापान की फिगर्स को आप देखें तो बड़ा भारी अन्तर उसमें मालूम पड़ता है। इसी प्रकार सें फासफेट्स का औसत भारत में १.५ पौंड प्रति एकड़ है जबकि यू०एस०ए० में ९.८ पौंड, इजिस्प्ट में २४.० पौंड, जापान में ५९.८३ और जरमनी में ६०.० पौड है। हमारे खेतों में जो कम पैदावार होती है उसका एक कारण यह भी है कि हमारे खेतों को जितनी मात्रा में नाइट्रोजन और फासफेट्स मिलना चाहिये उतनी मात्रा में नहीं मिलती। सरकार इस सम्बन्ध में पूर्णतया सचेष्ट है और इस ओर उत्तरोत्तर भागीरथ प्रयत्न कर रही है कि अपने प्रान्त में ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल नाइट्रोजन और फासफेट्स फर्टिलाइजर्स का हो। आप देखेंगे कि १९५१–५२ में ०.३८ लाख टन फर्टिलाइजर का प्रयोग किया गया था लेकिन उसके बाद १९६१–६२ में १.८१ लाख टन, १९६२–६३ में २.४ लाख टन और ६३–६४ में ४.१५ लाख टन वितरित करने का अनुमान है।

इसके अलावा प्रोडक्शन सब कमेटी ने यह भी फैसला किया है कि कृषि विभाग अपने सप्लाई सैल्स कायम करेगी। अब तक फर्टिलाइजर्स को वितरण करने की मनोपली सहकारिता

[श्री शिवराजसिंह]

विभाग की है। लेकिन आंकड़ों को देखने से पता लगता है कि सहकारी समितियां केवल ४० प्रतिशत किसानों की ही हैं और प्रान्त के ६० प्रतिशत किसान अभी उनसे बाहर हैं। इसलिये कृषि प्रोडक्शन कमेटी ने यह फैसला किया है कि कृषि विभाग सप्लाई डिपो बना कर इस खाद का वितरण करके उसकी कमी को पूरा करने का प्रयत्न करे। इसके सबन्ध में यह भी तय किया गया है कि सर्विस कोआपरेटिव्ज को ३ हजार प्रति गोदाम सब्सीडी तथा २ हजार प्रति गोदाम लोन दिया जाय और जब तक गोदाम न बन जायें २४० रुपया प्रति वर्ष फर्टिलाइजर्स रखने के लिये किराया दिया जायगा। इसके अतिरिक्त डिपार्टमेंटल बफर गोड उन्स रीजनल हैड् क्वार्टर्स और पहाड़ी जिला के हैड क्वार्ट्स पर कायम करने का इरादा है। इससे जाहिर है कि सरकार चाहती है कि काश्तकार को खाद बुलककार्ट डिस्टेंस पर मिल जाया करे ताकि किसानों को यह शिकायत न हो कि उसे खाद लेने में दिक्कत होती है या पर्याप्त मात्रा में उचित समय पर उसे खाद नहीं मिलती।

खेती के अन्दर एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स का भी विशेष स्थान है। जहां तक मैंने शुरू में निवेदन किया कि इन इम्प्लीमेंट्स के सम्बन्ध में सरकार ने एक समिति बनायी थी और उस समिति ने प्रदेश के विभिन्न रीजन के लिये विभिन्न प्रकार के इम्प्लीमेंट्स की सूची बनायी थी और आपने सिफारिश भी की थी कि किस दाम पर और कहां इम्प्लीमेंट्स मिलेंगे। इस प्रदेश के प्रत्येक ब्लाक के अन्दर इनको पहुंचा दिया गया है जहां से ये बेचे जायेंगे। इसके अतिरिक्त इन इम्प्लीमेंट्स को लोकप्रिय बनाने के लिये और किसानों के फायदे के लिये तरह-तरह के डिमांस्ट्रेशन रबी और खरीफ की फसलों में किसान के खेतों में किये जाते हैं जिनके फलस्वरूप अब इनकी बिक्री काफी बढ़ गयी है। अगर कोई किसान इन इम्प्लीमेंट्स को खरीदता है तो उसे २५ फी सदी की तथा यदि कोई गांव सभा या कोआपरेटिव सोसाइटी खरीदती है तो उसे ३३ फी सदी की सब्सिडी दी जाती है। इस तरह से इनकी बिक्री उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। सन् १९५१-५२ में जहां इनकी बिक्री संख्या १.३० लाख थी वह बढ़ कर १९६०-६१ में १.६३ लाख हो गयी, १९६२-६३ में २ लाख हो गयी और १९६३-६४ में हमारा इरादा ३ लाख इम्प्लीमेंट्स बेचने का है। इसके अतिरिक्त हमारी कोशिश यह भी है कि इन इम्प्लीमेंट्स के सम्बन्ध में विभागीय कर्मचारियों के अतिरिक्त किसानों को भी ट्रेनिंग दी जाय। इसीलिये गत वर्ष ३०० ब्लाक्स के लगभग ३० जिलों के अन्दर कृषकों को ट्रेनिंग दी गयी और १९६३-६४ में ४० जिलों में इसे चालू करने का विचार है।

जैसा कि श्री बलवान सिंह और दूसरे बहुत से माननीय सदस्यों ने भी कहा कि सिंचाई का खेती में बहुत ही महत्वपूर्ण हाथ है। हर सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर के साथ कृषि विभाग का एक कर्मचारी रखा गया है ताकि किसानों को ज्यादा फसल पैदा करने में मदद करे और बतलाये कि किस तरह से पानी का अच्छा इस्तेमाल किया जाय। गारन्टी स्कीम के रूप में इसे किया जायगा ताकि फसल ज्यादा पैदा हो सके।

इसी प्रकार से प्लान्ट प्रोटेक्शन का भी खेती में विशेष स्थान है। अन्दाजा यह है कि करीब १० प्रतिशत फसल मुख्तलिफ किस्म के कीड़े खराब कर देते हैं। अब तक यह सारा काम आफिशियल एजेंसी के द्वारा ही होता था लेकिन अब हमारी कोशिश यह है कि काश्तकारों को इस बात की ट्रेनिंग दी जाय कि वे अपनी फसलों को किस तरह से बचा सकें। सन् १९६२-६३ में १३,५०० किसानों को इस बात की ट्रेनिंग दी गयी और सन् १९६३-६४ में करीब ७२,००० किसानों को इस प्रकार की ट्रेनिंग देने का हमारा विचार है। फसलों को बचाने के लिये मुख्तलिफ लोगों को १९६२-६३ में ६.३४४ लाख कर्जा दिया गया और १९६३-६४ में उसके लिये ८.६५६ लाख रुपया रखा गया है।

स्वायल कन्जर्वेशन तथा जल संरक्षण का भी खेती में एक विशेष महत्व है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि कुछ सालों तक खेती की पैदावार बढ़ती नहीं है तो आने वाली सन्तानों के

लिये यह बहुत आवश्यक है कि वह खेतों को इस योग्य छोड़े कि कई आने वाली पुश्तें इसका अहसान मानें और यह महसूस करें कि हमारे बुजुर्गों ने इस प्रकार की गलती नहीं की जिसने हमारी खेतों की उपज न बढ़ सके। स्वायल कन्जर्वेशन की हमारी ११ स्कीम चल रही हैं और बारहवीं स्कीम अगले साल शुरू होने वाली है। १९६२-६३ में .९२६ लाख एकड़ में स्वायल कन्जर्वेशन का काम शुरू हुआ लेकिन १९६३-६४ में इसे १.९१७ लाख एकड़ में किया जायगा। किसानों को कच्चे काम पर २५ प्रतिशत और पक्के पर ३३ प्रतिशत छूट दी जायगी और इस तरह से जितने धन की आवश्यकता होगी वह कर्जे के रूप में दिया जायगा। जहां मैंने यह आंकड़े पेश किये और बताया कि स्वायल कन्जर्वेशन का काम बढ़ रहा है वहां यह भी स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि जो हमारे लक्ष्य थे वह हम कुछ वजूहात से पूरे नहीं कर सके और इसकी खास वजह यह है कि हमारे पास ट्रेण्ड पर्सोनेल की कमी है। अब जैसा कि हमारे माननीय कृषि मन्त्री जी ने भूमि तथा जल संरक्षण विधेयक के समय बताया था कि कानपुर कालेज में स्वायल कन्जवेशन में एम० एस० सी० का कोर्स आरम्भ किया है और जिन सेन्टर्स पर स्वायल कन्जरवेशन की ट्रेनिंग होती थी वहां पर अब अधिक ट्रेनीज को बोर्डिंग हाउस में और अधिक जगह देकर ट्रेन किया जायगा।

इसके अलावा प्रदेश के अलग अलग रीजन्स में बहुत से काम चल रहे हैं, जैसे बुन्देलखंड में वहां के राकेट रीजन के लिये अन्डी की पैदावार बढ़ाने की योजना है। इसी तरह से पहाड़ों पर जहां की धान की फसल अच्छी हाती है वहां पर किस प्रकार से धान अच्छा पैदा हो सकता है, इसकी लेबोरेटरी एक पहाड़ पर बनायी जायगी जो पहाड़ी प्रदेश में फर्टिलाइजर्स आदि की सिफारिशें ठीक से कर सके। इसी प्रकार स्वायल कन्जरवेशन के सम्बन्ध में पहाड़ी क्षेत्र में एक नया फार्म बनाने का इस साल विचार है और इसी प्रकार बुन्देलखंड में जहां कि ज्वार बाजरा ज्यादा पैदा होता है वहां ज्वार किस तरह से अधिक पैदा हो इस प्रकार की स्कीम वहां चलाने का विचार है। इसके अलावा फर्रुखाबाद और बदाऊं में मूंगफली का पेकेज प्रोग्राम चलाने का विचार है।

जैसा कि मैंने आरम्भ में कहा, हमारा ट्रेनिंग की तरफ भी खास ध्यान है। हम चाहते हैं कि हमारे कर्मचारी जो कानपुर कालेज से पढ़ लिखकर निकलते हैं, उनको अपटूडेट रिसर्च का ज्ञान रहे, इसके लिये उनके अस्थायी ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है। १९६२-६३ में ग्रुप २ और क्लास २ की सर्विसेज को ट्रेनिंग दी गई है और इरादा है कि २ के बजाय ४ सेन्टर पर फार्म सुपरिटेंडेंट और ग्रुप ३ के कर्मचारियों को भी १९६३-६४ में ऐसी ट्रेनिंग दें ताकि अब तक की जो खोजें कृषि के सम्बन्ध में हमारे पास हैं उनसे उनको अवगत कराया जाय।

इसके अलावा किसानों के लिये भी गाहे बगाहे मुखतलिफ चीजों की ट्रेनिंग की व्यवस्था है। एक कृषि ब्यूरो भी है जहां पर मासिक पत्रिकाओं द्वारा जो जो नई चीजें और स्कीमें विभाग की होती हैं उनका प्रकाशन और प्रसार काश्तकारों के बीच में हम करते रहते हैं। "कृषि तथा पशु" नाम की पत्रिका "कृषि, समाचार पेकेज प्रोग्राम" आदि पत्रिका निकलती है, डायरी और केलेन्डर आप ने देखा ही होगा। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा और उनको विश्वास दिलाऊंगा कि कृषि ब्यूरो की जितनी पब्लिकेशन्स हैं उनका उत्तरोत्तर स्टेन्डर्ड उठेगा और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह वक्त निकालकर उनको अध्ययन करने की कृपा करें।

फार्म्स के सम्बन्ध में जैसा कि मैंने निवेदन किया, उनकी अवस्था उत्तरोत्तर अच्छी हो रही है। आज हमारे १५१ सीड मल्टीप्लीकेशन फार्म्स में से ७९ ऐसे हैं कि जो अब मुनाफा देने लगे हैं और अब हमने इन फार्म्स को ए० बी० सी० डी० चार श्रेणियों में बांट दिया है। पैदावार के लिहाज से जैसा कि मैंने प्रश्नों के उत्तर में भी कहा था कि पैदावार के बढ़ने के सम्बन्ध में विभाग के सबसे बड़े कर्मचारी उसके जिम्मेदार बनाये गये हैं। इसके अतिरिक्त, श्रीमन्,

[श्री शिवराजसिंह]

फार्म्स के ऊपर हमने यह भी तय किया है कि १२५ रुपये प्रति एकड़ के बजाय २२५ रुपये प्रति एकड़ खर्चे के लिये दिया जाय ताकि उनकी उन्नति हो सके। इसी तरह फार्म सुपरिन्टेंडेंट जो अच्छा काम करते हैं उनको भी उन्नति दी जा रही है। हमारे फार्मों की अवस्था दिन पर दिन अच्छी होती जा रही है। प्रदेश के अन्दर २४ रिसर्च फार्म्स में से २१ रिसर्च फार्म्स पर, बावजूद इसके कि नई-नई खोजें की जाती हैं और बहुत नान-कमर्शियल खर्चा करना पड़ता है, भारी मात्रा में जो पूंजीगत लागत है उस पर सूद देना पड़ता है और डेप्रीसियेशन देना पड़ता है, मुनाफा हुआ है।

मैकेनाइज्ड फार्म्स की भी हालत उत्तरोत्तर सुधरती जा रही है। आप देखें, मैकेनाइज्ड स्टेट फार्म्स के ऊपर हरियाना, मुर्रा, गंगातीरी, थपरकार और भदावरी नस्ल के पशु हैं। इनकी ईल्ड ३०० दिन के अन्दर जो १९५०–५१ में थी वह १९६१–६२ में काफी बढ़ गई है, जमीन आसमान का अन्तर आप पायेंगे।

हरियाना १९५०–५१ में दूध का औसतन देती थी १८५५ पौंड, जो ६१–६२ में बढ़कर २,४५९ हो गया।

मुर्रा १९५०–५१ में दूध औसतन देती थी २,६९१ पौंड, जो ६१–६२ में बढ़कर ३,२३२ हो गया।

गंगातीरी १९५०–५१ में दूध औसतन देती थी १,२६० पौंड, जो ६१–६२ में बढ़कर ३,६०० हो गया।

सरकार १९५०–५१ में दूध औसतन देती थी १,२०० पौंड, जो ६१–६२ में बढ़कर २,४०० हो गया।

भदावरी १९५०–५१ में दूध औसतन देती थी १,८०० पौंड, जो ६१–६२ में बढ़ कर २,३४० हो गया।

यह एक लेक्टेशन पीरीयड में हो गया।

इसी तरह से एवरेज एज आफ फर्स्ट कार्विंग की घटना किसी मुल्क के लिये बहुत अच्छी बात है। माननीय भानु प्रताप सिंह इसको जानते होंगे। ऊपर बतायी गई नस्लों की एवरेज एज आफ फर्स्ट कार्विंग में १९५८-५९ के मुकाबले १९६०-६१ में काफी घटी है। इन फार्म्स पर ५ साल में जहां २० लाख का घाटा हुआ है वहां ३५ लाख रुपये का लैन्ड्स के अन्दर इम्प्रूवमेंट हुआ है और २९ लाख ५१ हजार ७१५ रुपये डेप्रीसियेशन और सूद के रूप में दिया गया है। इसलिये बैलेंस शीट में इन सबका ध्यान रखा जाय, तो मैकेनाइज्ड फार्म्स लाभ पर चल रहे हैं।

गन्ने के सम्बन्ध में १० जिलों के अन्दर जो नान-फैक्ट्री एरियाज थे वहां गुड़ और खांडसारी के डेवलपमेंट की योजना चली थी। अब सरकार ने निश्चय किया है, तमाम १८ जिलों में यह योजना चालू की जायगी। १९६०–६१ में प्रदेश के अन्दर चीनी की पैदावार का रेकार्ड ब्रेक हुआ था, १४.०४ लाख टन शुगर पैदा हुई थी जबकि टार्गेट केवल ११.२५ लाख टन था। १९६१–६२ में जो कट सेंट्रल गवर्नमेंट ने इम्पोज किया उससे चीनी की पैदावार घटकर ११.८५ लाख टन हो गई; इसलिये प्रदेश की सरकार की एक हाई पावर कमेटी मुख्य मन्त्री की अध्यक्षता में बैठी जिसकी रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है, वह बन रही है। इसकी एक सब कमेटी ने यह सिफारिश की है कि २५ फैक्ट्रीज के चारों तरफ ४,००० एकड़ प्रति मील पर का एक इंटेंसिव कल्टीवेशन गन्ने का किया जाय और इस साल इस काम के लिये २४.१५ लाख रुपया रखा गया है। सरकार चाहती है कि जितनी फैक्ट्रीज हैं और जितना उनका रिजर्व्ड एरिया है उन सब पर यह योजना लागू कर दी जाय, यदि वहां के काश्तकार एक तिहाई फैक्ट्री और सेंट्रल गवर्नमेंट एक तिहाई क्रमशः खर्चा सरकारी कर्मचारियों का देने को तैयार हों।

इसी प्रकार से गन्ना विभाग के पास भारी मात्रा में रकम मायनर इर्रीगेशन के लिये रखी जाती है। ६२–६३ में गन्ना विभाग द्वारा १५७.२५ लाख रुपये कर्जे के रूप में बांटे गये। ६३–६४ में केन कमिश्नर को २ करोड़ रुपये दिये गये हैं कि वे इसका इस्तेमाल करें।

पशु पालन के क्षेत्र में हमारा विशेष ध्यान आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन के ऊपर है। हम चाहते हैं कि प्रदेश के अन्दर जो गिरी हुई नस्ल के मवेशी हैं उनका अपग्रेडिंग आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन से हो सके।

हमने एक स्कीम स्वीकार की है जिसके तहत ४५० सेंट्र्स खोलने हैं। ५० सेंटर ६२–६३ में खोले गये। इस तरह से टोटल में A. I. Centres १३३ हो गये। १०० सी० आई० सेंटर्स ६३–६४ में खोलने का विचार है। जहां १. ४ लाख इंसेमिनेशन हुये थे ६१–६२ में वहां ६२–६३ में हमारा अन्दाजा है, इससे कहीं ज्यादा आर्टिफिशियल इन्सेमिनेशन होंगे। पैडागिरी बुल्स खरीदने के लिये भी अधिक रकम रखी गई है ताकि ५५ गौशालाओं को हम पैडागिरी पालने हेतु सहायता दे रहे हैं।

इसी तरह से सरकार की कोशिश यह भी है कि पशुओं की बीमारी पर भी नियन्त्रण किया जा सके। ४४ लाख टीके रेंडर पेस्ट के खिलाफ १९६२–६३ में लगाये जा सके। ४४ लाख टीके इस वर्ष १९६३–६४ में लगाने की तैयारी है और १९६३–६४ में हम कह सकेंगे कि सारे प्रान्त में पशुओं को हमने रेंडर पेस्ट से इम्यून कर दिया।

फिशरीज के क्षेत्र में जो कार्य हो रहा है उसकी चर्चा करना भी मैं आवश्यक समझता हूं। हमारे प्रान्त के अन्दर २६ लाख एकड़ पानी का क्षेत्र है जिसमें ८ लाख एकड़ का क्षेत्र इस प्रकार का है कि जिसमें फिशरीज कलचर हो सकती है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्दर जो धनराशि रखी गयी है वह दूसरी पंचवर्षीय योजना से चौगुनी है फिशरी कल्चर के लिये। ६२–६३ के अन्दर ३ रिजर्वायर्स रखे गये थे। इस मोहकमे के पास ५ रिजर्वायर थे और ५ हजार एकड़ के अन्दर वह फिशरी कल्चर कर रहे थे। १९६३–६४ के अन्दर रिहन्द के अन्दर फिश फार्मिग करने के अतिरिक्त ५ रिजर्वायर खोलने का विचार था लेकिन एमर्जेन्सी घोषणा के बाद केवल १ रिजर्वायर मिर्जापुर में खोलने का विचार है। ५५ मीडियम वाटर्स में दो विभाग के पास हैं और तीन और इस साल लेने का विचार है। इस वर्ष ४ जिलों के अन्दर नर्सरीज खोलने का विचार है। गत वर्ष हमने कोशिश की थी कि आर्टिफिशियल सीड पैदा हो जाय फिश का लेकिन मानसून के फेल हो जाने से कामयाबी नहीं मिली। ६३–६४ में फिर कोशिश जारी है। स्टाफ की ट्रेनिंग हो चुकी है। ब्रुड का कलेक्शन और नर्सरीज का कांस्ट्रक्शन शुरू हो गया है। इस वर्ष हम आशा करते हैं कि हमको कामयाबी अवश्य प्राप्त हो जायगी। इसी प्रकार से १०० ब्लाक्स के अन्दर हमने फिशिंग पेराफर्नेलिया भेज दिया है और लोनिंग कोआपरेटिव सोसाइटीज के जरिये गांव समाज में किया गया है और प्राईवेट लोगों को यह छूट दी गयी है कि वे फिश सीड सरकार को सप्लाई करें। हमारा इरादा है कि ९५ लाख फिश सीड हम पब्लिक को दे सकें। इसी प्रकार से रशन एक्सपर्ट्स को बुला कर डीप वाटर फिशरीज में खोज करने की कोशिश है। माताटीला में काम हो रहा है। कठोलाताल फिश फार्म पर और ब्लाक पर्सनल को टी० ई० पी० सेंटर्स पर ट्रेनिंग दी जा रही है। दो प्रोबेशनर्स को सेंट्रल इन्स्टीट्यूट फार फिशरीज एजूकेशन, बम्बई, भेजा जा रहा है और इसी प्रकार से दो को सेंट्रल इन्लैन्ड फिशरीज रिसर्च इन्स्टीट्यूट, बैरकपुर, भेजा जा रहा है।

इसी प्रकार से पोल्ट्री फार्मिग के लिये हमारी बड़ी कोशिश हो रही है। सदन के समक्ष विभाग के विभिन्न क्षेत्रों में जो भागीरथ प्रयत्न किये जा रहे हैं, कृषि तथा पशुपालन से ज्यादा से ज्यादा दौलत पैदा करने के, मैंने संक्षेप में रखे हैं। मैं माननीय सदस्यों से पुनः अनुरोध करूंगा कि वे बहुत गम्भीरतापूर्वक आज के राष्ट्रीय आपात काल में कृषि तथा पशुपालन सम्बन्धी भागों में भाग लें और हमको रचनात्मक सुझाव दें।

*श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २०—कृषि सम्बन्धी विकास के अन्तर्गत मांग की राशि घटा कर १ रुपया करदी जाय । यही प्रस्ताव मैं उन तीन शेष अनुदानों २१, २२ व ४७ के सम्बन्ध में भी पेश करता हूं जो माननीय मंत्री जी ने पेश किये हैं । कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है ।

अधिष्ठाता महोदय, माननीय उपमंत्री जी ने जिस अच्छे तरीके से विभाग की दी हुई रिपोर्टों को पढ़ा मैं समझता हूं उसमें कोई उनकी ओर से गलती नहीं हुई और विभाग की ओर से जैसी जैसी रिपोर्टें आयीं उन्होंने उनको पढ़ दिया । माननीय कृषि मंत्री जी ने यह भी नहीं देखा कि माननीय वित्त मंत्री ने अपने भाषण में जिक्र किया तो किन-किन चीजों का किया था । उन्होंने दो, तीन चीजों का जिक्र किया था, मैं पढ़ दूं :—

"नल-कूपों के सिंचाई-क्षेत्रों का परिमाण कम किया जा रहा है और १० एकड़ क्षेत्र की भी सिंचाई करने वाले छोटे निजी नल कूपों को बिजली दी जायगी । यह निश्चय किया गया है कि मूंग किस्म १ और ४४, चना और मिश्रित जाति का (हैब्रिड) मक्का, सनई और ढेंचा यदि १५ जून के पहले बोया जायेगा तो उनकी सिंचाई के लिये ५० प्रतिशत तक की राज-सहायता दी जायगी। माननीय मंत्रीजी इन सब बातों को न मालूम क्यों भूल गये । इनका भगीरथ प्रयत्न इस तरफ है तो माननीय वित्त मंत्री जी का भगीरथ प्रयत्न दूसरी तरफ है । अगर ये दोनों भगीरथ प्रयत्न खिचने लगे तो क्या होगा ? मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री ने जो भगीरथ प्रयत्न किये उनको मैं छोड़ दूं और जो कृषि मंत्री ने भगीरथ प्रयत्न किये उनके बारे में कुछ कहूं क्योंकि वित्त मंत्री जी के भगीरथ प्रयत्न को कृषि मंत्री जी ठीक नहीं समझते । मैंने यह इसलिये निवेदन किया कि कृषि मंत्रीजी जब पढ़ रहे थे तो वे सब चीजों का जिक्र ऐसे सन् का कर रहे थे जो बीत चुका, जिससे किसानों का कोई लाभ नहीं । कृषि विभाग की तरफ से दो पत्रिकायें बंटी हैं, एक तो परियोजनायें और प्रगति और दूसरी थर्ड फाइव इयर प्लान । जो अंग्रेजी की तृतीय पंचवर्षीय योजना बंटी है उसमें तीन बातों को माना गया । उसमें यह बात मानी गयी कि जिन जिन केश क्राप्स का टारगेट मंत्रीजी पूरा कर रहे थे उन सब में यह माना गया है कि उनके टारगेट गिर गये हैं और विभाग उनको पूरा नहीं कर सकता । जैसे, आयल-सीड्स का टारगेट १४.०६ लाख टन था जो सिर्फ १२.२८ लाख टन पूरा हो सका । यह १९६१–६२ का है । अभी मंत्रीजी जो पढ़ रहे थे उससे ऐसा मालूम होता था कि उत्पादन बहुत बढ़ गया है और इसमें लिखा है कि टारगेट पूरा नहीं हुआ, वह टारगेट पिछले वर्ष से भी कुछ कम हो गया, क्योंकि पिछले वर्ष वह था ८.४७ लाख टन और फिर हो गया ७.५२ लाख टन । उसके बाद कपास का जिक्र है । कपास में भी जो उसके उत्पादन की आशा थी वह बहुत कुछ पूरी नहीं हुई । शायद कपास का आपने स्वीकार किया कि आप पूरा नहीं कर पाये । एक काम और किया गया कि जिन चीजों का उत्पादन घटा था या शंका थी उनका जिक्र हीं नहीं किया गया है । हिन्दी वाली पुस्तक में उनका जिक्र ही उड़ा दिया गया है । इसमें केवल उर्वरक और खाद का जिक्र है और व्यवसाई फसलें हैं, उसमें रोग फैलने वगैरा का जिक्र है, लेकिन कैश क्रौप्स का कहीं जिक्र नहीं । मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि.....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

सदन में माननीय सदस्य बहुत बात चीत कर रहे हैं । जो बात करना चाहें वे लाबी में चले जायं । यहां पर बात करना उचित नहीं होगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—

मेरी समझ में तो पूंजी, भूमि और जल से कृषि की कोई योजना आगे बढ़ सकती है। सरकार ने काश्तकार को जूट का प्रोडक्शन बढ़ाने का सुझाव दिया, लेकिन उसके दाम इतने गिर गये कि काश्तकार को कोई लाभ नहीं हुआ। इसी तरह से आपके प्रोत्साहन पर काश्तकार ने जब गन्ने का उत्पादन बढ़ाया तो केन्द्रीय सरकार ने दस प्रतिशत शकर का प्रोडक्शन गिरा दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि वे अपनी फसल कहां लें जायं। उनको अपनी नष्ट करनी पड़ी। इसकी जिम्मेदारी दोनों सरकारों की है। मैं इसलिये ये सब बातें कह रहा हूं कि काश्तकार के लिये यह जीवन-मरण का प्रश्न है।

आपके इनाम घोषित करने से किसी काश्तकार का उत्पादन बढ़ गया तो सामूहिक रूप से उत्पादन नहीं बढ़ सकता है और मैं नहीं समझता कि आपके इन शोध कार्यों से उत्पादन बढ़ जायगा। आप ऐसी योजनायें काश्तकार को दें जिनके चलाने से काश्तकार को तात्कालिक लाभ हो सके। माननीय चरणसिंह जी ने स्वयं कहा कि काश्तकार की तत्काल आमदनी बढ़नी चाहिये और जब काश्तकार ने आपकी योजनाओं पर चलने का प्रयास किया तो आपने उसे धक्का दिया। आपने गन्ने का उत्पादन बढ़ाने की कोशिश की और किसानों को बढ़ावा दिया लेकिन इस साल हर फैक्टरी पहले ही बंद होने जा रही है। इस बात को ध्यान में रखकर योजना नहीं बनाई जाती है कि उत्पादन बढ़ने पर किस तरह से काश्तकार को उचित दाम मिलें। इसका नतीजा यही होता है, जैसा कि कृषि मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है, कि प्रदेश के फार्म घाटे पर चल रहे हैं। उन्होंने कभी इस तरह से पूरी की कि २० लाख की जमीन का मूल्य ३५ लाख हो गया। मैं पूछता हूं कि आपके डिमांस्ट्रेशन पर कृषक कैसे चले। क्या वह जमीन के दाम बढ़ाकर घाटा उठा सकता है? कोई भी कृषिवेत्ता क्या इस बात का समर्थन कर सकता है कि लैंड की कीमत बढ़ा दो और प्रोडक्शन को इतना कम कर लो कि उसका जीवन-यापन न हो सके? आप फार्म सुपरिंटेंडेंट को आदेश दें कि जितना कृषक उत्पादन बढ़ा सकता है उसके अलावा एक रुपया प्रति एकड़ भी फार्म में न लगायें। आपने ११५ रुपये प्रति एकड़ उत्पादन में लगाया था। इसे बढ़ा कर २२५ रुपये प्रति एकड़ कर दिया। यह जो रुपया बढ़ गया आपका फार्म प्रोड्यूस उतनी देने लगा लेकिन क्या ११० रुपया प्रति एकड़ सामान्य कृषक अपना उत्पादन बढ़ाने के लिये, अपनी पूंजी लगा सकता है? आपके उन आदर्शों, आपके उन डिमांस्ट्रेशन का काश्तकार की आर्थिक नीति से कोई सम्बन्ध नहीं। आपके तमाम प्रयोग अव्यावहारिक सिद्ध होते हैं, और उनके व्यावहारिक न होने के कारण सारी कृषि विभाग की नीतियां फेल हो जाती हैं। अभी अभी माननीय वित्त मंत्री जी ने जिक्र किया एम० एस०-सी० ए० जी० खुल रहा है। मुझे बड़ी खुशी हुई। लेकिन अभी कृषि मंत्री ने जो रुद्रपुर में भाषण दिया, उसमें उन्होंने कहा कि तमाम शिक्षा बेकार हैं। आज जो कृषि स्नातकों की शिक्षा है वह बिल्कुल बेकार है। उसमें आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। मैं पूछता हूं कि १९४७ से अगर यह शिक्षा बेकार रही है और उसमें आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है, तो यह किस की जिम्मेदारी है कि आमूल परिवर्तन करे। फिर बेकार लोगों का प्रोडक्शन क्यों मल्टीप्लाई करते जाते हैं? मैं समझता हूं कि माननीय कृषि मंत्री जी का दिमाग खराब है। इससे पहले भी मैं कह चुका हूं कि कृषि मंत्री का मैं दिमाग खराब समझता हूं क्योंकि उनको हमेशा उल्टी चीज नजर आती है। कृषि विभाग के डाइरेक्टर शिक्षा विद् हैं और कृषि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर ऐडमिनिस्ट्रेशन विद् हैं, वहां ऐसे आदमी की जरूरत है जो हुकूमत कर सके। मैं नहीं जानता कि किस बात के लिये वह बना दिये गये। मुझे उस विश्वविद्यालय की शिक्षा का भी अनुभव है, शिक्षा जो पुरानी हो रही है। मैंने उसको स्वयं लिया। मैं समझता हूं कि करोड़ों रुपया बेकार खर्च हो रहा है। अगर आपके तीन विभागीय अधिकारी आपकी चापलूसी से विदेश चले गये, तो क्या उनके जाने से विभाग में कोई नवीनता आ गयी? आपको प्रदेश की शिक्षा नीति में एक लाइन पकड़नी पड़ेगी। जब आपने अपने प्रदेश की शिक्षा को बुरा कह दिया तो वही स्नातक आप के विभाग में उत्पादन कैसे बढ़ा देंगे? उसके लिये

[श्री टम्ब्रेश्वरीप्रसाद]

कृषि मंत्री जी ने क्या रास्ता निकाला, यह मेरी समझ में नहीं आता है। हमारे कृषि मंत्री जी रोज इसका जिक्र करते हैं । चौधरी साहब की जो पुस्तक है उसको उनके जो जगह जगह भाषण होते रहते हैं उनको मैं विशेष रूप से पढ़ता रहता हूं । उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि भूमि से कुछ लोग हटाये जायं। उन्होंने मेरठ और देवरिया का उदाहरण दिया कि मेरठ में प्रति व्यक्ति भूमि अधिक है और देवरिया में प्रति व्यक्ति भूमि कम है । लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि वहां पर जो कैपिटल रिसोर्सेज हैं, पश्चिम जिलों में उन काश्तकारों को जो अनडेवलप्ड एरियाज के हैं, उनको उपलब्ध करने के लिये कृषि मंत्री जी ने क्या किया । जब कभी यह बात आती है तो उन्होंने उस तरफ से आंखें बन्द कर लीं । आपने यह भार कोआपरेटिव विभाग पर डाल दिया । आपने कहा कि सीड का डिस्ट्रीब्युशन कोआपरेटिव विभाग करेगा । आपने बन्द कर दिये अपने सीड स्टोर्स । क्यों बन्द कर दिये ? आज उसी बात की फिर पुनरावृत्ति करने जा रहे हैं यह कह कर कि ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट ज्यादा इफीशियेंट है। यह उल्टा-पल्टी इस बात की द्योतक है कि उनके विभाग में आपस में संतुलन नहीं है, जो इस बात का द्योतक है कि इनके विभाग ठीक ठीक काम नहीं करते। तो उसको उलट-पुलट करने से तो वही नतीजा होगा कि जो मन्त्री जी ने रिपोर्ट में कहा है कि जब भी कभी ऐसा उलट-पुलट हुआ तो उत्पादन गिर गया । तो मैं चाहता हूं कि कृषि विभाग अपनी अधिक उपादेय नीतियों को एक हद तक चलाये और अगर किसी नीति को एक बार छोड़े तो एक साल दो साल चलने दे । रोज रोज नीतियों में आमूल परिवर्तन करने से न तो विभाग अपनी कोई दृष्टि बना पाता है, न कार्यक्रम में कोई प्रगति हो पाती है । इसलिये यह मैं कह रहा हूं कि काश्तकार के लिये मुख्य हित की बातें दो ही हो सकती हैं । एक तो यह कि उसको कृषि के सारे साधन उपलब्ध कराये जायं । तो उसमें कृषि विभाग क्या सहायता देता है? इर्रीगेशन विभाग उससे बिलकुल अलग है, कर्जा देने वाला विभाग उससे बिलकुल अलग है, श्रम के और विभाग जो हैं वह भी उससे बिलकुल अलग हैं। कृषि विभाग का काम केवल एक प्रकार के डिमान्स्ट्रेशन का काम है जिसका कि कोई उत्तरदायित्व इस बात के लिये नहीं है कि उत्पादन घटेगा या बढ़ेगा। मैंने आज भी और आज से पहले भी इस बात की मांग की है, हो सकता है इसके पहले के कृषि मंत्री कुछ कमजोर हों,लेकिन आज के कृषि मंत्री तो काफी हावी रहे हैं अपने विभागों के ऊपर और वह हमेशा अच्छी तरह अपने विभाग की बातों को समझते हैं, तो उनको इस बात पर जोर देना चाहिये कि कृषि विभाग के लोग सीधे जिम्मेदार हों उत्पादन के लिये और अगर वह उत्पादन न बढ़ा सकें तो उनको सजा मिलनी चाहिये, लेकिन इसके साथ-साथ जिन बातों का जिक्र मैंने अभी किया उन बातों में उनको पूर्णतया अधिकार होना चाहिये, तभी सजा मिलनी चाहिये । मैं अपने जिले की बात बतलाता हूं । नहर विभाग ने समय पर पानी नहीं दिया । किसान चिल्लाते रहे । जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि चूंकि बीच की पुलिया चौड़ी करनी थी और सीमेंट किसी और समय नहीं लगायी जा सकती थी, इसलिये उस समय किसानों को पानी नहीं दिया जा सका । आज उपमंत्री जी बहुत बात कर रहे थे जापान और अमेरिका की । लेकिन मैं बड़े अदब के साथ उनको यह बताना चाहता हूं कि जापान में ९५ प्रतिशत वाटर सप्लाई अश्योर्ड है, जब काश्तकार चाहेगा तब ही पानी मिल सकता है । क्या आपका विभाग भी इस तरह पानी दे सकता है ? आपके विभाग के जो फार्म्स हैं मेरे खयाल से वह भी आपके पानी के लिये रोते रहते हैं, फिर भला काश्तकार को आप क्या पानी दिला सकते हैं ? आपने अभी बहुत सी कमेटियों के नाम गिनाये, मैं लिखते लिखते थक गया, फूड प्रोडक्शन कमेटी, स्टेट फार्म कमेटी, मेकेनाइज्ड स्टेट फार्म कमेटी, यह सब कमेटी वह गिना ले गये और कहा कि इनके सबके जितने भी सुझाव थे वह लागू कर दिये गये, तो वह सुझाव कहां लागू हुये, किस तरह लागू हुये, उन सुझावों से क्या तात्कालिक लाभ हुये, यह मेरी समझ में नहीं आया और न आगे वर्ष भर तक समझ में आयेगा । अगले साल जब फिर बजट पर माननीय कृषि मन्त्री जी विवेचना करने खड़े होंगे तो वह इसी प्रकार का रटा हुआ स्टेटमेंट यहां दे देंगे जिसे देना उनके लिये आवश्यक है । मैं यह पूछता हूं, क्या माननीय कृषि मन्त्री जी आज कृषि के अनुदान पर विवाद हो रहा है, यहां उपस्थित भी नहीं रह सकते थे, जबकि सुबह वह यहां थे . . . . .

श्री शिवराजसिंह—

वह अस्वस्थ हैं ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—

अच्छा । तो उपमंत्री जी यहां उपस्थित हैं, उनसे मैं यह कहना चाहता हूं कि आप के बजट की जो नयी मदें हैं उनमें कृषि का उत्पादन बढ़ाने या काश्तकार के हित से सम्बन्धित किसी नीति का जिक्र तो है नहीं । आप बजट देख लें । उसमें तो गन्ना विकास में ज्येष्ठ लेखा परीक्षक के सात पदों का सृजन है, खाद्य और चारे की फसलों के विकास की योजना के अन्तर्गत जो विवेकानन्द प्रयोगशाला, अल्मोड़ा में चल रही है, कतिपय अस्थायी पदों का स्थायीकरण है । यह तीन काम जो हैं यह इस योजना की नयी मदों के अन्तर्गत जो आपका बजट आया है उसमें लेखा शीर्षक ३१ में प्रस्तुत हैं । दूसरी जो मदें इसमें हैं वह हैं "कतिपय शकर कारखानों के आसपास के क्षेत्रों का सघन विकास" । (लाल बत्ती होने पर) मुझे कुछ समय और मिलना चाहिये ।

अभी कुछ समय पूर्व माननीय मंत्री जी यह कह रहे थे कि वह ऐसे काम करने जा रहे हैं जिससे वदेशों से अन्न नहीं मंगाना पड़ेगा और काश्तकारों की आवश्यकतायें पूरी हो जायेंगी लेकिन जो बहुमत में कृषक के लाभ की वस्तुयें हैं उनका जिक्र तक नहीं किया गया है । जैसे मिल गेट पर ही काश्तकारों का मूल्य मिल गया तो उस से काश्तकार का क्या बहुत ज्यादा लाभ होनेवाला है, मेरी समझ में नहीं आता । हो सकता है माननीय मंत्री जी ने कहते समय यह सोचा हो कि उन चीजों का जिक्र पुराने अनुदानों के समय आ गया है । अब उस में पढ़ने में समय लगेगा लेकिन पुराने अनुदानों में इस प्रकार की एक भी योजना नहीं है । कुक्कुट पालन का अभियान जो है उससे हो सकता है कि अधिकारियों को कुछ अंडे कम मिलने लगे हों, कुछ काश्तकारों का विशेष लाभ होने वाला नहीं है । मछलियों की सप्लाई कम हो गयी है । हो सकता है लोकल डिमान्ड ज्यादा हो, उसके लिये प्रयत्न किया गया है । लेकिन इससे विशेष लाभ होने वाला नहीं है । मेरे मित्र बलवान सिंह जी और भानुप्रतापसिंह जी वगैरह ने बारबार इस सदन में उत्पादन के मूल्य के बारे में कहा है, लेकिन इसके लिये सरकार ने क्या प्रबन्ध किया है ? मैं जानना चाहता हूं कि जब सरकारी फार्म में आपका प्रोडक्शन २२५ रुपया प्रति एकड़ पड़ता है तो फिर काश्तकार अपना फार्म कैसे १०० रुपये प्रति एकड़ पर चलायेगा ? सब्सीडी के लिये कहा गया है । लेकिन सब्सीडी तो तब मिलेगा जब वह उत्पादन में रुपया लगा दे लेकिन वह उत्पादन के लिये रुपया लाये कहां से आज इस बढ़े हुये टैक्सों के जमाने में, इस बढ़े हुये लगान के जमाने में, और बढ़ी हुई सिंचाई की दर के जमाने में ? मंत्री जी शायद सिंचाई की दर को कम करने की सोचते हैं लेकिन काहे पर सोचते हैं ? ढेंचा पर, सनई पर और ऐसी चीजों पर जिनका सीधा सम्बन्ध उत्पादन से नहीं है । उस में भी वह कहते हैं कि १५ जून से पहले लगाये । मकई और मूंग टाइप वन् की हरी खेती फेल हो जायगी अगर उसे समय से पानी नहीं मिलता है । वह देने की बहुत जरूरत है ।

मंत्री जी ने फर्टीलाइजर्स का जिक्र किया है । एक मजेदार किस्सा यह है कि फर्टिलाइजर्स का अच्छी तरह से प्रयोग है या नहीं? होना यह चाहिये कि जहां जरूरी हो वहां मंत्री जी जबरदस्ती फर्टिलाइजर्स दिलावें । तब तो समझ में बात आती है, अन्यथा यह सब बातें जो कही गयी हैं बेकार हैं ।

इसके साथ साथ मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार किसानों के हित की सही बातों पर जोर दे ताकि उन पर करभार कम से कम पड़े, तभी काश्तकार अपने उत्पादन को बढ़ा सकता है ।

*श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके सामने और सदन के समक्ष कोई बहुत लम्बी बातें रखने का प्रयत्न नहीं करूंगा क्योंकि बहुत कुछ बातें तो हमारे सामने मंत्री जी ने रखने का प्रयत्न

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री केशव गुप्त]

किया। उन्होंने काफी समय लिया। दूसरे हम नित्यप्रति अध्ययन भी करते हैं और देखते हैं कि आंकड़ों के ऊपर कोई विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं तो कुछ सूत्र से कुछ विशेष बातें जो कि हमारी कृषि की नीति में आमूल परिवर्तन चाहती हैं, वह आपके सामने सुधार के रूप में रखना चाहता हूं। यह तो हमें मालूम है कि हमारे प्रदेश की साढ़े ७ करोड़ जनता में से ७० प्रतिशत जनता ४ या साढ़े ४ करोड़ एकड़ जमीन के ऊपर अपना जीवन निर्वाह करती है। इस प्रकार हमारे यहां जो औसत जोत है वह एक एकड़ से भी कम आती है। इसके माने यह है कि सब देशों से अधिक हमारे प्रदेश के अन्दर बोझ बढ़ा हुआ है। यही कारण है कि हम जितने उपाय कृषि की उन्नति में लगाते हैं, जितना रुपया कृषि की उन्नति में व्यय करते हैं उस मात्रा में लाभ नहीं पहुंच रहा है, जितना पहुंचना चाहिये। इसलिये पहली आवश्यकता इस बात की है कि जिस तरह से भी हो हम इसको भूमि से अलग करें। इसके लिये हमें कुछ आमूल परिवर्तन अपनी नीति में करना पड़ेगा। हो सकता है कि हमें नियमों और अधिनियमों की तबदीली करने की आवश्यकता हो, इसमें कान्स्टीट्यूशन को तबदील करने की आवश्यकता हो, और इससे यदि देश और प्रदेश आगे बढ़ सकता है तो तबदीली करने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिये, क्योंकि नियम तो हमारे जीवन को सहल बनाने के लिये बनाये जाते हैं न कि हम उनके लिये बने हैं।

एक सुझाव यह भी रखना चाहता हूं कि शिक्षा में जो कृषि का विषय रक्खा गया है, उसमें आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। हमें अपनी जनता और जन-समाज के रुझाव को तबदील करना है तथा और पेशों में लगाना है, जिससे सभी लोग खेती पर ही आश्रित न रहें। हमारे सभी प्रयत्न यह होने चाहिये कि खेती से हमारा बोझा कम हो और लोग दूसरे व्यापारों में लगें।

सरा सुझाव यह है कि आजकल वह लोग भी खेती में लगे हुये हैं जो वास्तव में खेती नहीं करते हैं और पूरा समय खेती में नहीं देते हैं। उन लोगों का पेशा या तो डाक्टरी है या वकालत है या व्यापारी है या कोई अन्य कार्य करते हैं। ऐसे लोगों को हमें खेती से हटाना चाहिये क्योंकि वे लोग खेती पर पूरी निगाह नहीं रख सकते हैं। खेती, मेरा निजी अनुभव है, एक ऐसा पेशा है जो पूरा समय चाहता है। यदि इसके लिये नियमों या अधिनियमों को तबदील करने की आवश्यकता हो तो करना चाहिये। आज जो लोग वैकल्पिक रूप से खेती करते हैं उनसे शीघ्र से शीघ्र जमीन को ले लें।

तीसरी चीज जो मैं रखना चाहता हूं वह यह है कि मेकानाइजेशन आफ एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स। जितना भी हो सके हमें मार्डर्न तरीके खेती के लिये प्रयोग में लाना चाहिए। ट्रैक्टरों का प्रयोग करके तथा और तरीकों को व्यवहार में लाकर हमें अपनी खेती को मैकानाइज करने की आवश्यकता है। जब हम ऐसा करेंगे तो होल्डिंग बढ़ेगी। हमारा जो पशुधन है वह कम होगा। नतीजा यह निकल रहा है कि हमारे यहां जो दूध के पशु हैं उनकी कमी हो रही है। हमारे यहां दूध का जो औसत है वह अन्य देशों से बहुत कम है, जिसका कारण चारे की कमी है। अगर खेती मैकनाइज हो गई तो दूध का भी औसत बढ़ जायगा। जब दूध पशुओं से मिल जायगा और दूध खाने में शामिल हो जायगा तो हमारे अन्न का खर्चा कम हो जायगा और अन्न का बोझा कम होगा। इससे यह भी फायदा होगा कि हमारा नियोजन होगा और हमारी फैमिली प्लानिंग होगी, क्योंकि डाक्टर यह कहते हैं कि जो मनुष्य अन्न कम खाता है वह ज्यादा स्वस्थ रहता है। इससे यह भी एक लाभ होगा कि उसमें बच्चे पैदा करने की शक्ति भी धीरे-धीरे कम हो जायगी, जिससे देश का बड़ा लाभ होगा।

चौथी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे आपने इंडस्ट्रियल लोन फण्ड इंडस्ट्री के लिये कायम किया है, उसी तरह से इस बात की आवश्यकता है कि हम अपने प्रदेश के अन्दर एक एग्रीकलचर लोन फण्ड कायम करें और कम से कम ५ करोड़ रुपया उसके लिये रखें और ४, ५ साल तक उसको फैलाते चले जायं। इस तरह से उसको फैलायें कि हमारे यहां ५२, ५३ जिलों में उसका उपयोग हो सके। प्रान्त के हर जिले में ८,१० गांवों का समूह एक जगह छांटकर

रखें और वहां पर ऐसी भूमि ली जाय जो उपजाऊ हो, जहां के काश्तकार गरीब हों। उनको आप छांटें। उन गांवों में हम स्टेट की तरफ से इम्प्रूव्ड इम्पलीमेन्ट्स भी उनको सप्लाई करें। इस तरह से वहां पर इन्तजाम करें कि जहां से काश्तकार उस लोन के जरिये से सारी सुविधा प्राप्त कर सके, उन काश्तकारों को हम अच्छी खाद, अच्छा पानी, अच्छा बीज दें और उन गांवों को हम बिलकुल सेपरेट कर दें। उन काश्तकारों की जितनी भी आवश्यकतायें हों उनको हर तरह से पूरा किया जाय। उसके बाद हम उनको पैदावार का लक्ष्य दें, उनकी पैदावार का टारगेट फिक्स कर दें, कि तुमको इतनी पैदावार करनी होगी। फिर आप देखें कि साल के अन्दर यदि कोई अपने अन्न की पैदावार का टारगेट पूरा नहीं करता है तो उससे उस लोन को लेकर दूसरे को दें। जो वहां पर अधिकारी होगा वह इस बात को देखें कि उन सारी सुविधाओं के बावजूद भी अगर किसी काश्तकार ने उस लक्ष्य को पूरा नहीं किया है तो उससे वह लोन वापस किया जाय और फिर वह दूसरे को दिया जाय। इससे यह भी लाभ होगा कि जो खेती करने के योग्य नहीं हैं या खेती के काम को सुस्ती से करते हैं या बेकार समझते हैं वह सब खेती से हटते चले जायंगे और इस तरह से अपने आप ही खेती का बोझ कम होगा। इस तरह से यदि आप करेंगे तो ३, ४ साल के अन्दर बहुत बड़ा लाभ होगा। यदि आपने ४, ५ साल तक इस लोन को कायम किया और एग्रीकल्चर लोन फन्ड का उपयोग सही रूप में होता गया तो खुद ही खेती की पैदावार बढ़ती चली जायगी। इससे हमारे प्रदेश की पैदावार अपने आप आगे बढ़ेगी। इसलिये मैं यह साफ कहना चाहता हूं कि इन्टेन्सिव कल्टीवेशन ही एक ऐसा उपाय है जिससे आप खेती की उन्नति कर सकते हैं और प्रदेश में अन्न की पैदावार बढ़ा सकते हैं। जितनी आपकी सब मार्जिनल स्वायल हैं या खादर की जमीन हैं उन सब में पैदावार बढ़ाई जा सकती है। मैं अमेरिका की एक किताब पढ़ रहा था। उसमें बतलाया गया था कि वहां पर एक कमेटी बैठाई गई, जिससे कहा गया कि वह नये साधन खेती का पैदावार बढ़ाने के लिये बतलाये। इस बात की छानबीन करने के बाद वह इस नतीजे पर पहुंची और उसने यह कहा कि अभी तो खेती की पैदावार बढ़ाने के लिये २० प्रति शत साधन ही इस्तेमाल हो रहे हैं, अभी यही साधन इस्तेमाल किये जायं। नये साधन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि जो हमारे यहां सब-मार्जिनल स्वायल हैं, उनके लिये अभी और साधन लेने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारे यहां मौजूदा जमीन हैं उन पर ही अधिक से अधिक पैदावार लेने की कोशिश करें और हिम्मत के साथ उन जमीनों के ऊपर ही पैदावार बढ़ाने की कोशिश की जाय। वह इन्टेन्सिव कल्टीवेशन के जरिये से ही हो सकता है। तब ही हमारी सबमार्जिनल स्वायल भी उपजाऊ हो सकती है। जब हमारे यहां की पापुलेशन बढ़ती जा रही है तो हम इन्टेन्सिव कल्टीवेशन के जरिये से ही उस बेसिक जरूरत को पूरा कर सकते हैं। मैं समझता हूं यदि उन बातों को शीघ्रता के साथ कार्यान्वित किया गया तो हमको बहुत लाभ हो सकता है। वरना मैं यह कहना चाहता हूं कि १०, १२, १५ साल से मैं अनुभव कर रहा हूं कि कहीं इधर उधर कुछ नतीजा देखने को मिला है लेकिन वास्तव में कृषि की जितनी उन्नति होनी चाहिये और कृषि का जो नतीजा हम चाहते हैं वह नहीं निकल रहा है। जितना रुपया हम उसके ऊपर व्यय कर रहे हैं उसका सदुपयोग नहीं होता है। यह प्लानिंग का जमाना है। प्लानिंग के जमाने में हर वेस्ट (waste) को बचाने की जरुरत है जिससे हमारी पैदावार बढ़े, साधन बढ़े, धन बढ़े और रुपये का सदुपयोग हो सके। इन सुझावों के साथ मैं मंत्री जी से प्रार्थना करुंगा कि वह इन पर ध्यान देने की कृपा करें।

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं परन्तु इसका यह अर्थ लगाना ठीक न होगा कि मैं विभागीय अथवा मंत्री जी के कार्यक्रम से असहमत हूं। जिन परिस्थितियों में यह विभाग कार्य कर रहा है, जिन लिमिटेशन्स में हमारे मंत्री जी कार्य कर रहे हैं, जिस सैद्धान्तिक दल दल में हमारी सरकार पड़ी हुई है, जिस प्रकार से प्लानिंग कमीशन और भारत सरकार का दबाव इस सरकार पर पड़ रहा है, इन सब बातों को

[श्री भानुप्रतापसिंह]

देखते हुए जो कुछ भी यह विभाग कर रहे हैं, उससे मैं सहमत हूं। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा कृषि विभाग नहीं कर सकता। परन्तु इसका यह अर्थ भी नहीं है कि मैं यह आशा करता हूं कि कभी भी इस देश का कृषि उत्पादन इन परिस्थितियों के बने रहते हुए इतना बढ़ जायगा कि हमें विदेशों से अन्न मंगाने से मुक्ति मिल सकेगी। मुझे तो यह आशा नहीं है कि कभी भी देश इस प्रकार की न तियों का अनुसरण करते हुए खाद्यान्न में स्वावलम्बी बन सकेगा। कृषि विभाग एक ऐसा विभाग है जिसके हाथ में कोई ताकत नहीं है। वह ऐसे कदम उठा नहीं सकता जिससे देश में वास्तव में कृषि उत्पादन बढ़े। कृषि विभाग, सहकारिता विभाग और सिंचाई विभाग यदि एक मंत्रिमंडल के अन्दर हो तो मैं समझता हूं कि इससे प्रदेश का ज्यादा हित होगा। यहां पर मंत्रिमंडल को छोटा करने की बात कई बार उठाई गई परन्तु मैंने उस विषय में कुछ नहीं कहा। परन्तु आपसे मेरा इतना अनुरोध अवश्य है कि आप इन विभागों को एक मंत्री के हाथ में सौंप दें। देश का इससे अधिक हित होगा। लेकिन ऐसा करने में अनेक बाधायें उपस्थित होंगी। इस कार्य को करने में माननीय मुख्य मंत्री जी अपनी प्रतिष्ठा को बाधक न बनने दें।

श्रीमन्, आप देखें कि बीज गोदामों की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। आज शुद्ध बीज ठीक से नहीं मिल रहे हैं। परन्तु कृषि विभाग इस दिशा में कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि बीज भंडार भी सहकारिता विभाग के हैं। चूंकि सहकारिता को प्रोत्साहन देना है, इसलिये बीज भंडार सहकारिता विभाग को दे दिये गये। आप देखें कि इन लिमिटेशन्स के अन्दर कृषि विभाग काम कर रहा है। मैं एक बात बतलाना चाहता हूं कि इन बीज भंडारों के विषय में आज हमारे उप-मंत्री जी ने कहा कि सहकारिता के आधार पर बीज भंडारों को चलाने के लिये २०–२२ लाख रुपये सबसीडी के तौर पर सरकार देगी। मैं मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि आज से ७–८ वर्ष पहले के वह आंकड़े देखें, जबकि यह कारोबार कृषि विभाग के पास था। उस समय बीज वितरण के कारोबार में सरकार को इतना मुनाफा होता था कि वे कृषि विभाग का खर्चा केवल बीज वितरण के मुनाफे से चला सकते थे। जो काम इतने मुनाफे से चल रहा था, उस काम के लिये २२ लाख रुपये की सब्सिडी अब दी जाने वाली है। यह सब बातें जो मैंने कहीं, इन पर विचार किया जाना नितान्त आवश्यक है क्योंकि इसमें सरकार का ही हित है। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा, हमारी सरकार सैद्धांतिक दलदल में फंसी हुई है। यही कारण है कि प्रगति नहीं हो पा रही है। आप देखें कि चूंकि सहकारिता का समर्थन करना है, इसलिये जो एक काम मुनाफे से हो रहा था, और जिसमें टैक्स पेयर के पैसे की बचत हो रही है, उसको सहकारिता के सुपुर्द कर दिया गया। इस सदन को मैं यह स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि आधे से ज्यादा सरकारी बीज गोदामों पर घाटा हो रहा है। उसमें ५–६ लाख रुपये प्रतिवर्ष का घाटा हो रहा है। उसके अलावा सबसीडी देने की बात कही गई है। यह एक गम्भीर और विचारणीय प्रश्न है कि किस प्रकार से सरकारी नीतियां उत्पादन बढ़ाने में बाधक होती हैं। मैं आपके सम्मुख २–१ इसके उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। अभी जिस समय यहां पर सीमा निर्धारण यानी जोत हदबन्दी का बिल उपस्थित था, उस समय यह व्यवस्था की गई थी कि यदि किसी बड़े किसान की जोत में आर्चर्ड (orchard) लगी हुई है तो वह हदबन्दी से बरी रहेगी। यह सिर्फ इसलिये किया गया था कि देश में फल अधिक पैदा हों, बागबानी को प्रोत्साहन मिले लेकिन अभी एक कान्फिडेन्शियल सरक्यूलर रेवेन्यू विभाग से निकाला गया है कि आरचर्ड वही माना जायगा, जिसमें पौधों के नीचे कल्टीवेशन न होता हो, मैं यह जानना चाहता हूं, हमारे उपमंत्री जी, जो कृषि के स्वयं एक विशेषज्ञ हैं, कि जब कोई आरचर्ड लगाई जाती है तो क्या उसको परती छोड़ देना उचित होगा। क्या उसके नीचे नीचे २–४ वर्ष तक जब तक पेड़ की छाया अधिक न हो तब तक खती करना उचित न होगा। कृषि विभाग एक रिकमेन्डेशन करता है, बाग लगायें जायें, जिससे फलों का उत्पादन बढ़े, तो आप देखें कि दूसरी तरफ दूसरा विभाग उसको काट देता है। जिस प्रकार से समुद्र में जहाज टार्पीडो किया जाता है, उसी प्रकार कृषि विभाग की शिक्षा से टार्पीडो की जाती है। जब तक इस प्रकार की बाधायें बनी रहेंगी, तब तक कृषि कार्य म किसी का भी मन नहीं लग सकता। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इस बात को स्पष्ट करें कि सरकार ने किन

परिस्थितियों में इस सरक्यूलर को निकाला है, जिसमें कहा गया है कि यदि आर्चर्ड में खेती होती है, तो उसको आरचर्ड नहीं माना जायगा। हमारे कृषि मंत्री जी बहुत कहते हैं कि जापानी ढंग से खेती हो। मैंने इस सदन में कई बार अपने क्षेत्र के किसानों की दुर्दशा की ओर ध्यान दिलाया है। हमारे खाद्य मंत्री जी ने बार बार आश्वासन दिया कि वहां धान १० रुपये प्रति मन पर खरीदा जायेगा। परन्तु मैं इस बात को कहना चाहता हूं और पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि वहां एक छटांक धान भी १० रुपये प्रति मन के हिसाब से नहीं खरीदा गया है। वहां अब भी ७–८ रुपये प्रति मन बिक रहा है। यदि यही भाव रहेगा, तो आप अपने किसी भी फार्म पर जापानी ढंग से खेती करके देख लें, उसमें फायदा नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में किसान क्योंकर आपके बताये ढंग को अपनाये और पैदावार बढ़ाये? श्रीमन्, किसानों के साथ जब तक मूल्यों के संबंध में अन्याय होता रहेगा, तब तक कोई तरक्की नहीं हो सकती। उत्पादन बढ़ने का क्या परिणाम होता है, उसके कुछ आंकड़े मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। सन् १९५२–५३ के मुकाबले में १९५३–५४ में पैदावार बढ़ कर ११० के मुकाबले ११२ हो गयी, परन्तु कृषक को वास्तविक मूल्य ११० से घट कर ९४ ही मिला। १९५४–५५ में उत्पादन बढ़ा, वह ११२ से १२२ हो गया, मगर उसका परिणाम यह हुआ कि कृषक को, जो मूल्य मिला वह ९४ से घट कर ८६ रह गया। इसी प्रकार मेरे पास और भी आंकड़े हैं जिनको देखने से मालूम होता है कि जब कभी भी उत्पादन बढ़ा है, किसानों की वास्तविक आमदनी घटी है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसी हालत में कृषि की उन्नति हो सकती है। सन् १९५२ की तुलना में ६२ की कृषि की पैदावार डयोढ़ी बढ़ गयी, परन्तु किसान की आमदनी केवल ५.९ प्रतिशत ही बढ़ी। जब जब मूल्यों की बात यहां उठाई गयी, उसके विरोध में यह कहा गया कि भारत कृषि प्रधान देश है और हम यहां कृषि को सब्सीडाइज नहीं कर सकते। श्रीमन्, जब हम समता के मूल्य की बात करते हैं तो कोई भीख नहीं मागते, किसानों की मेहनत का उचित मूल्य मागते हैं, उनके लिये न्याय मांगते हैं। यह कहा गया कि स्वतंत्र पार्टी तो कंट्रोल में विश्वास नहीं करती, भाव कैसे ठीक किये जायं क्योंकि उसके लिये तो कन्ट्रोल करना लाजमी हो जाता है। इस विषय में स्वतंत्र पार्टी क्या करेगी इस फिलहाल छोड़िये, कांग्रेस पार्टी तो कन्ट्रोल में विश्वास करती है। अन्य वस्तुओं पर यह सरकार कन्ट्रोल कर सकती है, तब कृषि वस्तुओं के उचित मूल्य क्यों नहीं दिला सकती, इसका क्या कारण है? स्वतंत्र पार्टी अगर कन्ट्रोल में विश्वास नहीं करती तो वह यह भी नहीं चाहती कि एक तरफा कन्ट्रोल लागू हो, इक तरफा कन्ट्रोल से किसानों के साथ अन्याय होता है। आप भले कहते हो कि कृषि वस्तुओं के मूल्य हम गिराने में इसलिये समर्थ हैं, हमने अधिक उत्पादन किया है। परन्तु वास्तविक कारण यह है कि आप करोड़ों रुपये का गल्ला अमेरिका से मंगा रहे हैं। आप किसी प्रकार का कन्ट्रोल न भी करें, केवल इतना ही करें कि अमेरिका से गल्ला मंगाना बन्द कर दें तो मूल्य अपने आप ठीक हो जायेंगे। एक तरफ आप किसानों के साथ यह अन्याय कर रहे हैं, दूसरी तरफ देश के अन्दर उद्योगपतियों को आपने छूट दे रखी है कि वे जिस प्रकार से चाहें भावों को बढ़ायें बल्कि उनको आपने एक तरह से प्रोटैक्शन दे रखा है। लिहाजा औद्योगिक वस्तुओं का मूल्य, जिसको किसान खरीदते हैं बराबर बढ़ रहा है। एक तरफ एक वर्ग को आप प्रश्रय दे रहे हैं और दूसरी तरफ असहाय पिछड़े हुए किसानों को अमेरिका के आधुनिकतम यंत्रों से सुसज्य किसानों से कंपीट करा रहे हैं। पिछले दस वर्षों के अन्दर १,७०० करोड़ रुपये का गल्ला आपने विदेशों से मंगाया है। उस पर भी मूल्य को गिराने के लिये भारत सरकार ने २५० करोड़ रुपये की सब्सीडी दी है। इस प्रकार से आप अमेरिका के किसानों को सब्सीडी दे रहे हैं लेकिन देश के किसानों को उचित मूल्य देने के लिये तैयार नहीं हैं। जब तक देश के किसानों की इस प्रकार से अवहेलना होती रहेगी, तब तक किसानों की उन्नति की आशा करना व्यर्थ है।

[श्री भानुप्रतापसिंह]

श्रीमन्, कृषि विभाग ऐसी परिस्थितियों में काम कर रहा है जिनमें उससे यह आशा नहीं की जा सकती कि वह उन्नति कर सकेगा। वास्तविक आवश्यकता इस बात की है कि इस बारे में सरकारी नीति बदले और सरकार को किसानों के साथ सहानुभूति हो और उनके साथ न्याय किया जाय।

माननीय कृषि मंत्रीजी ने कहा कि हम खाद, पानी और बीज का इन्तजाम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि किसान स्वयं यह क्यों नहीं कर सकते। खाद, पानी और बीज की उस बीमारी का लक्षण है जिससे किसान ग्रसित है। यह बीमारी नहीं उसका लक्षणमात्र है। लक्षण को दबा कर बीमारी अच्छी नहीं की जा सकती। यदि बीमारी को दूर करना है तो असली कारण को ढूढना होगा। असली कारण यह है कि इस देश में किसानों की सदियों से अवहेलना की गयी है और आज के शासन में भी अवहेलना हो रही है, उनके साथ अन्याय हो रहा है। कहा जाता है कि हमने किसानों पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर दिया है। यदि आप मूल्यों के विषय में जो किसानों का शोषण होता है, उसको जोड़ें तो आपको मालूम होगा कि किसानों का जो नुकसान हो रहा है, वह पंचवर्षीय योजनाओं में किसानों पर खर्च किये गये कुल रुपये से कहीं अधिक है। अभी अभी केन्द्रीय कृषि मंत्री, श्री एस० के० पाटिल, ने अपने भाषण में कहा है कि मूल्यों का निर्धारण तेज छुरे की तरह है, इससे रोग को आपरेशन करके अच्छा भी किया जा सकता है और इससे कसाइयों की तरह हलाल भी किया जा सकता है। इससे आमदनी का पुनः वितरण होता है। इसलिये मेरा कहना है कि यदि आप किसानों के साथ इन्साफ नहीं करेंगे तो किसानों की सारी आमदनी खिंच कर शहरों में या दूसरे उद्योग करने वालों के पास चली जायगी और यह जो गांवों की ओर से शहरों की ओर धारा बह रही है वह बन्द न होगी। इसी उल्टी धारा का परिणाम है कि दो योजनाओं के बाद भी ग्रामीण क्षेत्र की आमदनी घटी है, बढ़ी नहीं है। ऐसी योजनाओं से क्या लाभ जिनसे देश के ७५ प्रतिशत लोगों की आमदनी घट जाय ?

कृषि विभाग के कार्यकर्त्ताओं के लिये जो कमेटी नियुक्त की गयी थी उसने सिफारिश की थी कि कृषि विभाग को "ए" क्लास विभाग माना जाय और उनको दूसरे विभागों के कर्मचारियों की भांति ही सुविधायें दी जायं। वह कमेटी विरोधी दल के लोगों की नहीं थी, उसे कांग्रेस ने ही नियुक्त किया था तथा कृषि से सम्बन्धित बड़े-बड़े लोगों की वह कमेटी थी। लेकिन आज तक क्यों उस कमेटी की सिफारिशों की उपेक्षा जाती रही है ? यह एक उपेक्षित विभाग है और इस काम से जो भी संबंधित हो जाता है उसकी उपेक्षा होती है। उसका एक ज्वलन्त उदाहरण यही है कि कमेटी के सुझावों पर आज तक अमल नहीं हुआ। मेरा कहना है कि उस पर अमल होना चाहिये।

२०–२१ तारीख को किसानों को अच्छी फसलें पैदा करने पर इनाम बांटा गया था, तो वहां माननीय कृषि मंत्री जी ने एक भाषण दिया था। उस भाषण में उन्होंने कहा था कि इस देश में किसानों की बेइज्जती होती है, कृषि विभाग के कर्मचारियों की बेइज्जती होती है और कृषि के मंत्री की भी बेइज्जती होती है। मैं कोई अपनी तरफ से यह बात नहीं कह रहा हूं बल्कि माननीय मंत्री जी ने स्वयं कहा था। वह भाषण आल इंडिया रेडियो द्वारा टेप रेकार्डेड है, उसे आप देख सकते हैं। मेरी राय में उन्होंने ठीक ही कहा था। जब तक यह स्थिति नहीं बदलेगी, जब तक किसानों की इज्जत नहीं होगी, कृषि विभाग की इज्जत नहीं होगी, और कृषि से संबंधित मंत्री की इज्जत नहीं होगी, तब तक कृषि का उत्पादन नहीं बढ़ेगा। अतः इस स्थिति को बदलना ही सरकार का प्रथम कर्त्तव्य होना चाहिये।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्षमा किया जाऊं यदि मैं बजट के संबंध में धन्यवाद और मुबारकबादी इस अवसर पर दूं। जब से यह बजट पेश हुआ है मैं करीब ४६ बार बोलने के लिये खड़ा हुआ लेकिन आज बजट पर बोलने का अवसर मिला है। तो मैं सबसे पहले वित्त मंत्री और सरकार को बधाई व धन्यवाद देता हूं।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

श्रीमन्, माननीय मुकन्दी लाल जी कांग्रेस दल से संबंधित हैं या स्वतंत्र दल से ?

श्री अधिष्ठाता—

वे इस सदन के एक माननीय सदस्य हैं।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर—

इस बजट को संकटकालीन बजट कहा गया है, लेकिन मैं उसे राष्ट्र की सुरक्षा का बजट और राष्ट्र की आजादी का बजट कहता हूं। मैं वित्त मंत्री जी को और सरकार को इस बात के लिये धन्यवाद देता हूं कि इस बजट में पहली मर्तबा उन सिपाहियों के बच्चों की शिक्षा का विशेष प्रबन्ध किया गया है जो कि हमारे भारतवर्ष की रक्षा के लिये लड़ रहे हैं और मर रहे हैं। इस बजट में करीब ३५ लाख रुपया सरकार ने एक सैनिक स्कूल के लिये रखा है। मुझे आशा है कि इस स्कूल को गढ़वाल में खोला जायगा।

(व्यवधान)

अधिष्ठाता—

विषयान्तर हो रहा है। माननीय सदस्य विषय पर ही आ जायं।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर—

इस प्रदेश के २०६ करोड़ के बजट में कृषि के लिये केवल साढ़े ४ करोड़ रुपया रखा गया है। मेरे खयाल से देश की रक्षा के बाद सबसे अधिक ध्यान कृषि पर ही होना चाहिये और रक्षा विभाग के बाद वही सब से भारी विभाग होना चाहिये। इसके लिये जो साढ़े ४ करोड़ रुपया रखा गया है वह कम है। इसके लिये और रुपया रखा जाना चाहिये था।

अब कृषि विभाग के सम्बन्ध में कुछ सुझाव मैं देना चाहता हूं। मुमकिन है कि कुछ लोगों को मेरा यह सुझाव अनोखा मालूम हो। लेकिन जो मेरा सुझाव है, उससे हमारे देश की पैदावार बढ़ सकती है और उससे हमारा देश अन्न के मामले में आत्म-निर्भर हो सकता है।

हमारे माननीय कृषि मन्त्री जी ने कहा कि पशुपालन के लिये वे विशेष ध्यान देंगे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस वक्त तक का जो हमारा तजुर्बा है उसके आधार पर मैं कहता हूं कि जहां तक स्टेट बुल्स का सम्बन्ध है, सब जगह सरकार की तरफ से उनका वितरण सही तरीके से नहीं किया जा सकता है। इसलिये मेरा सुझाव है कि जगह जगह आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन सेंटर खोले जायं ताकि आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन के द्वारा वह काम लिया जा सके जो इन बुल्स से लिया जाता है। खासकर जिला गढ़वाल में पहाड़ी व विकट रास्ता होने की वजह से वहां बुल्स का जाना तो और भी कठिन है। इसलिये मेरा सुझाव यह है कि गढ़वाल में कोटद्वारा, श्रीनगर और गौचर—तीन स्थानों पर आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन सेंटर खोले जायं जहां मवेशियों के लिये आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन का प्रबन्ध वगैरह हो। तीसरे सुझाव के विषय में मैं सदन को यह याद दिलाना चाहता हूं कि आज से ४० साल पहले मैं वह सदस्य था जिसने सदन में कुक्कुट पालन का जिक्र किया था, उस समय यह अनोखी बात थी। खुशी की बात है कि सरकार ने अब यह काम अपने हाथ में लिया है। लेकिन जितनी सरगर्मी से और युक्ति-युक्त यह कार्य होना चाहिये वह अभी नहीं हो रहा है। इसका कारण यह है कि इससे सम्बन्धित जो स्टाफ है वह कोई फील्ड वर्क नहीं करता। आज तक कोई उन्हें जो मुर्गी पालते हैं यह जा कर नहीं बताता कि उनकी क्या बीमारियां हैं, क्या उन्हें खिलाना चाहिये, रानीखेत डिजीज से कैसे बचा जाय, कैसे उनके इन्जेक्शन्स लगाये जायं। अब यह मुर्गी पालन का कार्य गांवों में बढ़ता जाता है, अतः यह जरूरी है कि जो फील्ड वर्कर हैं वह गांव-गांव में जाकर मुर्गियों के पालन और रोगों की रोकथाम के उपाय बतायें और मुर्गी के बच्चों को समय पर पहले से इंजेक्शन वगैरह लगायें।

[श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर]

इसके अलावा बजट को देखने से पता चलेगा कि करीब १६ करोड़ रुपया तराई स्टेट फार्म पर खर्च हुआ है और ७३ लाख रुपए उसके लिये इस बजट में रखे गये हैं। लेकिन देखना यह है कि ऐसे साधन हमारे पास होने चाहियें कि जिनसे वहां का उत्पादन बढ़े। जैसा कि अभी हमारे पूर्व वक्ता ने कहा, सरकार की तरफ से यह ऐसा आर्डर निकला है कि बागों में खेती नहीं होनी चाहिये। मैं कहता हूं कि अगर ऐसी बात है तो तराई-भावर का जो सरकारी फार्म है उसे तो खत्म करना ही होगा। वहां तो पेड़ भी हैं और उनके नीचे खेती भी होती है। पेड़ों के नीचे खेती होने से तो पेड़ों के लिये अच्छा रहता है और फल भी अच्छे आते हैं। मैं चाहूंगा कि जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने बताया है अगर ऐसी बात है तो वह आर्डर सरकार को कैंसिल कर देना चाहिये। ऐसा न होना चाहिये कि जहां पर आम, लीची इत्यादि के पेड़ हैं वहां पर नीचे खेती रोकी जाय। वहां तो दोनों चीजें मिल सकती हैं, खेती भी होती रहती है और फल भी मिलते रहते हैं। यदि ऐसा कोई आर्डर है तो वह कृषि की उन्नति के लिये बहुत बाधक होगा।

हमारे यहां जो रुद्रपुर की कृषि यूनिवर्सिटी है वह बहुत ही उपयुक्त स्थान पर स्थापित की गई है। वहां पर जितने रिसर्च के काम होते हैं उनको और आगे बढ़ाना चाहिये। जैसे जापानी तरीके की धान की खेती है या दूसरे और नये वैज्ञानिक तरीके हैं उनको बढ़ाना चाहिये। देखना चाहिये कि हमारी धान की खेती और जापानी तरीके में क्या फर्क है और किस तरह से अच्छी किस्म का धान अधिक संख्या में पैदा हो सकता है।

एक सुझाव मेरा और है, आप उस पर चाहें इस वक्त हंसें लेकिन वह ऐसा सुझाव है कि अगर उसको कार्यान्वित किया जायगा तो विदेशों से बहुत सा पैसा हमारे देश में आ सकता है। हमारे यहां अच्छे कुत्तों का साइन्टिफिक डाग ब्रीडिंग होना चाहिये। हमारे यहां रामपुर हाउन्ड की एक ऐसी ब्रीड है कि जिसकी इंग्लैंड और अमेरिका से बहुत मांग आती है। महाराजा बारिया के यहां बरेली से २ कुत्ते इस ब्रीड के गये थे। वह दोनों ब्रीड के चेम्प्यन हो गये और विलायत जा रहे हैं। जो अमरीका और इंग्लैंड की पुरानी मशहूर नस्ल ग्रेहाउन्ड की थी वह अब डेटेरियोरेट होती जा रही है। इसलिये वे न्यू ब्लड चाहते हैं। उनके यहां न्यू ब्लड नहीं है।

श्री शिवराजसिंह—

कुत्ते ऐनीमल हस्बेंड्री में शामिल नहीं हैं।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर—

रामपुर हाउन्ड्स के ब्रीडिंग के लिये सरकार इंतजाम करे, इससे काफी फारेन ऐक्सचेंज मिलेगा। इस समय विदेशों से ३, ४, ६ हजार रु० तक का एक-एक कुत्ता आता है। हमारे यहां भारत में हिन्दुओं में कुत्ता सबसे पुराना दोस्त है और वह दुश्मन भी है....

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

कुत्तों का ब्रीडिंग ऐनीमल हस्बेंड्री में है ?

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर—

हम अपने कुत्तों की हिफाजत नहीं रखते हैं जिसकी वजह से उनके द्वारा रैबीज की बीमारी फैलती है।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हो गया।

*श्री रणबहादुरसिंह (जिला बस्ती)—

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे इस अनुदान पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। इसमें संदेह नहीं कि कृषि का सम्बन्ध ८७ फी सदी लोगों से है। पिछल साल इस विभाग पर बहस करते समय सुझाव रखे गये थे कि सिंचाई और बिजली का सम्बन्ध भी इस विभाग से होना चाहिये क्योंकि यह दोनों खेती की तरक्की के लिये आवश्यक हैं। लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही उस दिशा में नहीं हुई। उल्टे बीज का वितरण जो कृषि विभाग से होता था वह भी ले लिया गया और दूसरे विभाग को दे दिया, जिससे इस विभाग के काम में और अड़चनें पड़ने लगीं। मैं मानता हूं कि पिछले साल से इस विभाग ने प्रगति की है लेकिन जितना प्रतिशत जनता इस पेशे पर आधारित है उस अनुपात से उतनी तरक्की नहीं हुई। इसका कारण यह है कि सरकार जिस प्रकार से और तमाम बातों की तरफ ध्यान देती है, जैसे अस्पताल, शिक्षा, सड़क आदि, इन पर जितना अनुदान दिया जाता है उतना कृषि विभाग पर नहीं दिया जाता है और न उतना धन दिया जाता है। जैसे तकावी का वितरण है, उस पर ५, ६ परसेंट सूद लिया जाता है और किसी प्रकार का कोई अनुदान कृषि पर नहीं दिया जाता है। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि तकावी का वितरण चाहे कुएं, खाद या कृषि औजारों की खरीद या मरम्मत के लिये हो, सरकार को चाहिये कि ब्लाक स्तर पर एक ऐसी मशीनरी सेट अप करे जो रुपया सीधे किसानों को न दे कर उसी काम में ब्लाक प्रमुख द्वारा इस पैसे को क्षेत्र समिति के द्वारा आन्दोलन के रूप में कृषि की तरक्की के लिये देना चाहिये, तकावी के रूप में नहीं देना चाहिये। अन्यथा जितनी तकावी इस तरह से सीधे किसानों को दी जाती है वे बेचारे गरीबी के कारण मजबूर हो कर उस रुपये को दूसरे कामों में लगा देते हैं, जैसे मकान बना लिया, शादी कर दी। नतीजा यह होता है कि जिस काम के लिये तकावी ली उस पर खर्च नहीं करता है। इसलिये सरकार को चाहिये कि इस प्रकार से एक आन्दोलन के रूप में प्रदेश में इसको चलावे। जिससे कि ब्लाक क्षेत्र समिति द्वारा बीज का वितरण हो सके और कृषि औजार जितने प्रकार के होते हैं, उनको वह खरीद सके और वह पैसा इस प्रकार उसी काम में लग सके, जिससे कि कृषि की तरक्की हो सके।

मैं इस खयाल का हूं कि जिस दिन हमारे प्रदेश में कृषि की माकूल तरक्की होगी तो उस दिन से स्कूलों में बच्चों की फीस माफ करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी और न हास्पिटल से इंजेक्शन्स की जरूरत पड़ेगी। जो साधन सम्पन्न लोग हैं वे तो तमाम तरह की दवाइयां खरीद सकते हैं, लेकिन गरीब किसान के पास बीमारी होने पर पैसा नहीं होता कि वह हास्पिटल से इलाज करा सके। इसलिये मैं समझता हूं कि जब हमारी कृषि की तरक्की हो जायगी तो किसान अपने लड़कों को अच्छी शिक्षा दे सकता है, अच्छा इलाज करा सकता है और जो बड़े क्लास के लोग हैं जिनके बच्चे अमेरिका, इंग्लैंड तथा मास्को जा कर उच्च शिक्षा पा सकते हैं वही सुविधा हमारे गरीब किसान को मिल सकेगी।

मैं बस्ती जिले की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बीज वसूली का जहां तक सम्बन्ध है, मैं सरकार का ध्यान उस तरफ दिलाना चाहता हूं। स्वतन्त्रता-प्राप्ति अगस्त, १९४७ में हुई। मुझे जो सूचना मिली है उसके अनुसार बस्ती जिले में बीज की वसूली १९३८ से लेकर आज तक किसानों से की जा रही है। उस जमाने में किसी काश्तकार ने १०० रुपया लिया था, उसका लड़का नाबालिग रहा और बाप मर गया तो ६ प्रतिशत सूद ले कर ३०–३२ साल से आजतक वसूल किया जा रहा है सवाई के साथ। कोई भी सरकार उस जमाने में रही हो, कर्जा दिया गया है तो वसूल होना ही चाहिये लेकिन मैं यह प्रस्ताव करना चाहता हूं कि १९३८ से १९४७ तक एक श्रेणी करना चाहिये और ३८ से ४७ तक जितने कर्जे हैं उन पर एक साल का सूद ले कर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रणबहादुरसिंह]

मल धन सहित जो रुपया निकलता हो उसे ५, ६ किस्तों में वसूल करना चाहिये। बस्ती जिले के पूरे क्षेत्र से १६ विधायक चुन कर आते हैं लेकिन ऐसी मिसालें हैं कि जिस किसान के नाम वारन्ट और कुर्की जारी किये गये हैं उसका लड़का जिन्दा है तब तो कोई बात नहीं लेकिन वह खुद जिन्दा हैं तो कहता है कि उसने कर्जा अदा कर दिया था। सुपरवाइजर ने कहा था कि रसीद बाद को मिल जायगी। इस तरह की सैकड़ों कठिनाइयां हमारे सामने आई हैं और इससे बस्ती जिले में घोर असंतोष फैला हुआ है। मैं चाहता हूं कि कृषि मन्त्री इसकी जांच करायें और ३०–३२ साल पुराने बकाया की जिस तरह से वसूली हो रही है, उसको रोकें और जब तक जांच न हो जाय तब तक किसी प्रकार की वसूली न की जाय। अगर सरकार जानना चाहेगी तो बस्ती जिले के सभी विधायक, चाहे वे अपोजीशन के हों, चाहे कांग्रेस को हों, मैं समझता हूं मेरी राय से सहमत होंगे।

जहां तक कृषि का सम्बन्ध है, संयोग से यह विभाग हमारे एक ऐसे मन्त्री के हाथ में है, जिसके त्याग, बलिदान, सच्चाई और परिश्रम के कारण हमारे प्रदेश की जनता में ही नहीं बल्कि सारे देश में उस व्यक्ति का नाम है। इसलिये मैं समझता हूं कि अगर हमारे मन्त्री जी इन तमाम बातों पर, जिनकी जानकारी मैंने करायी है, गौर करेंगे तो उनके द्वारा किसानों का कोई अहित नहीं हो सकता है।

अब मैं दो मिनट में पशुपालन विभाग की तरफ मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में मैं निस्संदेह समझता हूं कि हमारे प्रदेश में प्रगति हुई है और जो हमारे छोटी नस्ल के जानवर थे, चाहे वह गाय हों, बैल हों, भैंस हों, बकरी हों या मुर्गा हों, उनकी जगह अब हमें अच्छी नस्ल के सांड वगैरह मिलते हैं। लेकिन इस विभाग के जो अल्पवेतन भोगी, चौथे ग्रेड के कर्मचारी हैं, मैं सारे प्रदेश की बात तो नहीं कहता लेकिन गोरखपुर रीजन में एक, दो साल के अन्दर इस प्रकार उनकी तब्दीली की गयीं कि जो ७५ रुपये पाने वाले कर्मचारी हैं वे बहुत दूर-दूर भेज दिये गये हैं जिसके कारण वे काफी परेशान हैं। इसका जिक्र मैंने कई बार माननीय उपमन्त्री जी से भी किया और जो सम्भव तरीका था उससे उन्होंने सहायता भी प्रदान की लेकिन चूंकि एक, दो व्यक्ति की समस्या नहीं है इसलिये मैं चाहूंगा कि सरकार इस बात पर गौर करे कि जो चौथे ग्रेड के कर्मचारी हैं, जैसे स्टाकमैन वगैरह, वे अगर अपने होम डिस्ट्रिक्ट में भी रहते हैं तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

अब मैं फिशरीज विभाग के बारे में भी कुछ सुझाव रखना चाहता हूं। निस्संदेह इस पर बहुत पैसा खर्च किया जाता है, लेकिन इस विभाग से उतना लाभ नहीं होता जितना कि होना चाहिये। अगर इस विभाग के कर्मचारी इस पर काफी ध्यान दें तो गांवों में ऐसे-ऐसे तालाब हैं जहां बड़े तरीके से मछलियां पाली जा सकती हैं। लेकिन मैंने अपने जिले में इस सम्बन्ध में जो काम देखा है वह वास्तव में ह स्यास्पद है। बड़ी-बड़ी मछलियां पकड़ कर दिखा दी जाती हैं लेकिन किसी प्रकार की इस दिशा में प्रगति नहीं हुई है। सरकार को चाहिये कि कोआपरेटिव बेसिस पर मछुओं की सोसाइटियां बनाये और जाल वगैरह खरीदने के लिये उनको काफी मात्रा में अनुदान दे ताकि वे अपनी तरक्की कर सकें।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

मान्यवर, मैं श्री टम्बेश्वरीप्रसाद जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। चीन का हमारे देश पर आक्रमण हो चुका है और आज भी बाराहोती पर चीन का खतरा है तो इस वक्त हमारे ऊपर सीमा प्रदेश होने के नाते बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो गई है। आज एक तरफ हमारे

सामने डिफेंस का मामला है और दूसरी तरफ कृषि उत्पादन का सवाल है। मैं समझता हूं कि इन दोनों का चोली-दामन का साथ है। उस समय तक डिफेंस का काम अधूरा रहता है जब तक कि कृषि उत्पादन न बढ़े। ऐसी हालत में देखना है कि उत्पादन बढ़ा है या नहीं। कृषि मन्त्री जी के आंकड़ों से मालूम होता है कि उत्पादन बढ़ा। हो सकता है बढ़ा हो। लेकिन क्या वाकई में इतना बढ़ा है जितना कि बढ़ना चाहिये। मैं भी एक किसान हूं और इन आंकड़ों पर न जाकर अपनी आंखों देखी बात कहता हूं। इस साल गेहूं की, गन्ने की कितनी कमजोर फसल है, पता नहीं कैसे आंकड़े इकट्ठे किये जाते हैं और कहां तक उन पर यकीन करना चाहिये। राज्यपाल महोदय ने अपने सम्बोधन में कहा था कि कृषि उत्पादन बढ़ाने की जरूरत है और वित्त मन्त्री जी ने भी इस बात को अपने जेहन में रखा था। लेकिन उस वक्त तक उत्पादन नहीं बढ़ सकता है जबतक किसान की हालत न सुधरे, उसके पास पानी तथा दूसरी सुविधाएं न हों। लेकिन आज रोजमर्रा की जरूरियात की चीजों की कीमत बढ़ रही है, टैक्स का बोझ लदता चला जा रहा है, उसका कुनबा बढ़ रहा है, उसको पैसा और पानी मुअस्सर नहीं है और वे सुविधायें मुअस्सर नहीं हैं, जिनका उसको हक हासिल है।

मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जमीन बैंक की तरह से है। जितना रुपया इसमें लगाया जाता है, उतनी ही अच्छी फसल होती है। आपने सरकारी मिकेनाइज्ड फार्मस के मुताल्लिक यह फरमाया कि आप ११५ रुपये के बजाय २२५ रुपये फी एकड़ उन पर खर्च करने जा रहे हैं। क्या किसान इतना रुपया लगा सकता है? आज उसकी हालत यह है कि वह अपनी जमीन को अच्छी तरह से जोत कर, पानी से सींचकर अच्छी फसल पैदा करता है और जब उसकी फसल कटती है तो कर्जदाता आता है और उसकी सारी पैदावार ले जाता है। आज हमारे ७५ फी सदी किसान कर्जदार हैं। वे ब्याह-शादी करते हैं तो कर्ज लेकर, मकान बनाते हैं तो कर्ज लेकर, बीज लाते हैं तो कर्ज लेकर, कहने का मतलब यह है कि जितने काम वे करते हैं सब अमूमन कर्ज लेकर करते हैं। इसलिये जब तक उनके कर्जे की अदायगी का प्रबन्ध नहीं करेंगे उस वक्त तक उत्पादन नहीं बढ़ सकता है। यह भी गजब देखिये कि किसान सूद कितना देता है उस कर्जे के ऊपर। ५० फी सदी से लेकर २४ फी सदी सालाना तक। कितना अन्याय है उसके साथ? वह इतना ईमानदार भी है कि वह अपने कर्जे को सही तौर से देता है जब कि उसके साथ इतना जुल्म होता है। आज जब कि कृषि उत्पादन का सवाल है जब तक उसके कर्जे के मुताल्लिक कोई बात नहीं सोचेंगे, कि उसके कर्जे को किस तरह से कम किया जाय, कर्जदाताओं से उसका पीछा किस तरह से छुटाया जाय, तब तक कृषि उत्पादन नहीं बढ़ सकता। वह आपका भी कर्जदार है और प्राइवेट मनीलेंडरर्स का भी कर्जदार है। उधर अमीन साहब मौत के फरिश्ते की तरह से उसके दर पर तशरीफ लाते हैं और आबपाशी, तकावी, मालगुजारी मांगते हैं, इधर जिन लोगों ने कर्जा दे रखा है उनका खयाल रहता है। जब वह फसल काटता है, बाजार के अन्दर ले जाता है तो उसको अपनी फसल की सही कीमत नहीं मिलती। जैसे ही उस की फसल बाजार में जाती है, कीमतें घटा दी जाती हैं, और जब वह बेच चुकता है तो कीमतें बढ़ने लगती हैं। मंडियों में उसके गल्ले को, गुड़ को ज्यादा तौला जाता है, एक मन में एक सेर ज्यादा लिया जाता है। इसके अलावा उसको पानी समय पर मयस्सर नहीं होता। नहरें भी हैं, ट्यूबवेल भी हैं। बड़ी खुशी है कि वाकई इसमें शक नहीं कि इर्रीगेशन पोटेंशियल बढ़ता जाता है और काफी बढ़ गया है। लेकिन पुराने सिंचाई के साधनों से सही तौर से सिंचाई नहीं हो पाती। नहरों में वक्त पर पानी नहीं आता। ट्यूबवेलों में किसी की मशीन जली पड़ी है, किसी की मशीन बिगड़ी पड़ी है, किसी की नालियां टूटी पड़ी हैं, कहीं आपरेटर को जब तक किसान नजराना न पेश करे उस वक्त तक वह पानी नहीं देता, यह स्थिति है। जब तक उसको पानी की सुविधा मयस्सर न हो तो सारा फर्टिलाइजर और खाद, सारी किसान की मेहनत बेकार है।

अभी हाल के अन्दर नार्दर्न इंडिया कैनाल ऐंड ड्रेनेज बिल आया था। सिंचाई मन्त्री जी ने साफ तौर से बताया कि इर्रीगेशन पोटेंशियल में काफी बढ़ोत्तरी हुई है, लेकिन तीन फी सदी

[श्री मुमताज मुहम्मद खां—]

से ज्यादा किसान गूलें नहीं बना सका। मैं पूछना चाहता हूं कि कहां हैं वह बी० डी० ओ० और ए० डी० ओ० जिन्होंने किसानों को इस बात के लिये बाध्य नहीं किया कि तुम नालियां बनाओ। उनको पेपर वर्क और आफिस में गपशप से फुर्सत नहीं। क्यों नहीं वह किसान के पास जा कर कहते कि तुम नालियां बनाओ ताकि उनके खेतों को पानी नसीब हो, जो नहरें और ट्यूबवेल इस बात के लिये बेताब हैं कि हमारा पानी अपने खेतों तक पहुंचा कर उनको हराभरा करें और उनसे फायदा उठाये? लेकिन वह विकास करने वाले लोग, जिन पर आज हम इतना भरोसा करते हैं, इतना उन पर दारोमदार दे रखा है, उन्हें इतनी फुर्सत नहीं हुई कि वह किसान को समझाते और फिर इस सदन के अन्दर सरकार को वह नार्दर्न इंडिया कैनाल ऐंड ड्रेनेज अमेंडमेंट बिल लाना पड़ा कि सरकार बनवा देगी अगर किसान नहीं बना सकते। इसी तरीके से ब्लाक्स के अन्दर एग्रीकल्चर के ए० डी० ओ० जो हैं वह भी कुछ काम नहीं करते। जनता से वह कोई खास ताल्लुक नहीं रखते, जनता को कोई खास रास्ता नहीं दिखाते कि इस तरीके से अपने यहां के उत्पादन को बढ़ायें।

माननीय मन्त्री जी ने बागात के सिलसिले में अपने भाषण में कुछ नहीं कहा। आज बागात की अपने प्रदेश में बड़ी सख्त आवश्यकता है। काफी शौक बाग लगाने का पैदा हो रहा है, लेकिन वह अभी कम है। अब हममें फल खाने का शऊर जरूर पैदा होता जा रहा है लेकिन जो बागात हैं वह इसके हिसाब से कम लग रहे हैं। इसी सिलसिले में मैं उनका ध्यान एक तरफ और दिलाऊंगा कि सरकारी नर्सरीज से जो पौधे आते हैं वह स्टैंडर्ड के नहीं होते। मेरा अपना जाती तजुर्बा है। मेरे एक दोस्त के यहां आड़ू की पौध आयी। जब वह तीन चार साल में परवरिश के बाद तैयार हुई और उसमें फसल आयी तो वह ग्राफ्टेड नहीं निकला। इस तरह से अगर आपने सही ढंग से अपनी सरकारी नर्सरीज की पौध का इंतजाम नहीं किया तो फिर किसान, जो उसको ले जाकर लगाते हैं और पांच छः सात या आठ वर्ष बाद उनको मालूम होता है कि वह उस क्वालिटी की नहीं है, तो उन्हें कितना सदमा होगा? मैं समझता हूं यह कौमी नुकसान है। इस तरफ आप खास तौर से ध्यान दें। इसके अलावा बागात के साथ-साथ फ्रूट के प्रिजर्वेशन की फैक्ट्रीज लगाने की तरफ भी आप ध्यान दें ऐसे क्षेत्रों में, जहां बागात ज्यादा हैं, फ्रूट प्रिजर्व किया जाय। आम जो हमारे यहां का एक मुख्य फल है उसको एक्सपोर्ट करने की भी आपकी कोशिश होनी चाहिये। आम के मुताल्लिक काफी जानकारी आप यूरोप अमेरिका आदि दूसरे देशों में करायें और यहां से हवाई जहाज में आम आप वहां भेजें। इससे आपको बहुत काफी फारेन एक्सचेंज भी मिलेगा और जिनके बागात हैं उनको काफी फायदा भी इससे हो सकता है।

श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान के समर्थन और माननीय टम्बेश्वरी प्रसाद जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। पिछले पन्द्रह सालों से जब से माननीय भानु प्रताप जी तथा माननीय टम्बेश्वरी प्रसाद जी के साथियों से किसानों को मुक्ति मिली है, तब से हमारी कृषि की हालत में काफी उन्नति हुई है। यह जरूर है कि जिस गति से उन्नति होनी चाहिये थी उस गति से नहीं हुई। इसका कारण है, श्रीमन्, कि हमारे यहां ४७ प्रतिशत जनता ऐसे जिलों में रहती है कि जिनकी विशेष परिस्थिति है। हमारे यहां १५ जिले पूर्वी जिलों के नाम से पुकारे जाते हैं, जहां विशेष परिस्थितियां हैं, बुन्देलखंड के चार जिले हैं और उत्तराखंड भी है, इनकी परिस्थिति से सदन के सभी माननीय सदस्य परिचित हैं, कोई उसे बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने ही क्षेत्र के बारे में बताऊं पिछले पन्द्रह वर्षों से देख रहा हूं कि वहां की कृषि की दशा ऐसी रही है कि बार-बार अकाल पड़ता रहा है और मैं आपसे कहूं कि गल्ले की हवाई वर्षा भी वहां करनी पड़ी है। तो ऐसा कुछ दुर्भाग्य रहा है उत्तर प्रदेश का कि कृषि का उत्पादन उस तरह से नहीं बढ़ा जैसे कि बढ़ना चाहिये। श्रीमन्, जहां तक पिछले सालों की बात है कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि सरकार कृषि पर ध्यान नहीं देती। मैं समझता हूं कि यदि उन्होंने उस पुस्तिका को पढ़ा होता कि जिसका

नाम "परियोजना और प्रगति" है तो सारी चीज स्पष्ट हो गयी होती। हमारी सरकार कृषि पर विशेष जोर दे रही है। पिछले साल जो ८५ करोड़ रुपया था वह ४२ प्रति शत से अधिक था और इस साल भी संकटकालीन स्थिति में उसका महत्व और बढ़ गया है। वह यह सरकार दे रही है।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि कृषि मन्त्रालय और सिंचाई मन्त्रालय में सामंजस्य नहीं है। मैं यह बता देना चाहता हूं कि सरकार ने "कैबिनेट लेविल" पर एक कृषि उत्पादन समिति बनायी है जिससे यह समस्या हल हो जाती है।

श्रीमन्, कृषि के लिये तीन चार बातें जरूरी होती हैं। उन सब की ओर हमारी सरकार जागरूक है। बीज के लिये २१ लाख रुपया इस वर्ष रखा गया है और जो बीज वितरण की पुरानी पद्धति थी, उसको परिवर्तित कर दिया गया है। अब वह ब्लाक लेविल पर बंटेगा। जहां तक खाद की बात है, उसमें भी ग्रामीण कम्पोस्ट की जो मात्रा थी, उसमें भी बढ़ोत्तरी हुई है। उसमें पिछले साल ४२५ लाख एकड़ था अब ४८६ लाख एकड़ हो गया है। उसमें वृद्धि हो गई है। जो गैर प्लान योजनायें थीं उसमें १६१ प्लान ऐसे थे और नये ६६ प्लान ऐसे और कायम करने की योजना है। इसी प्रकार हरी खाद में भी बढ़ोत्तरी की जा रही है, नाइट्रोजन, और फास्फेट आदि में भी बढ़ोत्तरी की जा रही है। हमारे यहां सरकारी समितियां हैं। उनके द्वारा भी किसानों को अनेक प्रकार की सुविधायें दिलाने का प्रयत्न किया जाता है। सिंचाई के साधनों में वृद्धि के लिये हमने पिछली बार एक कानून बनाया है और भूमि संरक्षण योजना और भूमि में सुधार लाने की योजना भी चलाई जा रही है। मैं माननीय कृषि मन्त्री जी को इस बात के लिये धन्यवाद जरुर देना चाहता हूं कि वह हमारे क्षेत्र में रिहन्द बांध के उद्वासितों के लिये बहुत बड़ी योजना इस चालू वर्ष में प्रारम्भ करने जा रहे हैं। तो इस तरह से मैं जब यह देखता हूं कि संकटकालीन स्थिति की विशेष जिम्मेदारी को देखकर सरकार ने अपने कर्तव्य में एक मोड़ लिया है तो बड़ी प्रसन्नता होती है। आज की स्थिति में सुरक्षा संतुलन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। सुरक्षा संतुलन के लिये ४ बातें होती हैं। सैनिक शक्ति मजबूत हो, कृषि उत्पादन बढ़े, औद्योगिक विकास हो और लोगों में दृढ़ इच्छा हो। जहां तक कृषि उत्पादन और औद्योगिक विकास का सम्बन्ध है, उसके लिये काफी प्रयत्न किया जा रहा है। हमारी सरकार कृषि उत्पादन पर ही फलोत्पादन और सब्जी उत्पादन पर भी बहुत जोर दे रही है जिससे कृषि पर भार कम हो।

अब लाल बत्ती हो गयी है, इसलिये अधिक न कह कर मैं अपने क्षेत्र के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। यों तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में १५ जिले हैं, लेकिन हमारे जिले मिर्जापुर की एक विशेष स्थिति है। उस क्षेत्र का हमारी सरकार की ओर से बहुत खयाल किया गया और रिहन्द बांध, विद्युत् की बड़ी बड़ी बहुत सी योजना सरकार उस क्षेत्र में कायम कर रही है, लेकिन श्रीमन्, हमारा क्षेत्र ऐसा है जहां किसानों को फायदा नहीं हुआ है। किसानों को तभी फायदा होगा जब वहां छोटी-छोटी सिंचाई की योजनायें चालू होंगी, सिंचाई के लिए कुएं बनाये जायेंगे और विशेष परिस्थिति समझ कर योजना बनाई जाएगी। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि कोआपरेटिव द्वारा लोगों को संगठित करें। श्रीमन्, हमारे यहां पशु भी बहुत पाले जाते हैं, एक एक यादव ऐसे भी हैं जिनके पास २०० तक गायें हैं। वहां पर जंगल घेरे जा रहे हैं जिससे उनको कठिनाई हो रही है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तरफ भी दिलाऊंगा कि पशुओं के चारे की व्यवस्था भी ठीक प्रकार से होनी चाहिए।

श्रीमान्, हमारे क्षेत्र में औद्योगिक आस्थानों के हो जाने के कारण अन्य प्रकार की सुविधायें किसानों को दी जा सकती हैं। वहां पर पोल्टरी का काम चल सकता है। भूमि संरक्षण के लिए कोण क्षेत्र में एक अधिकारी ने सर्वे किया है। उसमें सरकार को अधिक धन लगाना पड़ेगा। इस क्षेत्र की जनता के लिए वरदान स्वरूप यह योजना होगी।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री रामप्यारे--

मैं माननीय मंत्री जी से अन्त में प्रार्थना करूंगा कि वे इन योजनाओं को कार्यान्वित करावें।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)--

जो कटौती का प्रस्ताव इस सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह ८० प्रति शत किसानों से सम्बन्धित हैं जो गांवों में रहते हैं। पहली चीज यह है कि आज गांवों का किसान गांवों में नहीं रहता चाहता है, बल्कि शहरों की ओर जा रहा है यह एक बहुत जटिल समस्या है जिसे सरकार को देखना है। हम यह भी देखते हैं कि गांवों में जिनके पास खेती है वह भी गांवों से भाग रहे हैं जो मजदूर हैं वह भी भाग रहे हैं। इस प्रकार की एक विचित्र दशा गांवों में है। इधर सरकार कहती है कि वह गांवों के लोगों का स्टैन्डर्ड ऊंचा करना चाहती है। जो बजट हमारे सामने है उसमें दिखाया गया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में द्वितीय पंचवर्षीय योजना से दुगुना खर्च किया गया और तिगुना चौगुना तृतीय पंचवर्षीय योजना में खर्च करने की बात कही जाती है। सेन्ट्रल गवर्नमेंट के जब माननीय कृषि मंत्री हमारे प्रदेश में आते हैं तथा जब मैं पूर्वी जिलों में उनका भाषण सुनता हूं कि सिंचाई का काफी इन्तजाम सरकार करने जा रही है और किसानों का स्टैन्डर्ड ऊंचा करने जा रही है, और माननीय मंत्री जी का भी भाषण सुना, उन्होंने जो उत्पादन बताया तथा बढ़ोत्तरी की बात कही उससे आश्चर्य होता है, क्योंकि सही माने में जो भी चीज है वह सरकार के पास नहीं जाती। जो सरकारी अधिकारी लिखकर भेज देते हैं उसी से मंत्री जी कहते हैं। मंत्री जी समझते हैं कि बहुत भारी बढ़ोत्तरी कृषि उत्पादन में हो रही है। अधिष्ठाता महोदय, जब तक मंत्री जी किसानों को सही दशा की ओर नहीं देखेंगे, उनकी परिस्थिति को नहीं देखेंगे, तब तक किसानों की कोई भी उन्नति नहीं हो सकती।

सब से पहले मैं मंत्री जी को यह ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आज चकबन्दी हो रही है, साथ ही सदा कोआपरेटिव फार्मिंग की भी बात की जाती है। सरकार को सबसे पहले यह तय करना है तथा पहले अपने दिमाग का स्पष्टीकरण करना है कि उसकी नीति क्या होनी चाहिए। कोआपरेटिव फार्मिंग होना चाहिए या कन्सोलिडेशन। अगर एक तरफ चकबन्दी की बातें करेंगे और दूसरी तरफ कोआपरेटिव की बातें, तो इससे संतुलन नहीं हो सकता। इसका निवारण तथा निराकरण बहुत ही जरूरी है, साथ ही साथ हर आदमी यह मानता है कि सिंचाई के साधन जरूरी हैं, खाद और अच्छे बीज जरूरी हैं। आपने बहुत बड़ी स्कीम इस सदन के सामने रखी है। गांव में भी हम सुनते हैं और देखते हैं कि बड़े बड़े परचे बांटे जाते हैं और यहां तक कि विभागों की तरफ से बहुत अखबार भी निकलते हैं लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वह हम लोगों से पढ़ने की बात करते हैं पहले आप सूचना मंत्री महोदय से मुलाकात कर लें और उनको यह समझा दें कि सूचना विभाग किस लिये बना है और मंत्री जी को सूचना विभाग किस लिये दिया गया है। सब से पहले सूचना विभाग का यह कार्य है कि सरकार का जो कार्य होने वाला है जो सरकारी स्कीम चल रही है, उनका प्रचार गांवों में जा कर करें और बतलायें कि गांवों के लिये हमारी सरकार किस प्रकार से कार्य करना चाहती है किन्तु हम देखते हैं कि सूचना विभाग के मंत्री और सूचना विभाग के अफसर इसलिये नहीं हैं बल्कि उनका काम सभा वगैरह करना है। जब यहां से कोई मंत्री जाता है तो उसके लिये सभा कराने का वह माध्यम हो गया है। सूचना विभाग का सही काम यह है कि सरकार के जो काम होते हैं, सरकार अपने काम किस तरीके पर करना चाहती है, वह किसानों तक पहुंचायें। यहां पर कानून वगैरह जो बनाये जाते हैं उनको किसानों तक पहुंचाना चाहिये। यह काम हैं जिनके लिये यह सूचना विभाग खोला गया है। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं लेकिन किसानों की बात कहना चाहता हूं कि जो किसान मजबूत

किसान हैं, जो फावड़े और हल चला सकते हैं, जिनके पास खेत नहीं हैं, कोई उद्योग धन्धा गांव के अन्दर नहीं है उनके लिये समझ में नहीं आता कि किस प्रकार से वे जीवकोपार्जन करें। उनके बच्चे बहुत हैं। उनका खानदान बहुत बड़ा है। उनके पास रहने के लिये घर नहीं है। गरीबी छाई हुई है। हर आदमी जानता है कि देश के अन्दर असमानता हर जगह फैली हुई है। गरीबी और असमानता की लड़ाई से लड़ना ही मुख्य चीज है। उसको सरकार को देखना चाहिए। सवाल यह है कि एक आदमी मेहनत करता है, अपने खून को पसीने की तरह से बहाता है तो यह देखना चाहिये कि इतनी मेहनत के बाद भी उसको रोजी न मिले, खाना न मिले तो उसके लिये आप कौन सा कार्य करने जा रहे हैं। उसके लिये सरकार कौन सी नीति अपनाने जा रही है? जो मेहनत करने वाला है उसको रोटी न मिले तो उसको रोटी दिलाने के लिये सरकार क्या कर रही है? सरकार का यह उद्देश्य होना चाहिये कि गरीबी और असमानता को दूर करे। इस तरह से कागजी बात करने से कोई फायदा नहीं है। इस तरह की स्कीम बनाने से कोई लाभ काश्तकार को होने वाला नहीं है। जब तक सही तरीके से इन चीजों को कार्यान्वित नहीं किया जायगा तब तक लाभ नहीं होगा। सब से पहले हमको यह देखना है कि जिनके पास खेत हैं और मेहनत करते हैं, खेती में फावड़ा चलाते हैं उनकी दशा क्या है। इसको देख कर हमको निराशा होती है। वह इसलिये कि आपका लगान इतना ज्यादा है कि जो उचित नहीं है। चकबन्दी के बाद एक ही किस्म और एक ही तरह के खेत में आधे-आधे का भूमिधर और सीरदार है लेकिन लगान अलग है। अंग्रेजों के जमाने में एक ही किस्म के खेत पर एक ही लगान लगती थी लेकिन अब समझ में नहीं आता कि इस राज्य में एक भूमिधर के पास जमीन पर लगान का रेट १ रुपया है और उसी तरह की जमीन, उसी किस्म की जमीन पर सीरदार का रेट १५ रुपया है। अब आप सोचें कि जो आदमी कम लगान देता है और उस भूमि पर उतनी ही पैदावार होती है तो वह फायद में रहता है लेकिन वह किसान जिससे १५ रुपया लगान लिया जाता है उसकी क्या हालत होगी जब इस तरह उसको चूसा जायगा और इस पेशा को रोजगार बनाया जायगा। एक तरफ तो सरकार स्टैन्डर्ड उठाने की बात करती है और दूसरी तरफ जिनके पास कोई साधन नहीं है उनके लिये खयाल नहीं रखा जाता है कि वह भी उतना ही लगान दें जो दूसरा देता है। यह अन्तर क्यों है? वह जमीन जिससे उतनी ही उपज होती है तो उसके मुताबिक ही उससे लगान वसूल किया जाना चाहिये। जब तक ऐसा नहीं किया जायेगा तो कोई लाभ नहीं होगा। तो सबसे पहले यह होना चाहिये कि किसान की जो पैदावार है और उस पैदावार करने में जो उसकी कास्ट आई है पहले तो वह उसको दी जाय। उसके बाद सब खर्चा काटने के बाद यह देखा जाय कि जो आदमी खेती के ऊपर निर्भर करता है उसके और उसके बच्चों के भरण पोषण के लिये जरूरी खर्चे को काटने के बाद जो बचे उस पर लगान लिया जाय तो यह उसके लिये ज्यादा उपयुक्त होगा। किसान देश की रीढ़ है, उसको सुरक्षित रखिये। श्रीमन्, दूसरी चीज यह है कि अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। फेयर प्राइस के बारे में लोग कह चुके हैं। जो लगान या तकावी ली जाती है, उसकी वसूली उस वक्त होती है जब खेत में फसल होती है। आप देखें कि उससे किसान को कितनी दिक्कत होती है। वह फसल का सही मूल्य नहीं पाता है। तकावी के सिलसिले में जो सरकार देती है, करीब २५ फीसदी उसको लेते समय वह आदमी खत्म कर देता है। पूरा धन किसान तक नहीं पहुंचता; तकावी जो इस तरह मिलती है, वह बहुत कीमती हो जाती है। इसलिय मैं यह कहूंगा कि इकानमी मेजर्स के साथ साथ सरकार जो वेस्ट कर रही है, उस पर भी विचार किया जाना आवश्यक है। विभाग के लिये आवश्यक है कि वह उसको बचावे। उसके लिये मैं २–१ आइटम इस सदन के सामने कह देना चाहता हूं और चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी उस पर ध्यान दें। एनीमल हजबैन्डरी डिपार्टमेंट ने सेन्ट्रल डेरी फार्म अलीगढ़ को उसमें रूरल क्रीमरी के लिये सवा दो लाख रुपया गवर्नमेंट ने दिया और आप देखें कि नतीजा क्या हुआ। आप को मैं यह बता देना चाहता हूं कि वह प्लान्ट १९६१ तक नहीं बना था और उस रुपये का सूद उसी

[श्री कमलासिंह यादव]

तरह से लिया जा रहा है। इस तरह से धन का अपव्यय किया जा रहा है। जो प्लान्ट डेरी-फार्म बनाने वाला था, उसकी सूद बराबर दिया जा रहा है। इसी तरह से मेकेनाइज्ड फार्म्स के बारे में भी वेस्टेज हो रहा है। उसमें आप देखें कि जितनी आमदनी होनी चाहिए, उसमें भी घाटा होता जा रहा है। नगला तराई फार्म में भी इसी तरह से ११.६८ लाख का घाटा हो रहा है। आप देखें कि फर्टिलाइजर्स में भी ६.६१ लाख रुपया सूद का बकाया है। साथ ही साथ यह मैं और कह देना चाहता हूं कि फैक्टरी वगैरह जो बनी हुई है, उसमें यह देखा जा रहा है कि बहुत सी फैक्टरियों में बराबर सरकार ने रुपया दिया खासकर कोआपरेटिव फार्मिंग के जरिये। और बात बता दूं कि सरकार ने चार सरकारी चीनी फैक्टरी के लिये रुपया दिया और अभी तक एक ही बनी है और तीन वैसी ही बाकी पड़ी हुई हैं। जो बनी है उसका भी किसाब तीन साल का नहीं बना। इस तरह से हम देखते हैं कि रुपये का बराबर वेस्टेज हो रहा है। अगर सरकार इन बातों पर ध्यान दे, तो काफी बचत हो सकती है, और जो टैक्स जनता पर लगाया जा रहा है, उसमें भी काफी कमी हो सकती है।

श्री अधिष्ठाता--

अब प्रत्येक माननीय सदस्य ६-६ मिनट बोलेंगे, क्योंकि समय कम है।

श्री काशीनाथ मिश्र--

श्रीमन्, आप हमको भी बोलने देंगे या नहीं ? मैं कई बार खड़ा हुआ परन्तु आपने मुझे बोलने नहीं दिया। इसका क्या कारण है ?

श्री अधिष्ठाता--

आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री महादेव (जिला फैजाबाद)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी से केवल एक प्रश्न करना है और वह यह है कि उनकी नीति में, उनके बजट में, कोई ऐसी संभावना है कि शिक्षित युवकों को वह खेती, पशुपालन, मत्स्य पालन या हार्टिकल्चर के ऊपर ले जा सकें। अगर उसका जवाब है, हां, तो देश का भविष्य उज्ज्वल हो सकता है। अगर उसका जवाब है, नहीं, तो यह सारी स्कीमें व्यर्थ चली जाती हैं। माननीय भानुप्रताप सिंह जी को यह शिकायत है सरकार से, कि उसकी नीति किसानों की शोषक है। मुझे शिकायत इस माननीय सदन से है कि ८०-९० फीसदी किसान, मजदूर के नुमाइन्दे होते हुए भी, आज यह सारा सदन किसानों को उसकी लुटती, पिटती, स्थिति को वैसे ही देख रहा है, जैसे कि द्रोपदी के खिंचते हुए चीर को भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य देखते रहे। यह निहायत लज्जाजनक स्थिति है। एक पनवाड़ी जो पकौड़ियां बेचता है, शहर में एक लेखपाल जो ६० रुपये का नौकर है, उसकी स्थिति से १०० बीघे का काश्तकार मुकाबला नहीं कर सकता है। आप खुर्दबीन से यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि किसान की हालत पिछले १५ वर्षों में कितनी बढ़ी है। इस खुर्दबीन के देखने से काम नहीं चलेगा। अगर यह सदन उनके हितों की रक्षा नहीं कर सकता, तो फिर कौन कर सकेगा ? हम आखिर किसके बल पर कृषि का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं ? क्या सरकारी नौकरों के बल पर आप कृषि उत्पादन बढ़ा सकेंगे ? सम्भवतः नहीं। तो उन मरे भूखे किसानों में जिनको आज पतरौल लूट रहा है, लेखपाल लूट रहा है, अहलकार लूट रहा है, और लोग लूट रहे हैं, जिनका भविष्य चारों तरफ से घिरा हुआ है, जान कहां से आयेगी ? कभी आपने इस पर विचार किया है ? अगर मैं माननीय मंत्री जी की जगह पर होता, तो सबसे पहले हर जिलों में कम से कम २ हजार से लेकर ३ हजार तक शिक्षित नवयुवकों को मैं इस पंचवर्षीय योजना में इस खेती के कार्य में जुटाता, भूमिहीनों को गांव में ग्रामोद्योग देता और फिर वही हमारे प्रजातंत्र की रक्षा के, देश की रक्षा के, भ्रष्टाचार को दूर करने के, और सरकार पर अपना कंट्रोल करने के, सही प्रहरी होते। अगर आज प्रति जिले एक हजार शिक्षित नवयुवक भी खेती पर होते तो क्या यह सम्भव था कि चीनी ८ आने सेर से बढ़ कर १ रुपये सेर बिकती और गन्ने का दाम २ रुपये मन से १।। रुपये मन हो

जाता ? आखिर यह मुनाफा कहां गया ? अगर शिक्षित नवयुवक उस कार्य में होता तो क्या आज यह भ्रष्टाचार होता ? क्या किसान इस तरह से लूटा जा सकता था ? क्या आपको कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिये नारा लगाने की जरूरत होती ? अगर आप खेती का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, भ्रष्टाचार को दूर करना चाहते हैं, प्रजातंत्र की रक्षा चाहते हैं तो उसके लिये एक ही रास्ता है, बहस से वह नहीं हो सकता, और वह यही रास्ता है कि हम गांवों में शिक्षित नवयुवकों को इस कार्य में लगायें। तभी हम किसानों को नरकासुर से, बकासुर से, तथा जितने भी असुर हैं उनसे, तथा बदमाशों आदि से रक्षा कर सकेंगे हमें गांव में गोकुल की रक्षा के लिये कृष्ण पैदा करने हैं। पिछले १५ साल का इतिहास एक काले इतिहास के रूप में इस माने में रहा है कि हमने मैटीरियल प्लानिंग तो की, मगर अच्छे आदमी पैदा करने की कोई प्लानिंग नहीं की। हम आदमी नहीं दे सके। जब आचार्य विनोबा भावे का मेरे यहां दौरा हुआ था, मैंने उनसे पूछा था कि आपका यह सर्वोदय आन्दोलन तो एक स्वर्ग की कल्पना है किन्तु उसको धरती पर उतारने के लिये आप भगीरथी को कहां से लायेंगे। क्या उसको सरकारी नौकर रोकेंगे ? उन्होंने कहा था नहीं। मैंने कहा कि क्या शिक्षित नवयुवक उसको लाने में समर्थ होंगे। उन्होंने कहा कि मेरा बस चले तो मैं सारी शिक्षा संस्थाओं में ताला लगा दूं। क्या आश्रम कार्यकर्ता कर सकेंगे ? उन्होंने कहा नहीं। मैंने पूछा कि आप फिर किसके बल पर किसानों का जीवन स्तर उठाना चाहते हैं, किसके बल पर उनके हितों की रक्षा करना चाहते हैं। आज उनकी हालत यह है कि उनकी ८० फीसदी नुमाइन्दगी होते हुये भी वे चन्द शहरी गुटबाज नेताओं के पीछे, उनकी पूछ में बंधे हुये चल रहे हैं जिन्हें गांव का और उनका कतई ख्याल नहीं है। उनके बल पर हम किसानों की रक्षा नहीं कर सकते। कृषि नीति का मूल आधार होना चाहिये कि हम उसके लिये आदमी पैदा करें। तभी हम उनके हितों की रक्षा कर सकेंगे, कृषि उत्पादन बढ़ा सकेंगे, और अगर यह सम्भव नहीं है, तो साल ब साल इसी तरह बजट आता जायेगा और मुल्क की हालत गिरती जायेगी। अन्त में मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री राजाराम (जिला फैजाबाद)—

अधिष्ठाता महोदय, जो मांग हमारे उप-मंत्री जी ने कृषि के सम्बन्ध में प्रस्तुत की है, उसका समर्थन करते हुए मैं २, ३ बातों की ओर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

एक तो यह है कि हमारा प्रान्त मुख्यतः, जैसा सभी को मालूम है, कृषि प्रधान प्रदेश है और ७० फीसदी जनता कृषि पर निर्भर करती है। २ योजनाओं में काफी रुपया कृषि पर रखा गया, लेकिन अंकों से पता चलता है कि हमारे प्रदेश में कृषि के सम्बन्ध में वह उन्नति नहीं हुई जो होनी चाहिये थी। सारे देश में कृषि के उत्पादन में ५२ प्रति शत की वृद्धि हुई परन्तु हमारे प्रदेश में केवल २२ प्रतिशत् की हुई। सन् १९६१–६२ में अन्नोत्पादन का लक्ष १४४.१२ लाख टन रखा गया था जिसमें हमारा उत्पादन हुआ केवल १३९.१५ लाख टन, यानी ५ लाख टन की कमी रही। अगले वर्ष के लिये १५६.५८ लाख टन का लक्ष्य रखा गया है लेकिन यह सन् १९६३–६४ हमारी योजना का तीसरा वर्ष है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में अन्तिम वर्ष के लिये अन्न के उत्पादन का लक्ष्य १८२ लाख टन रखा गया है। इससे मालूम होता है कि पहले ३ वर्षों में हमारे प्रदेश में करीब करीब १५ लाख टन की वृद्धि रखी गई है, और अगले २ वर्षों के लिये जो सन् ६४–६५ और ६५–६६ के वर्ष होंगे उनमें हमारे प्रदेश में २४ लाख टन की वृद्धि करनी होगी। जब ३ साल में वृद्धि की प्रगति केवल करीब ५ लाख टन रहती है तो कैसे हम तीसरी योजना के अन्त में योजना के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे ? उसमें शंका है।

कृषि का सम्बन्ध मुख्य रूप से तीन और महकमों से है, सिंचाई, सामुदायिक विकास और सहकारिता। सिंचाई से किसान के खेतों के लिये पानी मिलता है, सामुदायिक विकास के जरिये नये तरीके कृषि के किसान तक पहुंचते हैं और सहकारिता के जरिये बीज का वितरण होता है तथा किसानों को कर्ज भी मिलता है। लेकिन किसानों को ऐसी सहायता नहीं मिल पाती

[श्री राजाराम]

है जिससे उन्हें विशेष तरीके से प्रोत्साहन मिले। अब भी तकावी और कर्ज मिलने में किसानों को काफी दिक्कतें होती हैं। आल इंडिया क्रेडिट सर्वे, १९५४, की रिपोर्ट से मालूम होता है कि सहकारिता की ओर से जो कर्जे दिये गये थे वे केवल ३ प्रतिशत काश्तकारों को ही दिये गये और वे भी बड़े बड़े किसानों को। छोटे को नहीं मिला था। हालांकि उसे ३, ४ साल हो गये, लेकिन फिर भी अभी यह हालत है कि छोटे काश्तकारों को, जिनकी संख्या अधिक है, आम तौर से कर्जा नहीं मिल पाता है। बड़े बड़े काश्तकार ही माल के महकमे से और सहकारिता से तकावी पाते हैं। मैं चाहता हूं कि उप मंत्री जी इधर ध्यान दें और कोई तरीका निकालें।

(इस समय ४ बजकर ५५ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

जो मंत्रि परिषद् की उप समिति हमारे यहां बैठी हुई है वह इस बात का ध्यान रखे कि छोटे किसानों की दिक्कतें दूर की जावें।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक गन्ने के विकास का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि इस साल अगले साल से करीब ३० लाख रुपया ज्यादा इस गन्ना विभाग में रखा गया है और कुल मिला कर इस वर्ष १ करोड़ ४७ लाख रुपया गन्ना विभाग के लिये रखा गया है। यह काफी रकम है। इसके पहले भी गन्ना विभाग पर हर वर्ष काफी रुपया खर्च किया जाता रहा है। लेकिन हमारे प्रदेश में गन्ने का उत्पादन प्रति एकड़ ज्यादा नहीं बढ़ा है। और प्रदेशों के मुकाबले में खास कर दक्षिण भारत के मुकाबले में, हमारे प्रदेश में गन्ने का उत्पादन काफी नीचा रहा है। इस साल एक नयी योजना बनाई गई है और उससे कुछ लाभ हो सकता है। लेकिन वह तभी हो सकता है जब कि इस महकमे के अधिकारीगण, जो कि काफी संख्या में हैं, गन्ने का उत्पादन बढ़ाने की कोशिश करें और किसानों की दिक्कतों को दूर करने का प्रयत्न करें।

मान्यवर, एक और दिक्कत है जो कि किसानों का प्रोत्साहन बढ़ाने में होती है; वह है किसान को अपने उत्पादन का पूरा-पूरा मुआवजा नहीं मिल पाता है। उसे इस बात का ऐतबार नहीं रहता है कि उत्पादन में वृद्धि का फायदा उसे मिलेगा। इस सम्बन्ध में उप मंत्री जी का ध्यान मेहता कमेटी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से स्थापित की गई थी, उसकी सिफारिशों की ओर आकर्षित करूंगा। जब हमारे प्रदेश में काफी बाढ़ आई और करीब करीब अकाल की स्थिति सी हो गई, तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य दिलाने के लिये कोई कानून सरकार की तरफ से बनना चाहिये। हमारे मंत्री जी ने इस बात का आश्वासन दिया है कि इस विषय में कानून लाया जायगा। सदन के और भी सदस्यों ने इस बात की चर्चा की है। मैं चाहता हूं कि वह कानून जल्दी इस सभा में लाया जाय और किसानों को इत्मीनान दिलाया जाय कि उनके उत्पादन में वृद्धि होगी तो उसका फायदा उनको अवश्य मिलेगा।

अन्त में मैं पूर्वी जिलों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। हमारे प्रदेश के पूर्वी जिले काफी मात्रा में पिछड़े हुए हैं। हमारा जिला फैजाबाद भी उन्हीं जिलों में है। हमारे यहां आबादी बहुत ज्यादा है और पैदावार कम होती है। छोटे छोटे काश्तकार हैं। वहां के लिये कुछ विशेष योजना होनी चाहिये। हमें इस रिपोर्ट से नहीं मालूम होता कि कितना रुपया और कौन कौन सी योजनाओं के लिये पूर्वी जिलों के लिये रखा गया है। मैं चाहता हूं कि उप मंत्री जी इधर ध्यान दें ताकि उस जिले के और पूर्वी जिलों के लोगों को इत्मीनान हो कि उनके लिये कुछ खास योजनायें रखी गई हैं।

जैसा मैंने कहा, ३ वर्षों में हमारा लक्ष्य कम रखा गया है और अगले २ वर्षों में हमारा लक्ष्य पूरा हो जायगा, इस बात का इत्मीनान होना चाहिये। इन चन्द शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए जो मांग उन्होंने पेश की है, उसका समर्थन करता हूं।

श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय टम्बेश्वरी प्रसाद जी ने जो कटौती का प्रस्ताव कृषि अनुदान पर प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। आज सारे दिन से इस पर विचार हो रहा है। पक्ष और विपक्ष में बोलने वाले सब लोगों के भाषणों से ऐसा

प्रतीत होता है कि सभी लोग किसानों की स्थिति को सुधारने के लिये प्रयत्नशील हैं। चाहे उस तरफ के बैठने वाले माननीय सदस्य हर प्रकार से उसके पक्ष में ही क्यों न हों, लेकिन अन्त में कह देते हैं कि वे कटौती के प्रस्ताव का विरोध करते हैं।

जहां तक किसानों की दशा को सुधारने की बात है, मैं आंकड़ों में अधिक न जाऊंगा क्योंकि बहुत से आंकड़े माननीय कृषि उपमंत्री महोदय ने प्रस्तुत कर दिये हैं और किसानों की स्थिति को सुधारने के लिये आंकड़ों से काम नहीं चलता है चाहे वे इस देश के आंकड़े हों या दूसरे देशों के हों। जब हम आंकड़ों का मूल्यांकन करते हैं तो पता चलता है कि वह आंकड़े केवल आंकड़े ही हैं क्योंकि जब हम फील्ड में जाते हैं तो वहां हमें उनका कोई असर दिखाई नहीं पड़ता है। आंकड़ों के बारे में बताऊं। हमारे क्षेत्र हरैया में और क्षेत्रों की भांति टारगेट फिक्स किये गये। हर ब्लाक के अलग अलग टारगेट फिक्स किये जाते हैं। ४, ५ वर्ष पूर्व की बात है, जापानी ढंग से खेती के टारगेट फिक्स किये गये लेकिन जब नहीं हो पायी तो उस समय के बी० डी० ओ० साहब ने कहा कि रिपोर्ट देना ही तुम्हें नहीं आता। इसमें लिख दो कि ५०० एकड़ में जापानी ढंग की खेती लग गई है। अगर कोई पूछे तो उत्तर यह होगा कि यह बाढ़ का एरिया है, बाढ़ आई और सब समाप्त हो गया। वह क्षेत्र पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। सड़कों की भी सुविधा नहीं है। साल में मुश्किल से एक बार कोई अधिकारी जाता है, दुबारा नहीं जाता। इस प्रकार से कागज पर ५०० एकड़ जापानी ढंग की खती हो गयी और उसी प्रकार से उत्पादन भी बढ़ गया। इसलिये किसानों की दशा को सुधारने के लिये आंकड़ों से काम चलने वाला नहीं है। अगर किसानों की स्थिति को आप अच्छी करना चाहते हैं तो सब से पहले किसानों को सिंचाई के साधन देने होंगे।

हमारे गोंडा जिले में सिंचाई के लिये बहुत से बांध बनाये गये। चेतिया चितौड़ागढ़ सात वर्ष बांध पर लाखों रुपया लगाया गया, लेकिन इमरजेंसी के कारण उसको स्थगित कर दिया गया और अभी तक किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। जो जमीन सरकार ने बांध के लिये ली थी उसका जिन किसानों ने मुआवजा नहीं उठाया था उनको आज जबरदस्ती मुआवजा उठाने के लिये मजबूर किया जा रहा है और तमाम किसानों पर मुकदमा चला दिया गया है। जब बंधा का काम स्थगित कर दिया गया तो चाहिये था कि किसानों पर जो मुकदमा चल रहा है उसे उठा लिया जाता। लेकिन आज भी किसानों पर जो मुकदमे चलाये जा रहे हैं, यह एक जुर्म की बात है। माननीय मंत्री जी से मैं प्रार्थना करता हूं कि इसके ऊपर वे अवश्य ध्यान देंगे। माननीय मुख्य मंत्री जी के पास और चीफ इंजीनियर के पास भी इसके बारे में सूचना (प्रार्थना-पत्र) आयी है ताकि वे उसके ऊपर ध्यान दें।

हमारी जो नहरें हैं उनकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। यह एक निश्चित मत है कि खेती वगैर सिंचाई के नहीं हो सकती। लेकिन वहां जो नहरें बनी हैं उनमें कुछ में करीब ५–७ साल से मैं देख रहा हूं कि आज तक पानी नहीं आया वहां गिरगिट्ही बंधा बना है, भगवानपुर व रामपुर खैरवान बंधा बना है जो अफसर बरसात में टूट जाते हैं और इस तरह से हजारों व लाखों रुपये बर्बाद हो जाते हैं। १ लाख २० हजार रुपया अभी लगाकर गिरगिट्ही बांध को बनाया जा रहा है परन्तु पूरा नहीं हुआ है जो टूट गया था लेकिन फिर भी वह मजबूत नहीं बन पाता है। बहुत सी नहरें ऐसी हैं जिनमें आज तक पानी नहीं आ सका और जिनमें पानी आता भी है तो वहां के किसान पानी लेना ही नहीं चाहते। इसका कारण यह है कि जो किसान सिंचाई करते हैं, उनसे भी और जो सिंचाई नहीं करते उनसे भी जबरदस्ती सिंचाई का किराया लिया जाता है। सिराईया, भक्त भक्ता शिवपुरा ब्लाक में आदि गांवों के किसानों में वहां का पतरौल नाजायज तौर पर पुर्जी पानी लेने का बांट दिया है और उनसे लगान वसूल किया जा रहा है। इस तरह से नाजायज तौर पर किसानों से लगान वसूली के संबंधमें शिकायतें सरकार के पास आयी हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इसके ऊपर ध्यान दें। यदि

[श्री सखदेवप्रसाद]

किसानों की दशा को सुधारना है । जहां आज तक जिन नहरों में पानी नहीं आया, वहां भी किसानों से सिंचाई लगान वसूल करने में ज्यादती हो रही है । इस संबंध में मैंने इंजीनियर साहब से बातचीत की थी तो उन्होंने जांच करने की बात कही थी, लेकिन आज तक कोई वहां नहीं गया, क्योंकि वहां की सड़कें इतनी खराब हैं कि कोई वहां जाना ही नहीं चाहता । एक तो वह क्षेत्र नैपाल के बार्डर पर बस्ती व बहराइच के पास पड़ता है जिसकी तरफ कोई आंख उठा कर भी नहीं देखता और इस तरह से वह बिलकुल ही अछूता क्षेत्र है । १५–१६ साल से हम आशा लगाये थे कि सरकार इस तरफ कुछ न कुछ काम अवश्य करेगी लेकिन वहां आजतक नाममात्र को भी काम नहीं हुआ है ।

जहां तक तकावी वसूल करने की बात है, वह उसी समय वसूल होती है जब कि किसानों की फसल लगी होती है, जिससे उनको बड़ी परेशानी होती हैं । इसलिये मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर अपना ध्यान दें ।

जहां तक पशुपालन विभाग का संबंध है, कहा गया है कि सरकार पशुओं की तरक्की के लिये हर तरह से प्रयत्नशील है । आज जंगली इलाके में बहुत सी जमीन है जो खाली पड़ी हुई है । कहने के लिये तो वहां एकाध पेड़ लगे हुए हैं लेकिन हजार हजार बीघे जमीन ऐसी ही पड़ी हुई है । कहीं कहीं जमीन गांवों में जो पड़ी थी किसी ने उसे कभी जोतवा लिया और अपना नाम अंकित करा लिया है । तो सरकार से मेरा अनुरोध है कि वे जमीनें पशुओं को चराने के लिये छोड़ दी जायं । साथ ही साथ जंगल विभाग से मेरा यह भी अनुरोध है कि ऐसी जमीनें जिनमें एकाध पेड़ लगे हुए हैं, गरीब लोगों को दी जायं जिनमें खेती करके अन्नोत्पादन को बढ़ा सकें ।

एक बात मैं और जानना चाहता हूं कि राप्ती नदी पर सिसई-जोबना घाट का पुल है जिसका शिलान्यास माननीय सम्पूर्णानन्द जी ने किया था जब कि वे यहां के मुख्य मंत्री थे, उसमें सबसे ज्यादा पैसे का अंशदान जनता ने ही दिया था । मोटरों से या बड़ी बड़ी ट्रकों से आप टोल टैक्स लें उस संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना है लेकिन वह किसान जो गन्ना ले जाते हैं और जो अपना गल्ला ले जाते हैं उनसे भी टोलटैक्स वसूल किया जा रहा है जब कि यू० पी० में सबसे अधिक चंदा वहीं से हुआ है । मैं निवेदन करूंगा कि धान और चावल का वह तराई का इलाका है और उधर से माल राप्ती इस पार नहीं आ रहा है । मैंने प्रश्न भी किये थे लेकिन महीनों हो गये और अब वह १८ तारीख के लिये पोस्टपोन हो गया है । मैं निवेदन करूंगा कि यदि मंत्री जी किसानों का हित चाहते हैं तो कम से कम किसानों के अन्न की उचित कीमत उनको दिलाने की व्यवस्था करें । एक दो जगह पर उन्होंने दूकानें जरूर खुलवाई हैं और वहां पर ७–साढ़े सात के दाम लगाये जाते हैं जब कि माननीय भानुप्रतापसिंह जी के प्रश्न के उत्तर में पिछले सत्र १९६२ में बताया था कि दस रुपए मन के दाम लगाये जायं । अभी तक उचित दाम नहीं मिल रहे हैं । गरीब सब चीज धान और चावल बेचकर ही खरीदते हैं, यदि देर हो जायगी तो गरीब किसानों को उचित कीमत न मिल सकेगी और अन्य चीजें महंगी मिलती हैं । अतः जो दो तीन बातें मैंने रखी है मैं आशा करूंगा कि मंत्री जी उनकी तरफ ध्यान देंगे और किसानों की दशा सुधारने की कोशिश करेंगे

श्री राजदेव (जिला देवरिया)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृषि सम्बन्धी जो मांग सदन में पेश की गयी है, मैं उसका समर्थन करता हूं और जो कटौती के प्रस्ताव आये हैं उनका विरोध करता हूं । हमारे देश और प्रदेश में ७५–८० प्रतिशत आदमी ऐसे हैं कि जो कृषि पर निर्भर करते हैं । हमें अफसोस है कि आज भी हमारे यहां कृषकों और खेतिहर मजदूरों की सबसे खराब हालत है । साधारण क्लर्क, पुलिस में काम करने वाले और अन्य पेशे के लोग मजदूर जितने हैं उन से भी खराब हालत आज किसान की है और किसानों के विषय में इन पिछले वर्षों में जैसी किसानों की उपेक्षा इस प्रदेश में की गई है उससे बहुत तकलीफ होती है । जिस तरह से आज बेचारे किसानों को छोटे से लेकर बड़े अधिकारी

तक सब उसको चूसना चाहते हैं और जिस तरह से वह आज भी त्रस्त है, पीड़ित है और सरकार से परेशान है वह कहने की बात नहीं है। वह आज अच्छे से अच्छे अनाज पैदा करता है, लेकिन खुद नहीं खाने पाता। उसकी सारी उपज शहर में आकर बिकती है, वह गेहूं पैदा करता है और उसे जौ भी नहीं मिलता, वह गन्ना पैदा करता है उसे शकर और गुड़ नहीं मिलता, वह दूध पैदा करता है लेकिन उसको दूध नहीं मिलता, वह मट्ठा भी मुश्किल से पाता है, उसके बच्चे भूखे रहते और उसकी सारी उपज शहर के बाजारों में आ कर बिक जाती है। मैं सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि जिस तरह से अच्छे से अच्छा अनाज किसान पैदा करता है तो उसको खाने को भी मिले और उसके बच्चों का रहन-सहन भी सुधरे। आज हालत यह है कि देहात का किसान उजड़ रहा है और शहर में बड़ी बड़ी कालोनी बन रही हैं और भोला किसान जिसके पास आज थोड़ी खेती है वह उसमें जब गुजर नहीं होती तो नौकरियों की तरफ भाग रहा है। एक तरफ शहरों में लाउड स्पीकर, हर प्रकार की झंकार और शानशौकत है, दूसरी तरफ वह गरीब देहात में भूखे रहते हैं, सब कुछ पैदा करके नहीं खा सकते हैं और यहां चकाचक होता है।

आज खेती और सिंचाई का काम दो मंत्रियों के हाथ में है, यह किस प्रकार का विरोधाभास सरकार में चल रहा है। खेती और सिंचाई, पानी का प्रबंध एक ही मंत्री के हाथ में होना चाहिये। वक्त पर लोगों को पानी नहीं मिलता और नहर बंधियां सूख जाती हैं। पानी नहीं मिल पाता और १५, २० तथा २५ बीघे तक के किसान को रोटी मिलती है तो नमक नहीं मिल पाता और नमक मिलता है तो रोटी नहीं मिल पाती। आमोद प्रमोद के जो साधन हैं रहन सहन की जो सुविधायें हैं, उनका किसान के जीवन में नाम तक नहीं। आज हमारी सीमाओं पर संकट मंडरा रहा है और आज खाद्य की सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन आज इस देश में अमीरों तथा बाबुओं की जमात पैदा की जा रही है। संकट से मुकाबला करने के लिये खाद्य सेना बनाई जा रही थी, लेकिन उसका पता नहीं कहां गयी? बाबुओं की जमात और अमीरों की जमात की तरफ ध्यान न देकर मैं आशा करता हूं कि सरकार किसान के बाल-बच्चों की तरफ, उनके रहन सहन की तरफ, खानपान की तरफ, शिक्षा की तरफ ध्यान देगी। आज आमोद प्रमोद के साधन ऊंची अट्टालिकाओं में रहने वाले राजा महाराजाओं तक ही सीमित हैं। किसान को पता नहीं देहात में आमोद प्रमोद क्या है? उसके लड़के को पता नहीं कि ऊंची शिक्षा क्या है?

एक बिल अभी इसी सदन में लाया गया वृहत् जोतकर। मुझे कहने में कोई हिचक नहीं कि इस सरकार की नीति का ही पता नहीं चलता। सोने की मुर्गी जो बराबर अंडा देती है, उस मुर्गी के पेट को फाड़ कर क्या एक ही बार में वह सारे सोने के अंडे निकाल लेना चाहती है? आज हमारे प्रदेश में किसानों के ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। उनको सिंचाई के लिये पानी नहीं मिल रहा है, खाद नहीं मिल रहा है। सिंचाई की कमी के कारण आज किसान को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। मैं सरकार का ध्यान किसानों की हालत की तरफ खींचना चाहता हूं कि किसान सारे प्रदेश की रीढ़ है। उसके ऊपर ही शासन की बागडोर टिकी हुई है। उसके आमोद-प्रमोद, रहन-सहन, खान-पान के सवाल की तरफ सरकार का ध्यान मैं खींचना चाहता हूं। सरकार को सोचना चाहिये कि किसान का बच्चा भी देश का अच्छा नागरिक बन सके। आज जो शहर में डाक्टर, इंजीनियर, सुपरवाइजर आदि बड़े-बड़े पदों पर काम करते हैं उनको सभी प्रकार के साधन उपलब्ध हैं, लेकिन किसान जो है अपने बच्चों को रूखा-सूखा खा कर भी पढ़ा नहीं सकता, अच्छा खाना खिला नहीं सकता।

किसान बाहर से जो सामान खरीदता है वह ८ गुना, १६ गुना ज्यादा दामों पर खरीदता है और अपना पैदा किया हुआ अनाज सस्ते दामों पर बेचता है। यह बड़ी असमानता है। चारों तरफ से खुली लूट किसानों की है। इसलिये किसानों के लिये पानी का इन्तजाम, रहन-सहन का इन्तजाम, बच्चों के लिये पढ़ाई का इन्तजाम होना चाहिये ताकि वह अधिक अन्न पैदा कर सके।

[श्री राजदेव]

गन्ने के बारे में सरकार की नीति गत वर्ष यह थी कि प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ था कि इतना गन्ना कैसे पेरा जायगा और इस साल सरकार को कई करोड़ का घाटा गन्ने में हो रहा है। तो उसकी नीति का कुछ पता नहीं चलता। सरकार को एक निश्चित नीति बना लेना चाहिये कि इतना सामान पैदा करना है। एक निश्चित नीति न होने से किसान को ठीक-ठीक कीमत न मिलने से, ठीक-ठीक गन्ने का क्रय-विक्रय न होने से गन्ने का भाव कम हो गया और कई करोड़ का राजस्व इत्यादि का घाटा हुआ। इसलिये कृषि की तरफ, उसके उत्पादन की तरफ, उसकी सिंचाई की तरफ सरकार ध्यान दे। आज पानी तब मिलता है जब सारी खेती सूख जाती है। जब सारी खेती नष्ट हो जाती है, तब खाद मिलती है और उस पानी और खाद को लेने में किसान को बेहद परेशानी उठानी पड़ती है। खेती के लिये जो तकावी मिलती है उसके लिये तहसीलों में और एस० डी० एम० के कोर्ट में महीनों किसान को मार्च कराया जाता है और फिर भी २०-२५ फीसदी रुपया उनका ले लिया जाता है, पूरा रुपया नहीं मिलता।

श्री उपाध्यक्ष---

आपका समय समाप्त। माननीय केशरीप्रसाद पांडेय।

श्री चैतन्यराजसिंह (जिला अलीगढ़)---

उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि समय बहुत थोड़ा है, इसलिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय १५ मिनट और बढ़ा दिया जाय।

सूचना राज्य मंत्री (श्री बनारसीदास)---

चूंकि आज और कोई कार्य है नहीं, इसलिये अगर आधा घंटा समय और बढ़ा दिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री चैतन्यराजसिंह---

जैसा कि माननीय सूचना मंत्री ने कहा है, मैं विदड्रा करता हूं। आधे घंटे का टाइम काफी रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि सदन का समय आधा घंटा बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसानों की दशा इस प्रदेश में दिन प्रति दिन गिरती जा रही है और उस किसान की तो और भी हालत गिरती जा रही है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में रह रहा है। वहां का किसान आज दाने-दाने के लिये तबाह हो रहा है, लेकिन उसके लिये कृषि विभाग के जरिये कोई सहायता या राहत नहीं मिल पा रही है जिससे वह अपनी जीविका और अपने बच्चों का पालन-पोषण कर सके। मैं आपका ध्यान परसों के अखबार की एक खबर की तरफ दिलाऊंगा जिसमें यह कहा गया था कि आजमगढ़ जिले के सराय पल्टू गांव में एक महिला ने भूख की यातना से परेशान होकर पहले अपने तीन बच्चों को कुयें में डाल दिया और उसके बाद स्वयं कुये में कूद पड़ी। यह कोई बिरला मसला नहीं है, अक्सर ऐसी बातें उस क्षेत्र में हुआ करती हैं और उस क्षेत्र की गरीबी का ज्वलंत प्रमाण जो हमारे सामने आया है वह ऐसा है, जिसको हम नजरंदाज नहीं कर सकते। इसी चीज को देखकर केन्द्रीय सरकार की तरफ से एक जांच आयोग आया था और उसनें कुछ जिलों में जाकर काफी छानबीन की और उसको स्थिति का पता लग गया है। लेकिन मैं आपके द्वारा इस सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि जिस प्रकार इस प्रदेश में घरेलू उद्योग-धंधों को प्रेरणा देने के लिये खादी कमीशन का निर्माण किया गया, जिस प्रकार शिक्षा-दीक्षा को प्रेरणा देने के लिये यूनवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का निर्माण किया गया, मैं मांग करता हूं कि प्रदेश की कृषि की उन्नति के लिये, उसको प्रेरणा प्रदान करने के लिये उसी प्रकार एक स्थायी ऐग्रीकल्चर सर्वे ऐण्ड सर्विस कमीशन स्थापित किया जाय जिसका काम हो सारे प्रदेश में और

विशेषकर उन इलाकों में जो पिछड़े हुये हैं और गरीब हैं, जहां साधन मुहैया नहीं किये जा सकते हैं, उनका सर्वे करे और उसके आधार पर सेवा करे । इससे आप समझ सकेंगे कि उस इलाके में गरीबी किस हद तक है और कैसे दूर की जा सकती है ?

मैं 'लन्दन टाइम्स' पढ़ रहा था । उसमें किसानों की इम्दाद का जिक्र किया गया था । उन्होंने वहां १९४७ में एक कानून पास किया जिसके जरिये वे किसानों की मदद करते हैं । तदनुसार सन् १९६१-६२ में आधे से ज्यादा पैसा उन्होंने किसानों की मदद में खर्च किया है । अगर तकावी वगैरह का पैसा भी जोड़ लिया जाय तो वे किसानों की मदद और सपोर्ट में कृषि बजट का ८३ फीसदी रुपया खर्च कर रहे हैं । मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार भी इस कार्य को करे । दूसरी बात यह है कि जो भी पैसा सरकार द्वारा किसानों को दिया जाता है वह खर्च नहीं हो पाता है । साढ़े चार करोड़ रुपया पर्सनल लेजर में पड़ा रह गया और किसानों को नहीं मिल सका । यह स्थिति बड़ी भयावह है । यदि यही स्थिति रही तो किसानों की स्थिति गिरती चली जायगी ।

मत्स्य विभाग के बारे में जौनपुर में गुजराताल योजना बनाई गई । एशिया में नम्बर दो का एक्वेरियम बनाने की योजना थी । किसानों की उपजाऊ जमीन ली गई और वह स्कीम फेल हो गई । बिहार से डायरेक्टर आये और उन्होंने निर्णय किया कि इसको डिमांसट्रेशन फार्म रखा जाय। इस निर्णय से किसानों का तो नुकसान हुआ ही, सरकार का भी पैसा खराब हुआ और अच्छी सी योजना जो ईस्ट एशिया में एक नम्बर की योजना थी, वह समाप्त कर दी गई जिससे किसानों को लाभ पहुंचता । मैं चाहता हूं कि यह योजना बनाई जाय और इसे फलने-फूलने का मौका दिया जाय ।

पशु पालन विभाग में स्टाकमैन का चुनाव होता है । इसमें गरीब तबका ही आया करता है । इनको इम्दाद दी जाया करती थी जो अब बंद कर दी गई है । मैं चाहता हूं कि मंत्री जी विचार करें और जो विद्यार्थी आते हैं उनको सरकारी अनुदान दिया जाय जिससे वे अपना प्रशिक्षण पूरा कर सकें । अन्त में निवेदन करना है कि मैंने जो २-३ बातें कही हैं उनको मंत्री जी ध्यान में रखेंगे और अविलम्ब एक ऐग्रीकल्चर सर्वे एण्ड सर्विस कमीशन की नियुक्ति करेंगे ।

*श्री चैतन्यराजसिंह--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि काफी मेहनत के बाद आपने समय दिया । माननीय भानुप्रतापसिंह जी ने जो कहा है उसका मैं समर्थन करता हूं । मैं इसलिये खड़ा नहीं हुआ कि ऐग्रीकल्चर बजट पर मुझे शिकायत है बल्कि इतना मैं अवश्य कहूंगा कि ७५ फीसदी जनता देहात में रहती है किन्तु २५ फीसदी एम० एल० ए० भी यहां नहीं हैं, प्रेस भी दिखाई नहीं दे रहा है और मंत्री जी भी थोड़े दिखाई दे रहे हैं, इससे जाहिर होता है कि कृषि से कितनी लोगों को मुहब्बत है । प्लान फार प्यूपिल हमारा नारा है और जो ग्रांट दी है उससे किसी भी प्रकार से ऐग्रीकल्चर विभाग की बढ़ोत्तरी नहीं कर सकते हैं । श्रीमन्, अफसोस इस बात का भी है कि यह प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है, और जिस मात्रा में इसके लिये सरकार को रुपया खर्च करना चाहिये था वह पर्याप्त मात्रा में नहीं है और नही वह रुपया इतना है जिससे काश्तकार की हालत सुधर सके ।

मैं जानता हूं कि उधर से यही कहा जायगा कि इर्रीगेशन डिपार्टमेंट, कोआपरेटिव डिपार्टमेंट, और केन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट यह सब ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से ही संबंधित हैं उनका रुपया भी काश्तकार के ऊपर खर्च किया जायगा । लेकिन क्या इन डिपार्टमेंट्स का सही रूप में कोआर्डिनेशन है ? क्या आपने किसान को ऐसी अंडरस्टैंडिंग दी है कि कोआपरेटिव डिपार्टमेंट के थ्रू ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो फर्टिलाइजर्स देता है, उसका पूरा इस्तेमाल करने लिये इर्रीगेशन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री चैतन्यराजसिंह]

डिपार्टमेंट पर्याप्त मात्रा में पानी देगा ? पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं दिया जाता । जब पानी की जरूरत नहीं होती है उस वक्त पानी मिलता है और जब पानी की जरूरत होती है, जैसे आजकल गेहूं की फसल पक रही है, पानी की जरूरत है लेकिन मैं अलीगढ़ जिले की बात कहता हूं पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं है पूछने पर पता चला कि नहर सूखी पड़ी है । तो फिर ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, कोआपरेटिव डिपार्टमेंट, इर्रीगेशन डिपार्टमेंट का क्या फायदा काश्तकार उठाता है जिसके लिये यह कहा जायगा कि यह रुपया भी काश्तकार पर खर्च होगा ? इस पूरे बजट में मैंने ऐसी कोई ग्रांट नहीं देखी जिससे ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या एनीमल हस्बैंड्री डिपार्टमेंट ने यह कोशिश की हो कि अमुक फारेस्ट में वेस्ट लैंड पड़ा रहता है, उसका इस्तेमाल करेंगे । आज हमारे पास खाने को नहीं । अमेरिका से गल्ला मंगा कर खाते हैं । तो मवेशियों को क्या खिला पायेंगे ? ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या एनिमल हस्बैंड्री डिपार्टमेंट की कोई स्कीम नहीं देखी जिससे नये फाडर तैयार किये गये हों, जो ग्रेंस को सब्सटीट्यूट कर सकें, हम देखते हैं कि हमारे पशुधन का स्टैंडर्ड गिरता जा रहा है, मिल्क ईल्ड भी कम होती जा रही है । इसलिये ऐसा फाडर तैयार करने की जरूरत है जो ग्रेंस को सब्स्टीट्यूट कर सके ।

पिसीकल्चर के लिये एक अनुदान रखा गया है । लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सी नशेब जगहें हैं उनमें काफी मात्रा में मछलियां पल सकती हैं । पर काश्तकार के पास उतना रुपया नहीं है कि वह मछलियां पाल सके । ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या एनिमल हस्बैंड्री डिपार्टमेंट के पास डिग करने की कोई व्यवस्था नहीं है । पी० डब्लू० डी० के पास बहुत से बुल डोजर हैं । मैं यह निवेदन करूंगा कि एनिमल हस्बैंड्री डिपार्टमेंट या ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उनसे बुल डोजर्स अक्वायर कर ले जिससे ५० या १०० एकड़ों का अगर कोई पांड बनाना चाहे तो ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या एनिमल हस्बैंड्री डिपार्टमेंट सहायता दे सके । इसके अलावा पिछले साल भी भानुप्रतापसिंह जी ने निवेदन किया था कि इंटेंसिव फार्मिंग के लिये पाइलट प्राजेक्ट रखे जाने चाहिये और मंत्री जी ने भी शायद इसका आश्वासन दिया था । इस बजट में उसके लिये कोई प्राविधान नहीं दिखाई दिया । वह एक बड़ी वाइटल चीज है जो मिसिंग दिखाई देती है इस बजट के अन्दर है । मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह अब भी इसके लिये किसी प्रकार से गुंजाइश कर सकें तो अच्छा है जिससे कि वह पाइलट प्रोजेक्ट खुल जाय । रहा सवाल यह कि हाइब्रिड की खेती की जाय तो मैं स्वयं जानता हूं लोग उसे करना चाहते हैं लेकिन डिपार्टमेंट ने उसके लिये क्या किया है ? उन्नतिशील बीज और उन्नतिशील फसल हम तैयार करें तो उसके लिय मार्केट कहां है ? जब तक उसके लिये मार्केट न हो तब तक किसान हाइब्रिड से क्या फायदा उठा सकता है और क्या देश और प्रदेश उससे फायदा उठा सकता है ? इसके लिये वह कंडीशंस भी तो पैदा कीजिये जिससे कि हम उन्नतिशील फसल पैदा करना शुरू करें ।

अन्त में मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि एनीमल हस्बैंड्री डिपार्टमेंट ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की एक वाइटल नीड है, लेकिन जिस तरह से उसके क्लास थर्ड और क्लास फोर गवर्नमेंट सर्वेंट्स की उपेक्षा की जाती है, वह मुनासिब नहीं है । हमारा स्टाकमैन हमारे खयाल से गांव के लेवेल पर सबसे ज्यादा होशियार और सबसे ज्यादा यूजफुल आदमी है लेकिन न उसे कोई अच्छी तनख्वाह मिलती है और न ही कोई फैसिलिटी दी जाती है । उसको एक स्वीपर भी नहीं मिलता है । आप चाहते हैं कि आपके कैटिल हाइजीनिक बे में रहें लेकिन अगर उनकी डिस्पेंसरी ही अनहाइजीनिक रहेगी तो कैटिल हाइजीनिक में वे कहां तक रह सकते हैं ? इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एनीमल हस्बैंड्री डिपार्टमेंट के क्लास थर्ड और क्लास फोर के एम्पलायीज की लिविंग कंडीशंस ऐसी कर दी जायं जिससे कि टैलेंटेंड आदमी उसमें आने की कोशिश करें । मथुरा का वेटेरिनरी कालेज एशिया का सबसे बड़ा वेटेरिनरी कालेज है लेकिन उससे पास होकर निकले हुए ग्रेज्युएट्स को डाक्टर तक लिखने की आज्ञा नहीं दी जाती । मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि उनके सर्विस मैन्यूअल में आप कुछ ऐसे चेंजेज करें कि जिससे टेलेंटेड आदमी और अच्छे से अच्छे आदमी उसके अन्दर आ सकें । इसके अलावा नार्लकर कमेटी की सिफारिशों को तो कम से कम आप लागू कर दें । इन शब्दों के साथ मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे ज्यादा समय दिया और माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह मेरे सुझावों को मान लें ।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, दोनों पक्षों की बातें मैंने सुनीं । चूंकि कृषि का अनुदान है, इसलिये एक किसान होने के नाते मुझे अपनी बात कहनी पड़ी । श्रीमन्, इस प्रदेश की आठ करोड़ जनता में ७५ फीसदी किसान हैं जिनका पेशा कृषि है—श्रीमान्, आप मेरी तरफ मुखातिब हों, आप तो बात कर रहे हैं । श्रीमन्, उत्तर प्रदेश जो खेती करने वाला प्रदेश है उसकी कृषि के बारे में माननीय मंत्री जी ने जो संसदीय तरीका है उसके अनुसार काफी बढ़ा चढ़ा कर अपनी बात रखी । सवाल इस बात का है कि उत्तर प्रदेश का किसान आज भी उन्हीं औजारों से और उन्हीं पिछड़े हुए तरीकों से जो ब्रिटिश जमाने के हैं, अपनी खेती कर रहा है । उसमें कोई फर्क हमें नजर नहीं आ रहा है । यदि यह समाजवादी सरकार होती है, समाजवादी ढंग के समाज की रचना करने वाली सरकार होती, तो सबसे पहले कृषि मन्त्री को सिंचाई मन्त्री का विभाग भी मिलना चाहिये था क्योंकि कृषि और सिंचाई का दोनों का बड़ा तारतम्य है। अगर दोनों विभागों को जोड़ दिया जाय तो पानी का सवाल जो उठता है और खाद की बात जो की जाती है, एक तरफ फसल सूख जाती है और दूसरी तरफ पानी का कोई इन्तजाम नहीं होता, श्रीमन्, तो फिर कितनी ही खाद डालें कोई लाभ होने वाला नहीं है । वैज्ञानिक ढंग की जो खादें उत्तर प्रदेश के अन्दर दी जा रही हैं उनके नाम ये हैं:— १—अमोनियम सल्फेट, २—अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, ३—अमोनियम नाइट्रेट, ४—यूरिआ, ५—सुपर फास्फेट, तथा ६—बोन मील । इस प्रकार की खादें यह सरकार लाभप्रद बतलाती हैं और देती है । श्रीमन्, हमारे यहां जो भूमि है, उसका कोई तारतम्य अमेरिका या जापान की भूमि से नहीं हो सकता है । हमारे यहां गोबर की बढ़िया खाद दे दी जाय, समय से पानी मिल जाय और निराई गुड़ाई अच्छी हो जाय तो बढ़िया पैदावार हो सकती है । वैज्ञानिक ढंग की खाद डालकर अगर भरपूर सिंचाई का प्रबन्ध न हो सके तो फिर खेती का प्रबन्ध अच्छा हो नहीं सकता है सिवाय हवाई उड़ान की जा सकती है और खेती सूख जाती है, कभी-कभी तो बीज लौटकर भी नहीं आता है ।

इसके साथ-साथ आज हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने दाम निर्धारण नीति की भी बहुत बात की है । माननीय सदस्यों ने कहा कि किसानों को उसकी वस्तुओं का उचित मूल्य मिलना चाहिये लेकिन कितना मिलना चाहिये यह किसी ने नहीं कहा । श्रीमन्, जब किसान गेहूं पैदा करता है १० रुपया और ११ रुपया मन बेंचता है और वही गेहूं होली पर उसे १९ और २० रुपये मन खरीदना पड़ता है । यही हालत गुड़ की है । दूसरी ओर कपड़ा, दुगुने और ढाई गुने दाम पर उसे मिलता है । किसान के हल और दूसरे जरूरी सामान दुगुने और तिगुने कीमत पर मिलते हैं । तो केवल भ्रमात्मक रीति से बात कह देना कि दाम नीति निर्धारित होनी चाहिये कोई काम चलता नहीं है । सभी जानते हैं, यह सरकार भी जानती है कि दाम नीति निश्चित होनी चाहिये परन्तु जब तक सही रूप से दाम का निर्धारण नहीं होगा तब तक किसान की समस्या हल हो नहीं सकती । सरकार इसके लिये एक कानून बनावे कि अगर १० रुपये मन पर किसान अपना गेहूं बेंचता है तो होली के अवसर पर अर्थात् उसकी फसल आने तक एक आना फी रुपये यानी १२ साढ़े १२ रुपये के भाव में उसे गेहूं मिल जाय । मिलों और कारखानों की उत्पादित चीजों के दाम भी उन के लागत से ड्योढ़े दाम पर उनको मिल जायं । जब तक यह नहीं होता तब तक किसानों का कोई लाभ होने वाला नहीं है । अगर इस तरह से दाम नीति का निर्धारण हो तब किसान का लाभ हो सकता है, उसकी रोटी, कपड़े की समस्या, बेकारी भुखमरी की समस्या हल हो सकती है ।

हमारे देश में खेतिहर मजदूरों के लिये ३ हजार धन्धे हैं, अमेरिका में ३५ हजार और जापान में २५ हजार धंधे हैं । जब हमारे यहां इतने कम धन्धे हैं तो क्या मजदूरों की समस्या

[श्री राधेश्याम शर्मा]

हल हो सकती है ? जैसे हम दाम नीति निर्धारण की बात करते हैं उसी तरह से खेतिहर मजदूरों के लिये मजदूरी की दर निर्धारित करें तब उनकी समस्या हल हो सकती है।

उसी के साथ सिंचाई का पूरा प्रबन्ध होना चाहिये। आज पूर्वी जिलों और पश्चिमी जिलों की बात कही जाती है कि पूर्वी जिलों की हालत पश्चिमी जिलों से खराब है। तो न पूर्वी जिलों की हालत अच्छी है और न पश्चिमी जिलों की हालत अच्छी है, सभी तरफ हालत खराब है। हालत यह है कि वैज्ञानिक खाद अच्छी दी जाती है, बीज दिया जाता है परन्तु समय पर पानी नहीं मिलता है। इसलिये पूरी फसल नष्ट हो जाती है। मैं कहता हूं कि कृषि का यह अनुदान है, बहुत कम है। अगर इससे ज्यादा होता तो बहुत अच्छा होता और मैं उन सदस्यों में हूं जो उसका समर्थन करते। इससे खेती के लिये जरूरी साधनों का प्रबन्ध हो सकता। आपने अपने बजट में ढाई सौ थानों के निर्माण का प्रबन्ध किया है, राजभवन में बड़ा भारी निर्माण कार्य होगा, हमारे यहां लाउड स्पीकर लगाने की बात है, पार्लियामेंटरी सेक्रेटरियों के लिये कोठी का भी प्रबन्ध है, तो इसी तरह से अगर कृषि के लिये और ज्यादा रकम दिये होते तो हम उसका समर्थन करते। हमारे प्रदेश में कृषि बहुत पिछड़ा हुआ है।

इन शब्दों क साथ मैं आपको, श्रीमन्, यह बतलाऊं कि माननीय कृषि मन्त्री के विभाग में बीज वितरण करने के लिये ऐसी कौन सी मुसीबत थी कि आपने बीज वितरण व खाद वितरण का काम कोआपरेटिव सोसाइटी को दे दिया। कोआपरेटिव सोसाइटी इस काम को नहीं कर सकती है। कोआपरेटिव सोसाइटी बड़ा गलत काम करती है। वे बड़ी बदनाम हैं। मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूं। अभी हमारे यहां खाद वितरण अधिकारी को पकड़ा गया है कि वह खाद में रेह मिला रहा था। हमारे यहां नोहजील ब्लाक में खाद वितरण अधिकारी खाद में रेह मिला रहा था तो उसको विकास अधिकारी ने पकड़ा। इस तरह के लोगों को उचित सजा मिलनी चाहिये। इस तरह से यह सारा काम गलत हो जाता है। इसलिये मैंने निवेदन किया कि जब तक दाम नीति निर्धारित नहीं करेंगे, जब तक किसानों को उचित दाम पर कारखानों की बनी हुई चीजें प्राप्त नहीं होती हैं, जब तक उनके खेतों के लिये सिंचाई का समुचित प्रबन्ध नहीं होता है, तब तक कृषि की उन्नति नहीं हो सकती है। मैं माननीय कृषि मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इसका सही हल निकालने का प्रयत्न करें।

श्री बसन्तसिंह (जिला बिजनौर)—

उपाध्यक्ष महोदय, कृषि मन्त्रालय लंगड़ा मन्त्रालय है और जब तक इसकी एक टांग टूटी रहेगी यह दौड़ ही नहीं सकता बल्कि चल भी नहीं सकता है। इसलिये जल्द से जल्द इसमें सिंचाई मन्त्रालय और गन्ना मन्त्रालय शामिल होना चाहिये। यह एक निर्विवाद सत्य है कि उत्तर प्रदेश की ८० प्रतिशत ग्रामीण जनता है जो खेती पर निर्भर करती है। यदि आप उसके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो लैंड प्रेशर को कम करने के लिये या तो अधिक जमीन की आवश्यकता है या उसकी पैदावार को बढ़ाने की आवश्यकता है। जमीन बढ़ाने की बहुत कम गुन्जाइश है। यदि है तो सर्वप्रथम जो सीलिंग ऐक्ट लागू किया गया है वह अभी सही ढंग से लागू नहीं किया गया है। वह जल्द से जल्द लागू होना चाहिये। उसका इंफोर्समेंट अच्छे तरीके से होना चाहिये। उसमें ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिये।

दूसरी बात यह है कि सहकारी फार्म पर भी सीलिंग ऐक्ट लागू होना चाहिये क्योंकि जो सहकारी फार्म हैं वह बड़े किसानों ने अपने सम्बन्धियों के नाम रखकर बना लिये हैं, छोटे किसानों ने मिलकर सहकारी फार्म नहीं बनाये हैं। बड़े-बड़े किसानों ने सीलिंग ऐक्ट से बचने के लिये सहकारिता के नाम पर फार्म बना लिये हैं। जिस उद्देश्य को लेकर इन सहकारी फार्मों की स्थापना की गई है वह उससे पूरा नहीं होता। तीसरे कुछ ऐसी जमीन है जो बेकार पड़ी हुई है जो पहले जमीदारों के कब्जे में थी। तराई में बन के पास कुछ ऐसी जमीन है जिसमें न तो प्लान्टेशन हो रहा है और न वह कृषि कार्य में आ रही है। उस भूमि

का उपयोग होना चाहिये। जहां तक विभाग को बढ़ाने का सवाल है और वह तमाम चीजें जो आप लागू करते जाते हैं उनसे किसानों का कोई फायदा नहीं होता है। जिस तरह से उनके लिये रुपया खर्च किया जाता है उससे उन्हें वास्तविक लाभ नहीं होता और उन तक वह नहीं पहुंच पाता। जैसे कि रेगिस्तान में एक नदी चलती है वह थोड़ी दूर पहुंचने पर खत्म हो जाती है उसी तरीके से यहां पर जितना रुपया पास किया जाता है वह गांव में पहुंचते पहुंचते बीच में ही खत्म हो जाता है। यही पर्याप्त है कि कृषकों की दशा सुधारने के लिये आप उनके लिये अच्छा बीज दें, अच्छा खाद दें और अच्छे पानी का इन्तजाम करें लेकिन इन तीन बातों को हमें अच्छे तरीके से देखना और करना चाहिये। महज इतने से ही काम नहीं चलता कि योजना बन गयी। उसको देखने की भी जरूरत है। जो हमारे बीज गोदाम होते हैं उनमें बहुत खराब बीज रहता है। स्वयं अधिकारियों को अच्छे बीज की जांच नहीं होती। बीज खराब होता है फिर भी वह जबरदस्ती दिया जाता है। पहले गांव में यह प्रणाली थी कि अच्छा बीज जहां से उपलब्ध हो सकता था किसान वहां से स्वयं खोज कर ले आता था। तब वह उसको बोता था लेकिन आज जब नियन्त्रण कर लिया गया है बीज गोदामों में अच्छे बीज होने चाहिये। जहां तक सिंचाई का सवाल है उसका भी अच्छा प्रबन्ध होना चाहिये। ट्यूबवेल खराब पड़े रहते हैं। नहरों से पानी ठीक समय पर नहीं मिलता है, जिन्हें खाद की आवश्यकता होती है उन्हें नहीं मिलता और जिन्हें आवश्यकता नहीं होती कोआपरेटिव से ऋण लेते समय जबर्दस्ती दिया जाता है, नहीं तो ऋण नहीं दिया जाता। इन तीनों चीजों पर विभाग ध्यान दे तो खेती की उन्नति हो सकती है।

मैं एक बात की ओर और ध्यान दिलाना चाहता हूं। माननीय सदस्य सन् १९६२ की आडिट रिपोर्ट देखें तो उसमें जो अनियमिततायें हैं उनका सुधार करने की जरूरत है। अगर अनियमिततायें बराबर बनी रहीं तो आप बजट में चाहे जितना रुपया पास कर दें, कितनी योजनायें बनायें कृषि की उन्नति नहीं होगी। हरदोई, इटावा, लखनऊ में १० हजार एकड़ जंगल को साफ करने की योजना बनाई गई जिसमें ४ लाख टन गल्ला बढ़ने का अनुमान था। इस योजना पर ३० लाख रुपया व्यय होना था लेकिन ४० लाख खर्च हुआ और उससे ३ हजार एकड़ जमीन जोत में आई और १ हजार टन अतिरिक्त अन्न पैदा हुआ। योजना की असफलता का कारण यह बतलाया गया कि पर्याप्त सिंचाई नहीं हुई।

(व्यवधान)

मैं चाहूंगा कि उपाध्यक्ष जी, जो सदन में बातें हो रही हैं और जिम्मेदार लोग बातें कर रहे हैं, वह इस ओर ध्यान दें। जो ट्यूबवेल योजना वहां पर बनाई गई और जिस पर ७ लाख रुपया खर्च हुआ उन ट्यूबवेलों से सिंचाई नहीं हुई। नदी से सिंचाई हुई। इसलिये मैं यह कहूंगा कि आप देखें कि योजना को कार्यान्वित किया जाता है या नहीं। जो लोग ठीक तरीके से काम नहीं करते हैं, उनको दंडित किया जाना चाहिये।

(व्यवधान)

मैं चाहूंगा कि उपाध्यक्ष महोदय, जो सदन में बातें हो रही हैं, उनको आप रुकवायें। क्या यह सदन रंगमंच बना लिया जाय? थोड़ा सा सोचना चाहिये।

(लाल बत्ती जलने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप समाप्त कीजिये, आपका समय समाप्त हो गया।

श्री बसन्तसिंह—

मुझे आप केवल पांच मिनट और दें। पहले बोलने वालों को १० मिनट दिये हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप दो मिनट में समाप्त कीजिये।

श्री बसन्तसिंह--

मैं यह कहना चाहता हूं कि फासफेट, फर्टिलाइजर्स के १०० बोन डाइजेस्टर्स लगाने की एक योजना बनाई गई थी। उसमें प्रत्येक पर ४,००० रुपये व्यय होना था और २,५०० अनुदान दिया जाना था। १९५८-५९ में ३० बोन डाइजेस्टर्स की स्वीकृति दी गई। यह संख्या बढ़ाकर ४५ कर दी गई। डाइरेक्टर, फर्टीलाइजर ने एक कम्पनी से स्वयं इन्हें खरीदा। उस कम्पनी को कुल मूल्य का ९० प्रतिशत दे दिया गया जबकि पेमेंट मशीनों को अच्छी तरह देखने के बाद होना था। इनमें से कोई भी बोन डाइजेस्टर न तो किसी ग्राम सभा को दिया गया और न किसी व्यक्ति को। अनुदान का रुपया ७५ हजार भी खजाने से निकाल लिया गया। ११ मशीन खराब पाई गईं। १९६०-६१ में इन्हें बदलने के लिये २५ बोन डाइजेस्टर्स और लिये गये परन्तु अभी तक एक भी काम में नहीं लाया गया। आप को यह देखना चाहिये कि जिन डाइरेक्टर को यह काम सौंपा गया था उन के ऊपर सरकार ने क्या एक्शन लिया है। आडिट रिपोर्ट में लिखा है कई बातों के लिये अब तक सरकार से उत्तर नहीं मिला है। इसी तरह की अनियमिततायें बहुत सी हैं। एक ट्यूबवेल योजना के अन्तर्गत एक पावर हाउस में ३ जनरेटर लगाने थे उसमें भी आप देखें कि ४ लाख ७५ हजार ४ सौ के अनुमानित व्यय के स्थान पर ७ लाख खर्च हो गया है लेकिन जो ३ जेनरेटर थे उसमें से २ बिलकुल बेकार हैं। उनसे शुरू से अब तक कोई काम नहीं हो सका है। मछलियों के तालाबों की भी यही हालत है। तालाब बने जिन पर २० हजार रुपये का व्यय हुआ लेकिन मछलियां कितनी उत्पन्न की गईं ? केवल १ मन २३ सेर। इतनी जरा सी मछली पैदा करनें के लिये इतना धन खर्च किया गया। इसी तरह से कोल्ड स्टोरेज मछलियों के लिये लिये गये परन्तु उनमें एक सेर भी मछली नहीं आई। यदि इसी प्रकार रुपया बर्बाद किया जाता रहा तो किसानों को कोई लाभ होने वाला नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

सदन का समय १५ मिनट और बढ़ाया जाता है और अन्त में ५ मिनट के लिये प्रेमसिंह जी बोलेंगे।

*श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)--

उपाध्यक्ष महोदय, यदि आप की आज्ञा हो तो मैं पहले ही बोल लूं। इससे पहले कि मैं कुछ कहूं, मैं एक शेर पंजाबी में कह देना चाहता हूं।

"लल्लू करे कवालियां, रबब सिद्दयां पावे।"

अब मैं अपने गम्भीर विषय खेती पर आता हूं। आप देखें कि हमारे यहां पर १७ कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, और ४ स्टेट मिनिस्टर्स हैं। इनको समझ लीजिये कि सारा हिन्दुस्तान यही है और हम मानते भी हैं। लेकिन आप देखें कि इनमें से चौधरी साहब किसान हैं और खेती करते हैं। अगर उन्हें खेती के वक्त बीज की जरूरत हो, औजार की जरूरत हो, तो कहां जाना पड़ता है, अब मैं इसके लिये आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। पानी की जरूरत है, खाद की जरूरत है, उनको दवाओं की जरूरत है, फसल पक जाने पर उसको काटने की जरूरत है, अनाज को बेचने की जरूरत है, इन सबके लिये कितने दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। हल के लिये हमारे नेगी जी, लोहे के लिये आपकी जरूरत है। बहरहाल इसी तरह से और बहुत सी मुख्तलि चीजोंफ के लिये सबकी जरूरत है। मुख्तसर यह है कि समझ लीजिये कि पानी के लिये राममूर्ति जी की जरूरत है। अगर मैं हर एक के लिये कहना शुरू कर दूं तो बेकार होगा। अब मैं अपने मतलब पर फिर आ जाता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किसान के लिये उसके जानवरों को चराने के लिये चरागाह की अत्यन्त आवश्यकता है। उसके लिये पानी की जरूरत है। पानी के लिये यह जरूरी नहीं है कि बड़ी मात्रा में कैनाल्स हों। हम पंजाब की तरह यू० पी० में भी खेती चाहते हैं। इसके लिये जरूरी है कि हमारे यहां कुएं काफी मात्रा में हों और उनमें रहट लगें। अब चूंकि समय नहीं है और कुछ नहीं कहना चाहता।

श्री शिवराजसिंह—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने प्रस्तुत मांगों से संबंधित वाद-विवाद में भाग लिया ? मैं माननीय भानुप्रतापसिंह जी का आभारी हूं कि उन्होंने कृषि मंत्रालय के संबंध में विशेष तौर से हमदर्दी जाहिर की। मैं उनकी खिदमत में पुनः अर्ज कर दूं कि कृषि उत्पादन के संबंध में Cabinet की एक सब कमेटी बन जाने के बाद अब इस कार्य में कोई रुकावट नहीं आयेगी। इसके अतिरिक्त, जैसा मैंने अर्ज किया था, हमने उच्च अधिकारियों की एक कमेटी भी बनाई है जिसमें तमाम विभागों के अध्यक्ष तथा सचिव आदि है जिसके फलस्वरूप भी अब किसी प्रकार की रुकावट आने वाली नहीं है। मिसाल के तौर पर सिंचाई विभाग के आपरेटर्स की किसी कदर यह जिम्मेदारी है कि वे फर्टीलाइजर के वितरण में मदद दें। Operaters और वी० एल० डब्ल्यू० के चुनाव करते समय भी एग्रीकल्चर डिप्लोमेट्स को प्रीफरेन्स दिया जायेगा। इस प्रकार से आप देखें कि अब विभिन्न विभागों का पूरा सहयोग भी इस कार्यक्रम में प्राप्त होता रहेगा।

मैं यह भी निवेदन कर दूं कि कृषि विभाग के कर्मचारियों का स्तर ऊंचा उठा है। जिले का कृषि अधिकारी अब बी० डी० ओ० के कैरेक्टर रोल की इन्ट्री के लिये सिफारिश करता है इतना ही नहीं, डिप्टी डाइरेक्टर एग्रीकल्चर, जिला नियोजन अधिकारी के करेक्टर रोल की इन्ट्री के लिये सिफारिश अपने डाइरेक्टर को भेजता है। तो कृषि विभाग के कर्मचारियों का स्तर इससे ऊपर उठा है।

माननीय भानुप्रताप सिंह जी ने दो मूल्य प्रश्न सदन के समक्ष प्रस्तुत किये। परन्तु उन्होंने ही साथ में उसका उत्तर भी दे दिया। उन्होंने कहा कि खेती की पैदावार की गिरती हुई कीमतों के साथ-साथ सरकार को कोई माली सपोर्ट देना चाहिये। जवाब भी उन्होंने दे दिया कि गांव में कृषकों की ४८७ फीसदी संख्या को देखते हुये काफी मात्रा में धन की आवश्यकता होगी। सरकार से माली सहायता लेना उसी वर्षा के समान है जो बादल वहीं से पानी बन कर उड़ते हैं और वहीं पर बरस जाते है। उनकी शंका सही थी। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ जब उन्होंने कन्ट्रोल की बात कही। मुझे ताज्जुब हुआ कि जब उनकी पार्टी फ्री इण्टर प्रइज में विश्वास करती है, कन्ट्रोल की बात कैसी कही। माननीय टम्बेश्वरी प्रसाद जी ने यह आपत्ति की थी कि तीसरे पंचवर्षीय योजना के पहले दो सालों में उत्पादन बढ़ोत्तरी की है। कृषि के किसी एक वर्ष के प्रोडक्शन में हम कृषि की क्षमता को नहीं नाप सकते और न नापना न्याय संगत ही होगा। कृषि विभाग का कार्य अन्य विभागों के सहयोग के अतिरिक्त प्रकृति सहयोग पर भी निर्भर करता है ताहम मैं यह निवेदन करूंगा कि ६१–६२ में पाला पड़ने के बावजूद भी अरहर की पैदावार को छोड़ दिया जाय जिसको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, और खाद्यान्न के सारे टारगेट्स पूरे किये गये। इसी प्रकार से काटन में तीसरी योजना के प्रथम वर्ष में १९६०–६१ से १२ प्रतिशत अधिक पैदावार हुई है और ६२–६३ में ५० प्रतिशत ६०–६१ से अधिक पैदा होता है। १९६२–६३ में खाद्यान्नों की ७ लाख टन की पैदावार अधिक हो चुकी है और अभी रबी की फसल बाकी बड़ी है। इस प्रकार हम देखेंगे कि दो वर्षों की तस्वीर भी संतोष रही है।

माननीय केशव गुप्त जी ने, जो काफी अनुभवी सदस्य हैं, उन्होंने दो सुझाव रखे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कृषि को यूनतया मेकेनाइज कर दिया जाय। लेकिन आजकल हमारे सामने अर्द्ध बेरोजगार किसानों की समस्या है और हम उत्तर प्रदेश की कृषि में लेबर इंटेंसिव को

[श्री शिवराजसिंह]
बात कर रहे हैं और विभाग इस खोज में है कि जहां दो बैल लगते हैं वहां एक बैल से ही कार्य चल जाय। इस प्रकार एक तो लोगों की बेरोजगारी का सवाल है और दूसरी ओर इतनी मात्रा में हमारे पास ट्रैक्टर भी उपलब्ध नहीं हैं।

दूसरी बात उन्होंने यह कही कि निम्नतम कृषि उत्पादन की क्षमता को निर्धारित कर दिया जाय और जो कम पैदा करें उनकी जमीन कानून के द्वारा छीन ली जाय। इस प्रकार का एक एक कानून इंगलैंड में १९३० में बना था। यद्यपि वहां का किसान मालदार था लेकिन फिर भी उससे कोई खास अच्छे नतीजे नहीं निकले।

माननीय महादेव जी ने यह सवाल पूछा कि कृषि विभाग ने जो खोज की है, उनके होते हुये क्या इन हालत में किसानों में लागू किया जा सकता है। उसके लिये में माननीय भानुप्रतापसिंह जी का नाम पेश करता हूं, वे अच्छे कृषक हैं, वे पढ़े लिखे भी हैं लेकिन उन्होंने इसी व्यवसाय को अपना लिया है। बागात के बारे में कहा गया कि नये बाग लगाने और पुरानों का रिजुबिनेशन का क्या प्रोग्राम है। हमारा लक्ष्य २५ हजार एकड़ के नये बागात लगाने और २० हजार एकड़ पुराने बागों का रिजुबिनेशन का है।

किसानों से वसूली की बाबत भी कहा गया। यह सही है कि किसानों पर बीज का रुपया बकाया है और इस इमरजेंसी के जमाने में हम बकाया को वसूल कर लेना चाहते हैं लेकिन साथ ही साथ अगर किसान यह आपत्ति पेश करता है कि उसके हिसाब में गलती है या वह पेमेन्ट कर चुका है तो उसकी छानबीन कर ली जाती है। जहां तक छोटे कर्मचारियों के बारे में सरकारी नीति का सवाल है तो सरकार की यह पालिसी है कि स्टाकमैनों को जहां तक हो सके उनको करीब के जिले में ही रखा जाता है।

श्री चैतन्यराजसिंह जी ने सुझाव दिया कि ऐसी फाडर घास की खोज होनी चाहिये जो खाद्यान्नों को कान्सन्ट्रेट्स के रूप में बोझे से बचा सके। श्रीमन्, मैं उनकी खिदमत में निवेदन करता हूं कि फाडर एंड फीडर का रिसर्च स्टेशन मथुरा में खोला गया है। इसके अतिरिक्त मथुरा का वेटरिनरी कालेज बराबर इस बात की खोज करता रहता है कि इस प्रकार के घास पैदा किये जायं जिनके इस्तेमाल करने के बाद कोई न्यूट्रीशन कांसेन्ट्रेट की आवश्यकता न पड़े और अधिक से अधिक मात्रा में वह हजम हो सके। इस प्रकार के बहुत से घास अब तक निकल चुके हैं जिनके इस्तेमाल करने के बाद कोई ज्यादा न्यूट्रिशन कांसेन्ट्रेट की आवश्यकता न पड़े।

इन शब्दों के साथ माननीय सदस्यों से मैं अनुरोध करता हूं कि कृषि और पशुपालन के महत्व को उन्होंने स्वीकार किया है, तो कटौती के प्रस्ताव जो उन्होंने पेश किये हैं, उनको वे वापस ले लेंगे और इन तमाम प्रस्तुत मांगों को एक राय से स्वीकार करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—
प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २०—कृषि सम्बन्धी विकास के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—
प्रश्न यह है कि वित्तीय वर्ष १९६३-६४ के लिये अनुदान संख्या २०—कृषि सम्बन्धी विकास के अन्तर्गत ६, ३०,४०,९०० रु० की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २१––उपनिवेशन के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि वित्तीय वर्ष १९६३–६४ के लिये अनुदान संख्या २१––उपनिवेशन के अन्तर्गत ४,५९,१०० रुपये मांग स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २२––पशुपालन तथा मत्स्यपालन क अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि वित्तीय वर्ष १९६३–६४ के लिये अनुदान संख्या २२––पशुपालन और मत्स्यपालन के अन्तर्गत २,९४,५०,४०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४७––कृषि योजनाओं पर पूंजीगत लागत के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि वित्तीय वर्ष १९६३–६४ के लिए अनुदान संख्या ४७––कृषि योजनाओं पर पूंजीगत लागत के अन्तर्गत १४,११,७१,७०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

हिन्दू महा सभा के सदस्यों के दल परिवर्तन के सम्बन्ध में सूचना

श्री उपाध्यक्ष––

मुझे एक यह एनाउन्समेंट करना है कि दो माननीय सदस्यों ने मेरे पास लिखकर भेजा है कि जो अब तक हिन्दू महासभा के सदस्य थे वह अब जनसंघ दल ज्वाइन कर लिये हैं वे हैं श्री अवैद्यनाथ तथा श्री गंगाप्रसाद वर्मा ।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)––

श्रीमन्, जिन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है, उनकी भी घोषणा कर दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

जब मेरे पास कुछ लिखकर आयगा तब उनकी भी घोषणा हो जायगी ।

अब हम उठते हैं और कल साढ़े दस बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ६ बजकर ९ मिनट पर अगले दिन के १० १/२ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
दिनांक ४ मार्च, १९६३ ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५९६ पर)]

तालिका 'क'

एकाउन्टेन्ट जनरल के और विभागीय आडिटरों ने निम्नलिखित दिनांकों को जेल डिपो का आडिट किया--

एकाउन्टेन्ट जनरल के आडिटरों ने

१	५-५-१९५०	से	८-५-१९५०
२	४-६-१९५२	से	८-६-१९५२
३	११-८-१९५४	से	१४-८-१९५४
४	१९-५-१९५८	से	२४-५-१९५८
५	२९-५-१९६१	से	४-५-१९६१

विभागीय आडिटरों ने

१	२९-६-१९५५	से	१३-७-१९५५
२	१७-४-१९५७	से	५-५-१९५७
३	१५-५-१९६१	से	१४-६-१९६१
४	५-९-१९६२	से	२२-९-१९६२

नोट :--इसके पहले भी सन् १९४० से जेल डिपो के हिसाबों का आडिट होता रहा था परन्तु पुराने कुछ आडिट नोट अब उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि वे नोट निर्धारित अवधि के बाद रद्द हो चुके हैं ।

संसद पुस्तकालय सभा

तालिका 'ख'

जिन वर्षों के हिसाबों में चीजों की कमी बताई गई है वह नीचे दिये हुये हैं और उन पर जो कार्यवाही की गई वह उनके सामने अंकित है ।

हिसाब जिनमें चीजों की कमी बताई गई	कार्यवाही
१—अप्रैल सन् १९५२ से जून सन् १९५४ के के हिसाब में १३३८ रु० ६४ नये पैसे माल की कमी ।	यह कमी बट्टे खाते में डाल दी गई
२—अगस्त सन् १९५५ से अप्रैल सन् १९५८ के हिसाब में १ रु० २९ नये पैसे के माल की कमी ।	यह कमी भी बट्टे खाते में डाल दी गई ।
३—सन् १९४४ से १९५०–५१ के हिसाब में ५५७ रु० और २५ नये पैसे की वस्तुओं की कमी ।	चूंकि ११५५ रु० और. पैसे का माल ज्यादा भी पाया गया, इसलिये कारागार महा निरीक्षक ने इस कमी के ऐडजस्टमेन्ट के आदेश दे दिये ।
४—सन् १९५१–५२ से १९५४–५५ के हिसाब में १४५ रु० ६७ नये पसे के माल की कमी.।	चूंकि ३११ रु० ६९ नये पैसे का माल ज्यादा पाया गया था, इसलिये इस कमी के भी ऐडजस्टमेन्ट के आदेश कारागार महा निरीक्षक ने दिये ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६०० पर)

प्रतिलिपि पत्र दिनांक २२-१-६३ श्री चन्द्रबलीसिंह, सदस्य विधान सभा

श्री पूर्ति अधिकारी,
जिला देवरिया ।

प्रिय महोदय,

मुझे सस्ते गल्ले की दूकानों में व्याप्त कालाबाजार की ओर आप का ध्यान खींचना है तथा उसके कारणों पर भी निम्न लाइनों में प्रकाश डालना है ।

(१) प्रायः सभी सस्ते गल्ले की दूकानों में गेहूं २ किलो ७० ग्राम और चावल भुजिया २ किलो ८०-९० ग्राम तथा इसी प्रकार अरवा चावल दे रही है ।

(२) कारण के सम्बन्ध में बताया जा रहा है तथा सस्ते गल्ले के दूकानदार आम तौर पर कह रहे हैं कि जब से गल्ले की निकासी में तरह तरह के घूस लिये जा रहे हैं तो वह पैसा जो नाजायज दे रहे हैं कहां से पूरा किया जाये ।

(३) बताया गया है कि दूकानदार को रिलीज आर्डर के ७-८ से ९-१० दिनों के बाद मार्केटिंग इन्सपेक्टर माल सप्लाई करते हैं । जो भ्रष्टाचार के ही लिये किया जाता है ।

(४) दूकानदारों के माल रिलीज होने के बाद उनके माल की कोई सुरक्षा नहीं है । माल खोलने के बाद आधा आधा बोरा माल काट लिया जाता है ।

(५) मार्केटिंग इन्सपेक्टर गल्ले के तौल एवं अन्य धांधलियों के लिये रात में माल सप्लाई कर रहे हैं । साथ ही एक दूकानदार को एक स्थान पर गल्ला न देकर दो तीन स्थान पर गल्ला दिये जाते हैं ऐसे ही अवसर पर गल्ले काट लिये जाते हैं ।

(६) ऐसे दूकानदारों को जो देवरिया से सम्बन्धित है उन्हें दूसरे गोदामों से जैसे बरहज आदि से गल्ला उठाने के लिये कभी कभी बाध्य किया जाता है ।

(७) देवरिया का माल वाहक कन्ट्रैक्टर बरहज गोदाम से सप्लाई होने वाले गल्लों को नहीं पहुंचाता है तथा देवरिया आदि से गल्ला पहुंचाने में आना कानी करता है ।

उपरोक्त सारे कारण सस्ते गल्ले के दूकानदारों को चोरी करने के लिये बाध्य कर रहे हैं ।

अपने कार्यालय के कुछ लेन देन और मार्केटिंग की धमकियों को बन्द करके सस्ते गल्ले के दूकानदारों से उचित दाम पर गल्ला बेचने के लिये ही आप बाध्य कर सकते हैं ।

आशा है कि इधर ध्यान देकर दूकानदारों की कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश करेंगे । ताकि चोर बाजारी रुके ।

भवदीय,
ह० चन्द्रबलीसिंह
सदस्य, विधान सभा, उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६१२ पर)

उत्तर प्रदेश में चावल की खरीदारी के भाव

(१, जनवरी १९६१ से १४, अक्तूबर १९६२ तक)

चावल की श्रेणी				दर प्रति क्विंटल अरवा	दर प्रति क्विंटल सेला
१	..	..	..	६०.२८	५८.९४
२	..	..	..	५०.२४	४८.९०
२	..	..	..	५२.९२	५१.५८
२ स्पेशल	..	..	..	५८.२७	..
३	..	..	..	४४.८८	४३.५४
३	..	..	..	४३.५४	४२.२०
४	..	..	..	४०.१९	३८.५०
५	..	..	..	३२.१५	३०.८१

(१५ अक्तूबर, १९६२ से)

श्रेणी				दर प्रति क्विंटल अरवा	दर प्रति क्विंटल सेला
१ स्पेशल	..	..	..	६५.६४	..
१	..	..	..	६०.२८	५८.९४
२	..	..	..	४७.५६	४६.२२
२	..	..	..	५०.२४	४८.९०
२ स्पेशल	..	..	..	५५.५९	..
३	..	..	..	४४.८८	४३.५४
३	..	..	..	४३.५४	४२.२०
४	..	..	..	४०.१९	३८.८५
५	..	..	..	३२.१५	३०.८१

सरकारी विक्रय मूल्य (बोरे के मूल्य सहित)

चावल की श्रेणी				दर प्रति क्विंटल अरवा	दर प्रति क्विंटल सेला
१	..	..	..	६७.९४	६६.६३
२	..	..	..	५८.४८	५७.४९
२	..	..	..	६१.७३	६०.६०
२ स्पेशल	..	..	..	६७.९४	..
३	..	..	..	५२.९५	५२.१२
३	..	..	..	५२.९५	५२.१२
४	..	..	..	४८.३६	४७.००
५	..	..	..	४०.१६	३९.२२

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—३३९ एल० ए० (प्रो०)—१९६३—८५० ।